खण्ड-286, अंक-3
बुधवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(9 दिसम्बर, 1970 ई0)

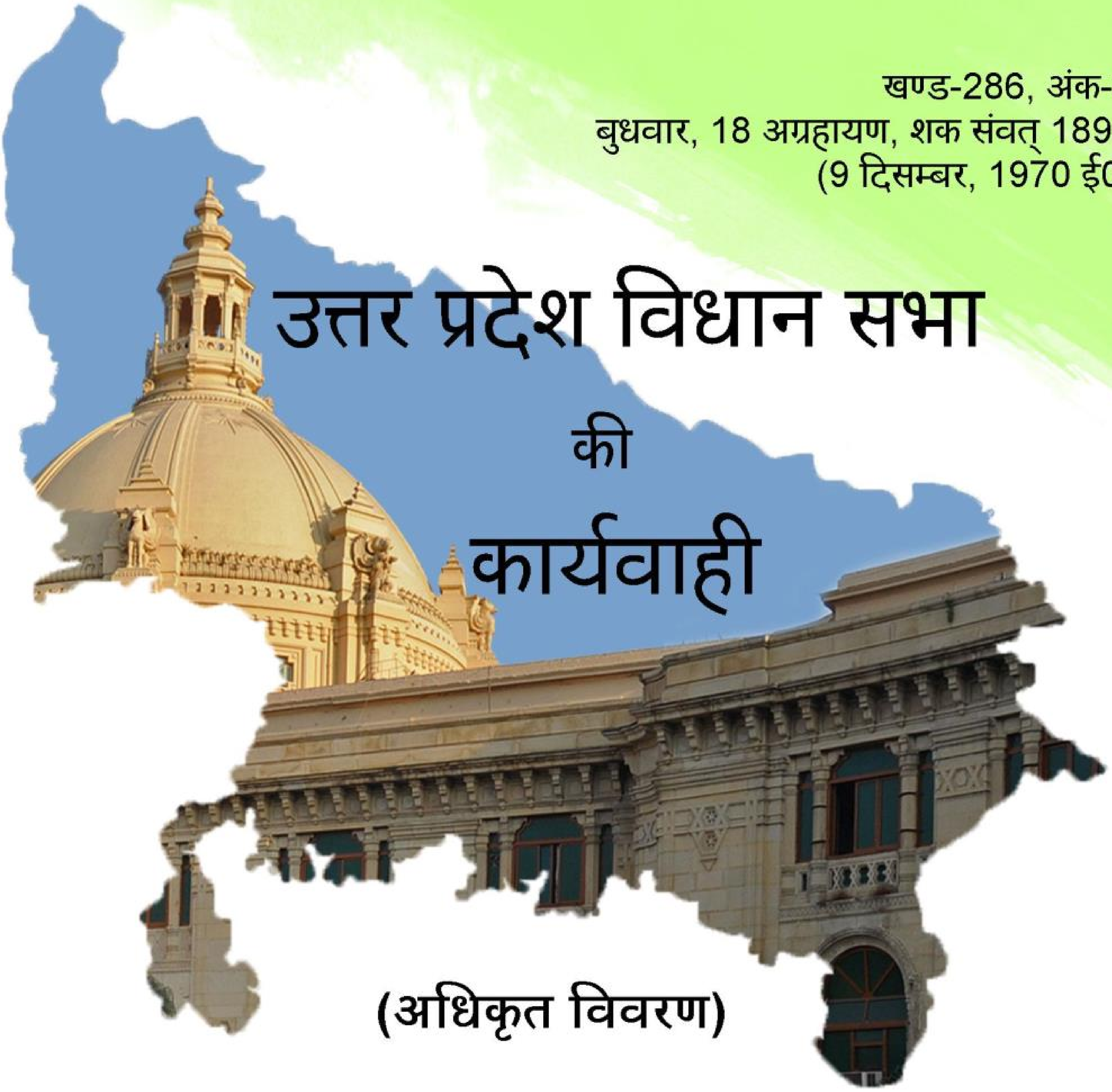

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९७

अजबसिंह, श्री
अजीतप्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुरहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खबेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डाक्टर मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेमसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीराज ध्वजसिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्नीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजविहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री

राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामभूति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लोचाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वतीदेवी, श्रीमती
सर्वसुखसिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास कपूर तथा राजस्व मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद कीजिये।

श्री उदित नारायण—

प्रश्नों से ही संबंधित है। आज का एजेन्डा आप देखिये, इसमें जितने भी मुख्य-मुख्य विभाग हैं सब आज ही रख दिये गये हैं। १२–१३ नम्बर तक ही प्रश्न हो पाते हैं उसके बाद वे लैप्स हो जाते हैं। इस तरह से सार्वजनिक तथा सिंचाई विभाग के प्रश्न तो आ ही नहीं पायेंगे। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी मुख्य विभाग एक ही रोज न हो पायें।

श्री अध्यक्ष—

हर मिनिस्टर के लिए उस से पूंछ कर दिन नियत किये जाते हैं। यह प्रश्न ऐसा है कि आप लिख कर दे सकते हैं। आप मेरे कमरे में आ जायं फिर मंत्री जी से भी पूछ कर कोई रास्ता यदि निकल सकेगा तो निकाल लिया जायेगा।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ९ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शहादरा—सहारनपुर रेलवे को पुनः चालू करना

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि श्री गुलजारी लाल जी नन्दा, रेल मन्त्री, भारत सरकार ने शाहदरा–सहारनपुर छोटी रेलवे लाइन के फिर से चलाने के लिये अभी हाल में कोई पत्र भेजा है? यदि हां, तो कब और उन पत्रों में क्या-क्या मांग की है?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

जी हां। पृष्ठ भूमि यह है कि शहादरा–सहारनपुर छोटी रेलवे मार्टिन बर्न कम्पनी द्वारा चलायी जाती थी। कम्पनी ने जुलाई में यह नोटिस जारी किया कि वे १ सितम्बर, १९७० से इस लाइन को बन्द कर देंगे। इस पर राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय रेल मंत्री से यह अनुरोध किया गया था कि कम्पनी को बाध्य किया जाय कि इस लाइन को वह चलाते रहें और यदि कम्पनी ऐसा न करे या न माने तो रेलवे मंत्रालय स्वयं इस लाइन का प्रबन्ध लेकर चलाये। केन्द्रीय रेलवे मन्त्री ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। कम्पनी के छंटनी किये गये कर्मचारियों ने केन्द्र से अपने पुर्नव्यवस्था की मांग की है। इसके बारे में रेल मंत्री ने दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७० को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि इन छंटनी किये गये कर्मचारियों को राज्य सरकार रोडवेज में नौकरी दे अथवा इन्हें बस चलाने के लिये परमिट दे अथवा सहारनपुर-शाहदरा लाइन के साथ चलने वाली सड़कों पर बसों के चलाने के परमिट समाप्त कर दिये जायं या कम कर दिये जायं जिससे छंटनी किये गये कर्मचारियों की एक सहकारी समिति द्वारा यह लाइट रेलवे चलाई जा सके। इस पत्र के उत्तर में यह सूचित

किया जा रहा है कि छटनी किये गये कर्मचारियों के लिये रोडवेज में नौकरी देना तो सम्भव न हो सकेगा किन्तु जहां तक मार्गों पर परमिट देने की व्यवस्था है नियमानुसार जो भी सहायता प्रदान करना सम्भव हो सकेगा वह किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह पत्र माननीय मंत्री जी ने कब लिखा?

श्री रामधारी शास्त्री—

जुलाई, १९७० के अंतिम सप्ताह में।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार ने यह भी जानकारी की है कि यह रेलवे लाइन क्यों बन्द की जा रही है?

श्री रामधारी शास्त्री—

जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल—

तो उन्होंने क्या कारण बताये?

श्री रामधारी शास्त्री—

कम्पनी ने यह बताया कि आर्थिक दृष्टि से इसको चलाना सम्भव नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

क्या उसमें यह बताया गया है कि साल में कितने रुपये का घाटा होता है?

श्री रामधारी शास्त्री—

यह तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे मंत्रालय को लिखा है कि कम्पनी को बाध्य किया जाए कि वह इस लाइन को चलाते रहें और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हों तो रेलवे मंत्रालय स्वयं इस लाइन को अपने प्रबन्ध में ले ले। लेकिन उन्होंने इन दोनों व्यवस्थाओं में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या यह सम्भव नहीं है कि सरकार इसे ले ले और स्वयं चलाए?

श्री रामधारी शास्त्री—

इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को यह उत्तर दिया है कि उसके लिए यह सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या रेलवे मंत्रालय को इस बात की शिकायत है कि इस क्षेत्र में बसों के इतने अधिक परमिट दे दिये गये हैं कि रेलों से आवागमन कम होता है अपेक्षाकृत बसों के, और फलस्वरूप रेलवे को घाटा होता है, इसलिए अगर रेगुलेट किया जाए बस ट्राफिक को रेलवे ट्राफिक से, तो उनके लिए यह मुमकिन होगा कि वह विचार करें कि इसको वह चलायें?

श्री रामधारी शास्त्री—

इस स्थिति का सामना करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में लिखा गया कि वह खुद चलायें या कम्पनी को मजबूर करें कि वह चलाएं, लेकिन वहां से नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ। श्री गुलजारी लाल नन्दा, रेल मंत्री का जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें यह सुझाव दिया गया है कि छंटनी किए गए कर्मचारियों को राज्य सरकार रोडवेज में नौकरी दे अथवा इन्हें बस चलाने के लिए परमिट दे अथवा सहारनपुर–शाहदरा लाइन के साथ चलने वाली सड़कों पर बसों के चलाने के परमिट समाप्त कर दिये जायं या कम कर दिये जायं, जिससे छंटनी किये गये कर्मचारियों की एक सहकारी समिति द्वारा यह लाइट रेलवे चलाई जा सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या सरकार ने इस बात का कोई प्रबन्ध किया है कि बस के परमिटों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाय कि रेलवे का घाटा कम हो? इस पर विचार करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)—

पहली सितम्बर से पहले के जितने परमिट थे, वहां तक कायम रखे जा सकते हैं, बशर्ते यह रेलवे लाइनें वैसे ही चलती रहें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी निकाले गये हैं उनकी संख्या क्या है? और क्या सरकार उनको अपनी सर्विस में लेने की व्यवस्था करेगी?

श्री रामधारी शास्त्री—

इनकी संख्या १,२०० है, लेकिन इन्हें रोडवेज विभाग में लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह सम्भव नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार केन्द्र सरकार से प्रार्थना करेगी कि वह कम्पनी को इसके चलाने के लिए विवश करे?

श्री रामधारी शास्त्री—

प्रदेशीय सरकार ने कई पत्र लिखे थे, लेकिन वहां से नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार को पता है कि इस लाइन के बन्द होने से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर शाहदरा आदि के व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा हो गई है? उनकी ओर भी क्या सरकार का ध्यान गया है?

श्री रामधारी शास्त्री—

गया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बसों की परमिशन दी गई है, ताकि उनकी परेशानियां समाप्त हों।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

केन्द्र द्वारा बसों के परमिट कर्मचारियों को देने की जो बात कही गई है, वह बिलकुल अव्यवहारिक है, कर्मचारी बसों के परमिट नहीं ले सकते हैं, न चला सकते हैं, तो क्या मुख्य मन्त्री जी कोई आश्वासन देंगे कि इन्हें उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

मेरी समझ में रेलवे और रेलवे कर्मचारी की केन्द्रीय जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि कोई उद्योग या कोई भी कन्सर्न जो केन्द्र से अनुशासित रहा है, केन्द्र की देख-रेख में रहा है, अगर वह किसी वजह से बंद होता है तो केन्द्र की जिम्मेदारी उससे समाप्त नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे गरीब प्रदेश पर इस तरह से इस उत्तरदायित्व को लादा न जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी हमारा इस बारे में समर्थन करेंगे कि हम पर यह बोझ लादा न जाय।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, जो एम्प्लाइज ने सरकार से बातचीत की वह यह कि कोआपरेटिव बेसिस पर इसको चलाने की बात कही जाय, तो सहकारिता को प्रोत्साहित करते हुए, और जो आप की समस्या है उसका निराकरण हो जाय, इसका प्रयास करेंगे कि एम्प्लाइज को चलाने की इजाजत सेंट्रल गवर्नमेन्ट से मिल जाय।

श्री रामधारी शास्त्री—

कर्मचारियों ने जो अपनी मांग केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी है, प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर दे दिया गया है कि सहकारी समिति यदि रेलवे चलाये तो रेलवे बन्द होने से पहले जितनी संख्या में बसें चलती थीं उतनी चलाएंगे, जरूरत होगी तो और कम कर देंगे और प्रदेश सरकार जो उचित और सम्भव उपाय होंगे करेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसी अंचल में रेलवे लाइन चलाने का प्रयास किया गया है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर यह भार डाला जाय। तो उसी से सम्बन्धित यह प्रश्न होता है, उस पर प्रयास हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह तो अधिकार चेयर का है न कि मंत्री जी का।

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर तो देना ही है।

श्री रामधारी शास्त्री—

इस तरह की कोई योजना प्रदेश सरकार के विचाराधीन न पहले थी न अब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो इतने छंटनीशुदा कर्मचारी हैं ये सब रेलवे के टेक्निकल कर्मचारी हैं, क्या प्रदेश की सरकार भारत सरकार पर दबाव डालेगी कि जो ये टेक्निकल लोग हैं इनको रेलवे के काम में लगाने की कोशिश रेलवे मंत्रालय करे ?

श्री रामधारी शास्त्री—

मुख्य मंत्री जी ने पहले ही लिखा है कर्मचारियों के सम्बन्ध में कि आप अपने यहां खपाने की कोशिश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य बस्ती ने, जो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में बिना आप की प्रतीक्षा किए हुए यह कह सकते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं कह सकते। इसी लिए मैंने कहा, आप को उत्तर तो देना ही है। मैंने इशारतन बाद को कह दिया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या कोई कानूनी बाधा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि इस रेलवे को लेकर अपने अधीन चलाये, पब्लिक सेक्टर में, प्रदेश में रेलवे लाइन। इसके लिये धन की व्यवस्था फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से करके चलाई जाय, तो क्या कोई कानूनी बाधा है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मेरी समझ में कोई व्यवसाय और उद्योग का काम खूब समझ कर करना चाहिये। पब्लिक मनी इसमें लगता है। चाहे कर्ज भी हो, उसका दायित्व सरकार पर होता है। इस वास्ते हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, उस के लिए हमारे पास अनुभव तो है नहीं। जिनको उसका अनुभव है वह उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वह जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। यह कहां का न्याय है कि जो जिम्मेदारी ले सकता है, जो बड़ी सरकार है, जिसके पास इतने साधन हैं, उसको न कहा जाय और हमसे कहा जाय कि हम चलाएं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोई कानूनी बाधा है इसमें ? मैं समझता हूं कि कोई कानूनी बाधा इसमें नहीं है।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

हमको परमिट और लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट आफ इंडिया से।

चीनी उद्योग का अधिग्रहण

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को सरकार के अधिकार में लेने के तरीके तथा उसमें सन्निहित विभिन्न समस्याओं पर जांच कर रही भूतपूर्व सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि वर्तमान राज्य सरकार भी चीनी मिलों को अपने अधिकार में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में और इसका कार्यान्वयन कब तक होगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सरकार ने फरवरी, १९७० में चीनी उद्योग अधिग्रहण के सम्बन्ध में जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट जून, १९७० में प्रस्तुत की। वह रिपोर्ट गोपनीय है। अतः उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का सरकार का अभी विचार नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने एक शुगर इन्क्वायरी कमीशन नियुक्त किया है जो चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को देखते हुए, इस उद्योग की समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करेगा। कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तक सरकार का चीनी उद्योग के अधिग्रहण के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि समिति की रिपोर्ट जो अब तक गोपनीय है, कब इस सदन के पटल पर रक्खी जावेगी ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

रिपोर्ट को इक्जामिन किया जा रहा है। उसके बाद ही यह संभव हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या सरकार को सूचना है कि मुख्य मंत्री जी ने सितम्बर के अन्त में जो वक्तव्य सार्वजनिक रूप से दिया था उसमें इस रिपोर्ट का कोटेशन दिया था और उस सार्वजनिक वक्तव्य के कारण जिसमें कहा गया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट में चीनी मिलों के अधिग्रहण की सिफारिश की है लेकिन डबली इन्श्योर करने के लिये कि यह चीनी मिलें ले ली जायं उन्होंने केन्द्र से भी एडजस्टमेन्ट के लिये कहा है। यह उन्होंने समिति की मुख्य सिफारिश घोषित कर दी है तो इस सार्वजनिक वक्तव्य को देखते हुए मुख्य मंत्री जी रिपोर्ट को सदन की पटल पर रक्खें।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

क्या ऐसा मैंने सितम्बर के महीने में कहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था जिसमें रिपोर्ट को कोट किया गया था कि रिपोर्ट में चीनी मिलों के टेक ओवर को रिकमेन्ड किया है लेकिन डबली इन्श्योर करने के लिये केन्द्र से भी कार्यवाही करने को कहा है। तो ऐसी हालत में यह रिपोर्ट अब गोपनीय नहीं रही, इसलिये क्या इसको सदन की मेज पर रक्खा जावेगा ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मैंने पहले ही कहा है कि मामला विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या यह सही है कि सितम्बर में मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस कमेटी की मुख्य सिफारिश को घोषित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों को ले सकती है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जो हमारे एडवोकेट जनरल ने बतलाया है उसके अनुसार हमारे अधिकार में यह नहीं है कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकें। इसमें मतभेद है और वहां के अटार्नी जनरल ने राय दी है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि वास्तव में यदि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि इसका राष्ट्रीयकरण हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये

कि वह वहां से इस बारे में प्रस्ताव पास कर दें कि हमको अधिकार का डेलीगेशन हो सके क्योंकि कानूनी अड़चन को बचाना अच्छा होता है। तो उनको ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं थी। फिर उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की है तो वाजिब यह है कि उसकी रिपोर्ट के लिये इंतजार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा प्रश्न दूसरा था .....

(व्यवधान)

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। एक आदमी चार प्रश्न करने के बाद और कितने प्रश्न कर सकता है?

श्री अध्यक्ष—

कोई प्रश्न अगर पूरी तरह से समझ में नहीं आता है तो स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण की ही बात थी।

श्री मैनेजर सिंह—

आपको इसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं थी। आपको व्यापक अधिकार हैं, आज जिसको चाहें बुलावें, जिसको न चाहें न बुलावें। आप तो इस सदन के सदरे रियासत हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सरकार ने यह उत्तर दिया कि रिपोर्ट गोपनीय है और इस सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती। मेरा कहना यह है और प्रश्न का आधार भी यह है कि मुख्य सिफारिश घोषित हो चुकी है। मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक वक्तव्य में रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश का एलान कर दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में सितम्बर के महीने में यह घोषित किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों को ले सकती है।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

मेरा जो खयाल है वह यह है कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आपने वक्तव्य दिया या यह पहले का था?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

इनका रेफरेन्स पहले का है। मेरा ऐसा खयाल है कि हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री ने कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया था कि रिपोर्ट जारी की जायगी। वह उसको गोपनीय रखे हुए थे। किसी विशेष प्वाइन्ट पर कोई बात कही, यह अलग बात है। लेकिन रिपोर्ट ऐज ए होल गोपनीय रखी गयी।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि चूंकि इंडस्ट्री और फैक्टरी केन्द्र का विषय है और अगर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा तो गन्ने का मूल्य भी केन्द्र ही तय करेगा, इसलिये यह केन्द्र से मांग करें कि यह इंडस्ट्री सरकार को सौंप दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो वह दे चुके। उन्होंने अधिकार मांगा है लेकिन उन्होंने दिया नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री जी को जानकारी है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता, जी ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी और केन्द्रीय कृषि मंत्री को १९६९ में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक पत्र लिखा था ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब पूरक प्रश्न उठाये जाते हैं तो उनके उत्तर में यह कहना कि जानकारी नहीं है, कहां तक ठीक है। क्या वे यह कर कर छुट्टी पा सकते हैं कि मैं जानकारी नहीं रखता ?

श्री अध्यक्ष—

अगर नहीं मालूम है तो कह ही सकते हैं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय मुख्य मंत्री जी जो हाउस में बैठे हैं क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कार्य किया है उनको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

दुनिया भर की याद हमेशा तो रहती नहीं है।

श्री त्रिवेणी—

यह महत्वपूर्ण प्रश्न तो याद होना चाहिये।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, प्रश्नों की इतनी लम्बी लिस्ट है और अगर एक ही प्रश्न पर इतना अधिक समय ले लिया जायगा तो और प्रश्न किस प्रकार से पूरे किये जा सकते हैं ? कैसे काम होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इसको कम से कम दो घंटे की डिबेट का टाइम दिया जाना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

महर्षि दधीचि विद्यालय, मिश्रिख के प्रधानाचार्य द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का विक्रय

*१—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महर्षि दधीचि विद्यालय, मिश्रिख, जिला सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल परीक्षा की सादी परीक्षा उत्तर पुस्तकें बेची गईं और क्या इस प्रकार की उत्तर पुस्तकें, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रैल-मई, १९७० माह में प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रधानाचार्य की हस्ताक्षर के मोहर हैं? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

राज्य शिक्षा मंत्री (श्री विजय कुमार त्रिपाठी)—

महर्षि दधीच विद्यालय, मिश्रिख, सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल परीक्षा, १९७० की सादी उत्तर पुस्तकें नहीं बेची गई हैं। इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप-पत्र या उत्तर पुस्तिका, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः इस विषय में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर बहुत से लोग कुछ कहना चाहेंगे और पूंछना चाहेंगे। इस कारण इस प्रश्न के लिये १, २ घंटे का समय निर्धारित कर दें।

श्री मैनेजर सिंह—

इस प्रश्न पर एक दिन खुल कर पूरी बहस होनी चाहिये, वाद-विवाद होना चाहिये। अगर इस पर पूरे दिन बहस होगी तभी सभी चीजें खुल सकेंगी, सब की कलई खुल सकेगी।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, पूरा एक दिन चाहिये चीनी मिलों के ऊपर क्योंकि चीनी मिलों के मालिक इस देश की राजनीति का संचालन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह तो दिया। नेता विरोधी दल ने जो बात कही वह मैंने स्वीकार कर ली।

एक सदस्य—

श्रीमन्.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपको शासक पार्टी की परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये। इस तरह से बीच में न बोलें।

श्री विजय कुमार त्रिपाठी—

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है। कहिये तो दुबारा पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिये। पहले वाला उत्तर कुछ सुनाई नहीं पड़ा था।

(मन्त्री जी ने उत्तर को दुबारा पढ़ा)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपके पड़ोस में हल्ला हो रहा है।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, आपने पिछली बार यह आश्वासन दिया था कि ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे सभी माननीय सदस्य ठीक से सुन पायेंगे। लेकिन दुख है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई और आज भी वही परिस्थिति है। एसेम्बली के हर सदस्यों को जो प्रश्न का उत्तर दिया जाय या जो बात की जाय उसके सुनने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त रहने दीजिये, बाद में देखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह शंका व्यक्त की थी कि अगर इधर वाले लोग चाहेंगे तो सरकारी बेंच वाले बात नहीं कर पायेंगे। आज मुझे उसी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य इस ढंग से खड़े हो कर कोई इस तरह की बात नेता विरोधी दल के प्रति कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा, हालांकि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी का उत्तर नकारात्मक है, फिर भी कृपा करके इसकी जांच करवा लें। एक रजिस्ट्री सीतापुर से भेजी गई जिसमें कापियां थीं, वह वहां पर पहुंची हैं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि रजिस्ट्री बिल्कुल खाली थी, केवल उसमें सादे कागज थे। मेरा अनुरोध है कि आप इसमें जांच करवायेंगे क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जितनी सूचना शासन को थी उसी के अनुसार उत्तर दे दिया गया। अगर आपको संदेह है और आप इस तरह की कोई दरख्वास्त भेजेंगे तो जांच भी हो जायगी। हम सत्य को जानने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री रामगोपाल संड—

यह मामला बड़ा गम्भीर है, श्रीमन्। प्रति वर्ष ३०—३५ हजार लड़का नकल करता हुआ पकड़ा जाता है। सुनने में आया है कि वहां के गजटेड आफिसर खुद लड़कियों की कापी मंगवाकर नकल करवाते हैं। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस विशेष घटना को देखते हुये एक विशेष जांच करवा ली जाय। आज जो लड़का ईमानदारी से उत्तर देता है वह दंडित होता है और दूसरी ओर इस प्रकार से केन्द्र से सादी कापियां गायब हो जाती हैं और कह दिया गया कि सादे कागज आये हैं।

श्री श्रीपति मिश्र—

सादा कागज की कोई बात नहीं है। सिर्फ एक प्रश्न यह किया गया था कि क्या सादी उत्तर पुस्तकें बेची गईं परीक्षा की। जवाब में कहा गया कि नहीं। इसके बाद भी यह शंका है कि इसमें फिर जांच की आवश्यकता है, तो फिर जांच करवा ली जायगी।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि ऐसी कापियां नहीं बेची गयीं तो क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच उन्होंने अपने किस अधिकारी के द्वारा कराई? जैसी मेरी जानकारी है कि कापियां बेची गयीं तो क्या मंत्री महोदय फिर से किसी वरिष्ठ अधिकारी से डायरेक्टर अथवा असिस्टेंट डायरेक्टर आफ एजूकेशन के जरिये से सारी जांच करायेंगे कि सारे प्रदेश में इस प्रकार की कापियां हेड मास्टर अथवा मैनेजिंग कमेटी के मैनेजर बेचा करते हैं।

श्री श्रीपति मिश्र—

इस तरह के कथन पर कि आम तौर से सारे प्रदेश के प्रबन्धक अथवा हेड मास्टर कापियां बेचा करते हैं इस पर जांच नहीं कराई जा सकती। कोई स्पेसिफिक बात होगी तो जरूर जांच करायेंगे।

श्री चेतराम गंगावार—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यह जांच किसके द्वारा कराई गयी?

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में इसे पूछ लीजियेगा। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को इजाजत दे दी है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

जैसा अभी माननीय सदस्य ने बतलाया कापियां रजिस्टर्ड भेजी गयीं इस बात को देखते हुए मामला बहुत गम्भीर है तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि उनको इस बात का पता है कि अप्रैल, मई, १९७० में सीतापुर से कोई रजिस्ट्री शिक्षा विभाग, इलाहाबाद को गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

रजिस्ट्री से कापियां भेजी गयीं यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, यह प्रश्न अलग है। इसमें पूछा गया है कि सादी कापियां बेची गयीं तो बेची जाने के बारे में उत्तर है कि नहीं बेची गयीं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि क्या इस प्रकार की उत्तर पुस्तकें सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रैल, मई, १९७० माह में प्राप्त हुई हैं— आप इसकी इन्क्वायरी कर लें।

श्री श्रीपति मिश्र—

जितनी कापियां उस विद्यालय को भेजी गयी थीं उनमें जितनी इस्तेमाल हुई उन दोनों बातों की सूचना हम को प्राप्त हो गयी है, इस लिये कोई कापी बेचे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री चेतराम गंगावार—

कापियां नहीं बेची गयीं इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

किस अधिकारी ने जांच की उसका नाम नहीं बतलाया जा सकता। जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

इस प्रश्न से साफ है कि अप्रैल, मई, १९७० में इलाहाबाद कापियां रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयीं तो क्या शिक्षा मंत्री जी बतलावेंगे कि क्या कोई रजिस्ट्री सीतापुर जिले से मई, अप्रैल, १९७० में भेजी गयी थी ? इसकी जानकारी नहीं है तो वह पता लगायेंगे कि रजिस्ट्री कैसी थी और उसमें कैसे कागज थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो ५७०० कापियां थीं उनमें दो तरह की कापियां थीं। दोनों तरह की कापियों में जो इस्तेमाल हुई और जो बच गयीं उन सब का वहां हिसाब मिला और जांच में सब मौजूद मिलीं, इसलिये किसी के बेचने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री निसार अहमद, प्रसार अध्यापक, जिला बस्ती का बकाया वेतन

*१—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निसार अहमद, प्रसार अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल बमनौली, जिला बस्ती को २६ महीने से साढ़े छः हजार रुपया वेतन का नहीं दिया गया है? क्या अध्यापक ने कई प्रार्थना-पत्र उच्चाधिकारियों को दिया है तथा दिनांक २९ अप्रैल, १९७० को माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय शिक्षा एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा जिला अधिकारी, बस्ती एवं ५ अन्य उच्चाधिकारयों को पत्र लिख कर दिनांक ३० मई, १९७० ई० को १० बजे दिन से भूख हड़ताल करने की सूचना दी है ? यदि हां, तो सरकार अब कौन-सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विजयकुमार त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अध्यापक का प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ है।

२६ माह का नहीं, बल्कि लगभग ९ महीने की अवधि के वेतन का मामला था। इसम से चार महीने के वेतन का भुगतान किया जा चुका है और एक महीने के देय वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा। शेष चार महीने के वेतन का भुगतान उस समय किया जायेगा जब अध्यापक अपना सम्पूर्ण चार्ज दे देगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री निसार अहमद, प्रसार अध्यापक, का जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है ? क्या मंत्री जी उसे सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री निसार अहमद के किसी शिकायती पत्र की हमें तो कोई सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री निसार अहमद के रुपये की अदायगी की जो तीन किश्तें कर दी गई हैं उसके सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निसार अहमद का जितना रुपया वाजिब था उसको तीन हिस्सों में बांटकर अदायगी करने का क्या कारण था?

श्री श्रीपति मिश्र--

इसमें जो निसार अहमद का प्रश्न है वह २६ महीने के वेतन का था। ९ महीने का उनका बकाया था। इस बीच उनका कोई आवेदन पत्र भी नहीं आया और भी कुछ ऐसी बातें हो गई थीं। कुछ चीजें गायब हो गयी थीं। जो उनके ऊपर चार्जेज थे उसे पूरा होने पर उनका बकाया रुपया दे दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा तो सीधा-सीधा प्रश्न था कि लगभग ९ महीने का रुपया श्री निसार अहमद का बाकी था उसमें से ४ महीने का अदा कर दिया गया और ४ महीने का आगे अदा कर दिया जायेगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको जिस रुपये की अदायगी करना वाजिब था उस अदायगी को तीन हिस्सों में क्यों बांट दिया गया। वह अदायगी इकट्ठे न देने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र--

मैंने यह माना है कि ९ महीने के वेतन का मामला है। जो-जो समझ में आता गया वह उसको अदा किया गया या जो दिया जाने वाला था वह उन्हें दिया गया और जो बकाया है वह बकाया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनको कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और इस प्रश्न में यह चीज डेफिनेट है कि श्री निसार अहमद ने शिकायती प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को दिया है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे उस शिकायती पत्र का क्या हुआ? वह कहां गया?

श्री श्रीपति मिश्र--

जहां तक जानकारी है, नहीं हुई?

इलाहाबाद के डा० मार्डन घोष कालेज, ग्राम महिला विद्यापीठ आदि कालेजों के अध्यापकों का बकाया वेतन

*२--श्री राम गोपाल संड--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० मार्डन घोष कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों को गत पांच माह से वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो सरकार कब उन्हें बकाया वेतन दिला देगी? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम महिला विद्यापीठ, सूबेदारगंज, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद के कई लड़कियों के कालेजों में गत चार माह से अध्यापकों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है? इन लड़कियों के कालेजों के क्या नाम हैं? उन्हें महंगाई भत्ता कब मिल जायेगा?

श्री विजय कुमार त्रिपाठी---

डा० मार्डन घोष कालेज के अध्यापक का वेतन पांच माह का बाकी है। यह बकाया वेतन कालेज के लेखे में धन उपलब्ध होने पर ही दिया जा सकेगा। धन उपलब्धी के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। ग्राम महिला विद्यापीठ सूबेदारगंज, इलाहबाद की अध्यापिकाओं तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों को जून, १९७० की सूचना के अनुसार क्रमशः फरवरी तथा मार्च, १९७० तक के महंगाई भत्ते का भुगतान हो चुका है। अवशेष महंगाई भत्ते का भुगतान शीघ्र होने की आशा है। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ गिरजानंदिनी आदर्श कन्या पाठशाला को छोड़कर इलाहाबाद में अन्य ऐसा कोई लड़कियों का विद्यालय नहीं है जहां अध्यापिकाओं का गत चार माह का महंगाई भत्ता बकाया हो।

श्री रामगोपाल संड---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ महीने से डाक्टर मार्डन घोष कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों को वेतन नहीं मिला है और जिला विद्यालय निरीक्षक देते हैं और यह प्रबन्ध समिति के कब्जे में नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में फीस जमा होती है तो उनको वेतन न मिलने का कौन सा कारण है और कब तक उनको ५ महीने का वेतन मिल जायेगा? क्या वह पत्र आपके पास नहीं पहुंचा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको ९ महीने का वेतन नहीं मिला है?

श्री अध्यक्ष---

इसमें यह है कि अध्यापक का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। शिकायती पत्र का उल्लेख नहीं है। तो हो सकता है उसी प्रार्थना-पत्र में कुछ न कुछ शिकायत भी लिखी हुई हो। तो वे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है?

श्री श्रीपति मिश्र---

यह तो उत्तर में ही है कि शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

श्री सुखपाल पांडेय---

तो मैं यह चाहता हूं कि वह जो प्रार्थना-पत्र है उसको क्या माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे? उसमें क्या लिखा है?

श्री श्रीपति मिश्र---

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा है तो जैसी आपकी आज्ञा होगी, वह आपको दिखा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

वही वे कह रहे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र---

मैं इस समय उसे नहीं बता सकता हूं क्योंकि इस समय उसकी अपेक्षा नहीं थी।

श्री सुखपाल पांडेय---

मूल प्रश्न तो यही था कि जो पत्र शासन को प्राप्त हुआ है उसका विषय क्या है? उसे मंत्री जी पढ़कर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

वह पत्र उनके पास इस वक्त नहीं मालूम होता है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि..... ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा कि आप उसको प्रार्थना-पत्र समझते हैं लेकिन वे शिकायती पत्र समझते हैं तो उसके पढ़ने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

(शिक्षा मन्त्री से) आपके पास पत्र मौजूद है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरे पास इस समय पत्र मौजूद नहीं है और न मौजूद होने का कोई कारण है। यदि आप आज्ञा देंगे तो उसको मंगा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न के दूसरे भाग में स्पष्ट पूछा गया है कि क्या अधिकारियों को उनका ऐसा पत्र मिला जिसमें भूख हड़ताल का जिक्र किया गया है। इसके अलावा और कौन से नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह—

दूसरे भाग में पूरी सूचना मांगी गई है तो फिर मंत्री जी कौन सी सूचना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वे कोई सूचना नहीं चाहते।

श्री श्रीपति मिश्र—

जो प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने जवाब दे दिया। अब यह पत्र इम्मटीरियल है। यदि आप चाहते हैं तो मैं मंगवा दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह—

आप कोई व्यवस्था दीजिये कि मंत्री लोग तैयार होकर आयें।

श्री अध्यक्ष—

तैयार होकर आयेंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

जब उसका जिक्र है तो उसका उनको उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप वह पत्र चाहते हैं तो फिर वे दे देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भूख हड़ताल ३० मई, १९७० से होने वाली थी वह हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अपने प्रश्न की टीका मत किया करिये ।

श्री श्रीपति मिश्र—

यह बात सही है कि वेतन देने की जिम्मेदारी डी० आई० ओ० एस० वगैरह की थी और ५ महीने का बकाया रहा । कारण यह मालूम होता है कि उसमें कुछ अध्यापकों की नियुक्ति सैंकशन्ड स्ट्रेन्थ से ज्यादा हो गई थी । लेकिन मैं इतना माननीय सदन के सामने स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वास्तव में अगर कुछ और ढंग से कार्य किया गया होता तो यह परिस्थिति न पैदा होती और इसके सम्बन्ध में भविष्य में कार्यवाही की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी वेतन दिलाया जा सके ।

श्री रामगोपाल संड—

बालिका विद्यालय डिग्री कालेज है जहांपर मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि फरवरी और मार्च के महीने में विद्यालय के प्रबन्धक के अनुदान ले लिया है लेकिन ९ महीने हो गये, इतने बड़े डिग्री कालेज के लगभग १०० अध्यापकों को महंगाई भत्ता किन कारणों से अभी तक नहीं दिया गया और वह कब तक कृपा करके उसे बंटवा देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने निवेदन किया कि जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया है वहां की व्यवस्था में कुछ खराबी है और हम तत्काल उसको दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

बड़े नगर के अन्दर भी पांच-पांच महीने वेतन नहीं मिलता है और लड़कियों की अध्यापिकाओं को ९–९ महीने महंगाई भत्ता नहीं मिलता, तो क्या सरकार जो ७ सूत्री कार्यक्रम है उसके अनुसार सरकारी खजाने से वेतन दिलाने का विधेयक इसी सत्र में लाने की कृपा करेगी ? मंत्रीजी ऐसा आश्वासन देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं आपको निश्चित रूप से आश्वासन देता हूं कि अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में मैं कोशिश करूंगा कि इसी सत्र में विधेयक आ जाय ।

श्री चेतराम गंगवार—

जिन अधिकारियों के कारण गरीब अध्यापकों को ५–५, ६–६, महीने का वेतन नहीं मिला, तो क्या इसकी जांच करा के माननीय मंत्री जी कोई दंड की व्यवस्था करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बतला दिया ।

बदायूं, कानपुर तथा फतेहपुर के राजकीय इन्टर कालेजों में उर्दू टीचरों की व्यवस्था

*३—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह मालूम है कि बदायूं, कानपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर के गवर्नमेन्ट इन्टर कालेजों में अब तक उर्दू टीचर का इन्तजाम नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विजयकुमार त्रिपाठी—

राजकीय इन्टर कालेज, बदायूं, कानपुर तथा फतेहपुर में उर्दू अध्यापकों का प्रबन्ध है। फिरोजाबाद में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल है। इस विद्यालय में उर्दू अध्यापिका की मांग नहीं है। फिरोजाबाद में कोई राजकीय इन्टर कालेज नहीं है।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

मैं कानपुर से मुन्तखिब हूं और कानपुर और फतेहपुर के सिलसिले में जाती इल्म इस बात का रखता हूं कि वहां के गवर्नमेंट इंटर कालजों में उर्दू टीचर का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है बल्कि कानपुर गवर्नमेंट इंटर कालेज में जब तुलबा उर्दू टीचर की डिमांड करते हैं तो वहां के प्रिन्सिपल ने उनको बंगाली लेने पर मजबूर किया और यह कहा कि अगर बंगाली न लें तो आप कालेज छोड़ दें। तो वह लोग जिन्होंने यह गलत इन्फार्मेशन दी है आपको, क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर तो दे दिया था उन लोगों ने और वह उत्तर पढ़ कर सुना दिया। अब यह तो एक नई बात है कि उनको बंगाली लेने के लिये कहा गया या कालेज छोड़ देने के लिये कहा गया। अगर आप यह लिखित दे देंगे तो जांच करा लूंगा।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

मंत्रीजी ने जितने भी जवाबात दिये वह बिला प्रिपरेशन के दिये हैं। यह जो इन्फार्मेशन आपने दी है मैं इसको चैलेन्ज करता हूं कि गवर्नमेंट इंटर कालेज, कानपुर में कोई उर्दू टीचर नहीं है। अगर यह इन्फार्मेशन आपको गलत मिली है तो उन जिम्मेदारान को जिन्होंने आपको इत्तला दी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि आप लिखकर भेज दें कि यह बात गलत है तो उसकी जांच करके कार्यवाही करेंगे।

महर्षि इन्टर कालेज, मिश्रिख के विरुद्ध शिकायतें

*४—श्री अवधेश कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि सीतापुर जिले के महर्षि इन्टर कालेज, मिश्रिख के प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट तथा क्षेत्रीय विधायक ने भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं और इस भ्रष्टाचार में क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर भी शामिल हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या जांच हुई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विजयकुमार त्रिपाठी—

जो हां, किन्तु आरोपों एवं भ्रष्टाचार में जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल नहीं है। आडिट रिपोर्ट के आधार पर जांच करने के पश्चात् विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री अवधेश कुमार—

यह साधिकार नियंत्रण कब हुआ और किसके सुपुर्द किया गया है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति नवम्बर, १९७० में कर दी गयी है।

श्री अवधेशकुमार—

ऐडमिनिस्ट्रेटर कौन मुकर्रर हुये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

नवम्बर, १९७० में नियुक्त हुये हैं। नाम के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री अवधेशकुमार—

जो कालिज के कागजात उन्होंने लिये हैं तो कोई फेहरिस्त है कि कौन-कौन से कागजात सरकार के कब्जे में आ गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

किन कागजात के बारे में प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री अवधेशकुमार—

कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे, आय-व्यय के झगड़े थे, कैश बुक का झगड़ा था। तो सारी बातें मालूम होनी चाहिये कि ये सारे कागजात सरकार के जो ऐडमिनिस्ट्रेर मुकर्रर हुये हैं उनके कब्जे में आ गये हैं या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने अर्ज किया कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटर अभी अप्वाइंट हुये हैं और वहां के जो पूरे कागजात थे और जो कार्यवाही करनी है सब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है।

राजकीय देवीसिंह डिग्री कालेज, नैनीताल के अध्यापकों की योग्यतायें

*५—श्री राम कुमार शास्त्री तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शैक्षिक वर्ष १९६९–७० राजकीय देवीसिंह डिग्री कालेज, नैनीताल में डिग्री शाखा तथा इन्टरमीडिएट शाखा में कौन-कौन अध्यापक किस-किस योग्यता तथा अनुभव के नियुक्त किये गये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ २८८–२८९ पर)

*६—श्री रामकुमार शास्त्री तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या इस प्रकार की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। इन पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा होती हैं और चूंकि आयोग द्वारा चुने व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे इस कारण इन लोगों की नियुक्तियां तदर्थरूप से कर ली गई हैं।

जिला परिषद्, बांदा के अध्यापकों का बकाया वेतन

*७—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी), श्री बांके लाल (जिला देवरिया) श्री हरिवंश सहाय तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, बांदा के अन्तर्गत चलने वाले प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में कुल कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने अध्यापकों को कितने-कितने माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया उनके वेतन भुगतान के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

३१ मई, १९७० के आंकड़े के अनुसार जिला परिषद्, बांदा के अन्तर्गत चलने वाले प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में क्रमशः २५२१ व ५१० अध्यापक कार्य कर रहे हैं। इनके वेतन का भुगतान जून, १९७० तक का किया जा चुका है, अवशेष महीनों के वेतन-भुगतान हेतु व्यवस्था की जा रही है।

*८—श्री शिव कैलाश, श्री बांके लाल, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त जिला परिषद् के स्कूलों में कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें जिला परिषद् द्वारा इसी वर्ष नियुक्त किया गया और अब उन्हें यह कह कर उनका सारा वेतन नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग राज्य सरकार द्वारा अनुस्वीकृत नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इन अध्यापकों के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? और इनकी संख्या क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। उक्त जिला परिषद् में जुलाई, १९६९ से मार्च, १९७० तक कुल ४०९ अदीक्षित अध्यापक अनियमित ढंग से भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये थे जिसके कारण इनके वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। अभी इनके वेतन भुगतान का मामला विचाराधीन है।

*९—श्री हिम्मत सिंह—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*११—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

रुद्रप्रयाग स्थित जूनियर कन्या विद्यालय को राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रुद्र प्रयाग नगर गढ़वाल में जिला परिषद् द्वारा संचालित जूनियर कन्या विद्यालप को राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय बनाने

सम्बन्धी प्रतिवेदन वहां के नगर जनसंघ प्रधान का मध्यावधि चुनाव के बाद प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

जसवन्त चीनी मिल, जिला मेरठ के राधना गन्ना क्रय केन्द्र के अवशेष गन्ने की सप्लाई

*१३—श्री मंजूर अहमद (जिल मेरठ), श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मलियाना मिल, मेरठ का राधना सेंटर किस तारीख को चालू किया गया था और किस तारीख को बन्द कर दिया गया ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के मवाना व मेरठ तहसील में करोड़ों मन गन्ना खेत में पड़ा सूख रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त खड़े गन्ने की सप्लाई के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

जसवन्त चीनी मिल, मलियाना जिला मेरठ का राधना गन्ना क्रय केन्द्र यातायात की कठिनाइयों के कारण सीजन १९६९–७० में ७–३–७० को चल सका और १४–७–७० को उक्त चीनी मिल के बन्द होने के साथ ही बन्द हो गया ।

मवाना व मेरठ तहसीलों के क्षेत्र से संबंधित गन्ना समितियों द्वारा सीजन १९६९–७० में मलियाना, मोहिउद्दीनपुर व मवाना चीनी मिलों को क्रमशः २२–९७, ११.०५ व ५०.१९ लाख क्विंटल अर्थात् कुल ८४.२१ लाख क्विंटल गन्ना पूर्ति हुआ और अनुमानित शेष वास्तविक उपलब्ध गन्ने की मात्रा उक्त क्षेत्रों में क्रमशः १.५०, १.००, एवं ०.०५ लाख क्विंटल है ।

उपरोक्त अवशेष गन्ने की मात्रा को सीजन १९७०–७१ में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति कराने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

बुलन्दशहर–सूरजपुर–छलेरा सड़कों का निर्माण

*१४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की दादरी, सूरजपुर, छलेरा रोड जिसका मार्ग बरोला होकर था और जिसकी भूमि में चकबन्दी में गांवों से ८ वर्ष पूर्व ली जा चुकी है और सड़क भी पुख्ता बरोला के निकट तक बन चुकी है, अब अचानक नया मार्क बदला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारी लाल—

शासन द्वारा स्वीकृत दादरी सूरजपुर छलेरा सड़क ग्राम सलारपुर तक बन चुकी है । इस सड़क को दिल्ली सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है प्रस्तावित नई सड़क के संरक्षण पर विचार हो रहा है । वैकल्पिक संरक्षणों में से जो संरक्षण सबसे उत्तम पाया जायगा उसको अपनाया जायगा ।

सुहाना माइनर, जिला मेरठ का चालू होना

*१५—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि साख सुहाना रजबहा, जिला मेरठ, डिवीजन बुलन्दशहर में गत दो माह से एक दिन भी पानी नहर में नहीं पहुंचा ? इससे कई गांव के किसान ग्रस्त हैं और फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की कि जिससे पानी पहुंच सके ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

प्रथम भाग—सुहाना माइनर अप्रैल, १९७० में १६ दिन तथा मई, १९७० में २५ दिन सिंचाई के लिये चलाई गई थी।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है।

राबर्ट्सगंज बन्धी डिवीजन में बंधियों का निर्माण

*१६—श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के राबर्ट्गंज बन्धी डिवीजन में बनने वाली योजनाओं के अन्तर्गत बन्धियां बनाई जा रही हैं ? उसको कार्यान्वित करने हेतु बिना टेंडर काल किये हुये कितने रुपयों में कितने एग्रीमेंट किये गये तथा ऐसा क्यों किया गया ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—केवल एक बन्धी में बिना टेण्डर मांगे निम्न धनराशि के तीन एग्रीमेंट किये गये :—

(१) १९०० रुपया
(२) ६२४० रुपया
(३) २७१३ रुपया

प्रश्न का तृतीय भाग—कार्य को शीघ्र वर्षा से पूर्व पूर्ण करना था और कार्य थोड़ा था इसलिये नियमानुसार टेण्डर नहीं मांगे गये।

*१७—श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजनाओं की क्या प्रगति हुई ?

श्री बलबीर सिंह—

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९० पर)

जिला अलीगढ़ के गोपी व लुधौवा ग्रामों में हैदरनगर रजबहे से अवैधानिक सिंचाई करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१८—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़, तहसील सिकन्दराराऊ के ग्राम गोपी व लुधौवा में रजबहा हैदरनगर की पटरी काट कर पतरौल ने अवैधानिक सींच कराई ? जिससे सरकार को लगभग २०,००० रु० की क्षति हुई और जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को अपने पत्र संख्या ६१६/डी/एस-आर०/६९-७०, दिनांक १ अप्रैल, १९६९ के द्वारा की थी ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रथम भाग—जी हां। अवैधानिक सींच से ६,२०६ रु० २७ पैसे की हानि हुई।

द्वितीय भाग—प्रश्न में उल्लिखित माननीय सदस्य का पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। किन्तु २ मई, १९६९ का उनका पत्र प्राप्त हुआ था।

*१९—श्री जगदीश गांधी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बलबीर सिंह—

जिम्मेदार व्यक्ति तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:

जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	पद	कार्यवाही का विवरण
श्री इन्द्राज सिंह	.. जिलेदार	चार्जशीट सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को भेज दी गयी है जिससे उसे श्री इन्द्राज सिंह को दी जा सके।
श्री महाबीर सिंह	.. अमीन	५५ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निवृत किया जा चुका है।
श्री रामचन्द्र	.. अमीन	चार्जशीट दी जा चुकी है। उनसे अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है।
श्री खेम करन	.. पतरौल	१—दो साल के लिये ५ रु० प्रतिमाह के दर से वेतन पतन। २—पांच वर्ष के लिये पदोन्नति से वंचित।
श्री रनपाल सिंह	.. पतलौर	कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है।
श्री मुंशीलाल यादव	.. पतरौल	
श्री होती सिंह	.. पतरौल	
श्री बेल प्रकाश	.. पतरौल	
श्री सीताराम	.. पतरौल	

मथुरा जिले की छाता तथा मथुरा तहसील में नहरों तथा माइनर निर्माण सम्बन्धी कार्य

*२०—श्री तेजपाल सिंह (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले की तीन तहसील मुख्यतः छाता और मथुरा का भूमिगत पानी खारी है और सिंचाई के योग्य नहीं है आगरा नहर केवल ३० प्रतिशत क्षेत्र को केवल रबी में पानी दे पाती है जिसके अतिरिक्त खेती की पैदावार बढ़ाने का कोई साधन नहीं है ? ऐसी दशा में खारी क्षेत्र की सिंचाई का सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, यह सत्य है कि मथुरा जिले की तहसील छाता व मथुरा का भूमिगत पानी खारी है और सिंचाई के योग्य नहीं है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

आगरा नहर द्वारा तहसील छाता व मथुरा में कुल कृषि योग्य क्षेत्र २८२८६५ एकड़ है जिसमें से औसतन ४३ प्रतिशत रबी की तथा २० प्रतिशत खरीफ की फसल को सींचा जाता है ।

प्रश्न का तृतीय भाग—

मथुरा जिले की उपर्युक्त दोनों तहसीलों को रामगंगा योजना से अतिरिक्त पानी देने के लिये १५४ मील वर्तमान नहरों का पुनरोद्धार तथा ५१ मील ३ फरलांग लम्बी नई नहरों का निर्माण कार्य होना प्रस्तावित है । इन तहसीलों में प्रस्तावित नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ३१३३० एकड़ अतिरिक्त कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ।

*२१—श्री तेजपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले के छाता तहसील की हुलवाना माइनर को रामगंगा से पानी मिलने पर ढाई मील और बढ़ाया जायगा ? यदि नहीं, तो इस माइनर की टेल से आगे के खारी पानी वाले भडौकर, बदनगढ़ और लोहरवारी गांवों की सिंचाई की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रथम भाग—

जी नहीं ।

द्वितीय भाग—

रामगंगा के परियोजना के अन्तर्गत महराना नाम की माइनर निर्माण के लिए प्रस्तावित है । इस माइनर के बाद ग्राम भडोखर, बदनगढ़, लोहरबारी आदि को सिंचन सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

फतेहपुर जिले में नहरों का एलाइनमेंट

*२२—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में रामगंगा नहर का एलाइनमेंट हो गया है जिसके कारण इस जनपद के ३४५ गांवों में चकबन्दी नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक एलाइनमेंट समाप्त होगा ?

श्री बलबीर सिंह—

फतेहपुर जनपद में रामगंगा नामक किसी नहर का एलाइनमेंट नहीं हुआ है । इस जनपद में पश्चिमी इलाहाबाद नामक नहर का एलाइनमेंट पूर्ण हो चुका है । अतः इसके कारण इस जनपद में चकबन्दी न कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में राजकीय नलकूपों की व्यवस्था

*२३—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, सन् १९७० तक राजकीय नलकूप बनाने के लिए फर्रुखाबाद जिले के किन-किन ग्रामों का सर्वे किया गया था ? और उनमें से क्या कुछ में राजकीय नलकूप बनाना स्वीकार हो गया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में और कब तक नलकूप बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक फर्रुखाबाद जिले के संलग्न सूची में उल्लिखित ग्रामों का सर्वे किया गया और उनमें से ८३ ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ३३ राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९१–२९३ पर)

*२४—श्री महरम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद डिवीजन में ऐसे भी राजकीय नलकूप हैं जो ६ माह से अधिक से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां कहां ? क्या सरकार उन्हें तुरन्त चालू करने के लिए कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

नलकूप प्रखंड फर्रुखाबाद में ऐसा कोई राजकीय नलकूप नहीं है जो ६ माह से अधिक से बन्द पड़ा हो ।

मेरठ जिले की ग्राम मुहम्मदपुर, रुस्तमपुर, पलवाड़ा व चितौड़ा आदि में सिंचाई का अभाव

*२५—श्री मंजूर अहमद तथा श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ग्राम मुहम्मदपुर, रुस्तमपुर व पलवाड़ा, चितौड़ा, पसवाड़ा आदि ब्लाक गढ़ मुक्तेश्वर, जिला मेरठ में हजारों एकड़ खाली भूमि ट्यूब वेल्स व नहरी सिंचाई के साधन न होने के कारण असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

कथित ग्रामों का लगभग १७२५ एकड़ क्षेत्र नलकूप व नहरी सिंचाई के साधन न होने के कारण असिंचित रह जाता है । यह असिंचित क्षेत्र ऊंचा नीचा है अतः यहां नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है।

ग्राम मुहम्मदपुर-रुस्तमपुर, पलवाडा तथा चितौड़ा का खाकी क्षेत्रफल ३०० एकड़ से कम होने के कारण राजकीय नलकूप लगाने के लिए अपर्याप्त है । ग्राम पसवारा का ८०० एकड़ खाकी क्षेत्र चार छोटे छोटे टुकड़ों में है, जो एक जगह मिलाये नहीं जा सकते और कोई भी टुकड़ा २५० एकड़ से अधिक नहीं है । अतः इनमें से किसी ग्राम में राजकीय नलकूप लगाना आर्थिक एवम् प्राविधिक दृष्टि से हितकर न होगा । इन ग्रामों के कृषकों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाना ही उपयुक्त प्रतीत होता है ।

सिंचाई परामर्शदात्री समिति, जिला बलिया की बैठक न होना

*२६—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में सिंचाई समितियों, जिसके सदस्यगण विधायक होते हैं, की बैठकें पिछले २ साल से कब-कब हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि बलिया जिले में नलकूपों को लगाने के लिये समितियों की राय नहीं ली गई ?

श्री बलबीर सिंह--

बलिया जिले में सिंचाई परामर्शदात्री समिति की बैठक पिछले दो वर्षों में नहीं हुई । यह बैठक तत्कालीन विषम परिस्थितियों तथा जिले में आयोजित अन्य विभागीय बैठकों में सिंचाई संबंधी विषयों पर विचार विमर्श हो जाने के कारण अलग से सम्पन्न नहीं हो पाई जिसके कारण राय नहीं ली जा सकी ।

भविष्य में उक्त समिति की बैठक को ३ मास की अवधि में कम से कम एक बार निश्चित रूप से सम्पन्न कराने के हेतु १८ जून, १९७० को कठोर आदेश जारी कर दिये गये हैं और उक्त समिति की त्रैमासिक बैठक अब नियमित रूप से हो रही है ।

परीक्षितगढ़ तथा मेरठ ब्लाक के कुछ ग्रामों में सिंचाई का अभाव

*२७--श्री मंजूर अहमद तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक परीक्षितगढ़ व ब्लाक मेरठ, जिला मेरठ में कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें नहरी ट्यूबवैल द्वारा सिंचाई के साधन न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि बिना बुवाई के रह जाती है ? क्या यह भी सही है कि सारंगपुर, मिश्रीपुर, नदल्लीपुर, ढकैनी, भगवानपुर, बागर, आसफ, आबाद, शोतद, ललिचाना, अलीसपुर, सिलोर, जुडौदा, छछई, पूठी, चितवाना, शेरपुर, कुलीमानपुर, जई, लालपुर, किठौर, बहरोडा, राधना, नवलसूरतपुरा, में कोई सिंचाई का साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना में कोई साधन सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

ब्लाक परीक्षितगढ़ में केवल तीन ग्राम सादुल्लापुर, मिश्रीपुर, तीरथपुर में ही राजकीय सिंचाई के साधन नहीं हैं । इन तीन ग्राम का कृषि योग्य क्षेत्रफल केवल ५९६ एकड़ है । ब्लाक मेरठ के सभी ग्रामों में सिंचाई के साधन हैं ।

प्रश्न में उल्लिखित २१ ग्राम में केवल एक ग्राम मिश्रीपुर, जिसका कृषि योग्य क्षेत्रफल १८५ एकड़ है तथा जो परीक्षितगढ़ ब्लाक के उपरोक्त तीन ग्राम में से एक है, में राजकीय सिंचाई के साधन नहीं हैं ।

उपरोक्त तीनों ग्रामों में कोई राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये ग्राम गंगा खादर में स्थित है तथा इनमें राजकीय सिंचाई साधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिगिना रजबहा, जिला मिर्जापुर में स्टोन पिचिंग कार्य

*२८--श्री विश्रामदास (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर जिगिना-माइनर स्टोन पिचिंग ग्राम रसौली में किया गया है ? यदि हां, तो ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

ग्राम रसौली जिला मिर्जापुर में जिगिना रजबहा के मी० ९-२० पर स्टोनपिचिंग का कार्य हुआ है । इसका भुगतान भी ठेकेदार को किया गया है । केवल ३०१ रुपया ठेकेदार का बाकी है जिसके लिए ठेकेदार को कई बार रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया है किन्तु ठेकेदार अभी तक भुगतान लेने नहीं आया ।

सीतापुर खण्ड शारदा कैनाल में नहरों के निर्माण सम्बन्धी प्रोजेक्ट में पानी की उपलब्धता तथा कुलाबा नं० १७ पर व्यय

*२९—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के पांचवें बुधवार के दिनांक १३ मई, १९७० के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री जी बतावेंगे कि सीतापुर खंड शारदा कैनाल में १३ मी०३ फर्लांग लम्बी नहरके निर्माण के लिए कि किस समय प्रोजेक्ट बना तथा क्या उस समय इस बात का ध्यान रक्खा गया था कि पानी उपलब्ध होगा या नहीं या किस प्रकार होगा तथा योजना बनाते समय क्या संबंधित अधिकारी ने इस बात की तरफ इंगित किया था कि पानी मिलने की कठिनाई होगी ?

श्री बलबीर सिंह—

१३ मील ३ फर्लांग लम्बी नहर का प्रोजेक्ट वर्ष १९६४ में बना था । इस प्रोजेक्ट को बनाते समय संबंधित अधिकारी ने पानी उपलब्ध होने का ध्यान रखा था और इस संबंध में उन्होंने प्रोजेक्ट में इंगित किया था ।

*३०—श्री रामलाल राही—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर व कुलाबा नं० ७० की गूल पर कुल कितना व्यय हो चुका है ? क्या इस इलाके को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अन्य योजना पर सरकार विचार कर रही है या करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

इस प्रोजेक्ट पर कोई व्यय नहीं हुआ है और इस प्रोजेक्ट में कुलाबा नं० ७० का कोई उल्लेख नहीं है । अतः इस कुलावा पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता है । संभवतः प्रश्न कर्ता का तात्पर्य मितौली रजबहा के कुलाबा संख्या १७ से है । उक्त कुलाबे की गूल १९६५-६६ में बनवाने पर ५१० रु० व्यय हुआ था ।

वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र के लिए कोई दूसरी योजना विचाराधीन नहीं है।

शारदा कैनाल की दरियाबाद ब्रान्च में मियागंज के निकट खांदी

*३१—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि शारदा कैनाल, दरियाबाद ब्रांच में नहर कोठी मियागंज के निकट वहां के ओवरसियर द्वारा मियांगंज के नहर के पुल में पटरे डालकर सहसा पानी का बहाव रोक देने के कारण दो स्थानों पर खांदी हो गई जहां पर एक स्थान पर तो पी०ए०सी० के जवानों ने खांदी के स्थान पर 'हाथी' बैठाल कर पानी रोकने में सफल हो गये किन्तु ग्राम उफरौली के निकट एक भीषण खांदी हो गई जिससे उतरौली ग्राम के दक्षिण की ओर का सारा हार जलमग्न हो गया और जिसके फलस्वरूप सारी रबी की फसल गल गई तथा बरबाद हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उस संबंधित ओवरसियर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच करा कर उन्हें दंड देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

यह सही नहीं है कि दरियाबाद ब्रांच के दो स्थानों पर खांदी इस कारण हो गई थी कि ओवरसियर दरियाबाद ने दरियाबाद ब्रांच (मियांगंज कोठी के निकट) के रेगुलेटर में तख्ते डालकर बहाव रोक दिया था । खांदी दो स्थानों पर हुई थी । जनवरी में दो कुलावो के स्थान पर नई मिट्टी पड़ी थी जो अधिकवर्षा के कारण बैठ गई थी । धोर वर्षा हो जाने

पानी की मांग न होने से नहर में पानी बढ़ गया था और इस बढ़े हुए पानी से यह मिट्टी कट कर खांदी हो गई ।

दरियाबाद ब्रांच के मील६३-७-१०० पटरी बाई पर हुई खांदी से कोई नुक्सान नहीं हुआ क्योंकि यह फौरन ही बन्द करा दी गई थी । यह सही है कि पी० ए० सी० के जवानों ने इस खांदी को बन्द करने में सहायता दी थी । खांदी के बन्द करने में हाथी या अन्य किसी जानवर का प्रयोग नहीं हुआ ।

दरियाबाद ब्रांच के मील ६२:६:२२ पटरी बाई पर खांदी से ३६-११ एकड़ में फसल को क्षति हुई जिसका मुआवजा दिये जाने के कार्यवाही की जा रही है ।

संबंधित ओवरसियर को भविष्य में बैठी हुई मिट्टी की अधिक देखभाल करने की जरूरी हिदायत दे दी गई है कि भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान दिया करें ।

कालपी में जमुना नदी पर पुल-निर्माण

*३२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–झांसी राष्ट्रीय मार्ग पर कालपी में जमुना नदी पर पुल बनाने की योजना कब बनी थी और उस पर कितना रुपया व्यय होता था तथा अब तक पुल न बन सकने का क्या कारण है तथा कब तक पुल बनाने का सरकार का विचार है?

चौधरी गिरधारी लाल—

इस पुल के निर्माण का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से भारत सरकार के बिचाराधीन है । इस के निर्माण के लिये उनकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । फिलहाल क्योंकि रेलवे ने अपने पुराने पुल का त्याग कर नया पुल बना लिया है इसलिये फरवरी १९७१ से सड़क के पुल के लिये इसका प्रयोग किया जायगा, जो कि नये पुल के बन जाने के बाद छोड़ दिया जावेगा ।

जिला टिहरी–गढ़वाल में तोणेटा नहर का निर्माण

*३३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि पट्टी भरदार ग्राम सभा सुभाड़ी, जिला टिहरी-गढ़वाल में तोणटा नाम से जिस सिंचाई नहर का निर्माण शुरू हुआ था, वह बीच में ही बन्द क्यों कर दी गई तथा नहर को कब तक पूरा किये जाने की योजना है?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

इस नहर का निर्माण तिलबाडा धनसाली नवनिर्मित मोटर मार्ग पर क्रासिंग के न बनने के कारण रुका हुआ है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की तिलवाडा धनसाली मोटर मार्ग के ६ठे मील के नीचे तिलवाडा धनसाली मोटर मार्ग की स्थिति सुदृढ़ हो जाने के पश्चात् ही नहर के क्रासिंग का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ।

डेरापुर तहसील, जिला कानपुर में बरसाती पानी निकालने की योजना

*३४—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम बान में बरसाती पानी निकालने के वास्ते एक बरसाती नाला निकालने की योजना थी और उसका

गत वर्ष सर्वे भी किया गया था, क्या यह सही है कि बाढ़ से करीब २ हजार बीघा कृषि भूमि बेकार हो जाती है तथा कंचौसी बाजार बान, कमलापति का पुरवा, रानेपुर आदि गांव पानी से भर जाते हैं ? यदि हां, तो उक्त नाले को कब तक खुदवाया जायगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं, ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा अभी नहीं बनाई गई है और न ही इसका सर्वेक्षण गत वर्ष किया गया था ।

प्रश्न का दूसरा भाग :

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्राम बान में २०० एकड़ क्षेत्र ऐसा है जो औसत वर्षा में जल मग्न हो जाता है तथा अत्यधिक वर्षा में ३०० एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है । यह ठीक है कि ग्राम बान व उसके मजरे अर्थात् कन्चौसी, बाजार, कमलापति का पुरवा व रानीपुर ग्राम वर्षा से प्रभावित होते हैं ।

प्रश्न का तीसरा भाग :

इस नाले का सर्वेक्षण करा लिया जायगा और यदि व्यय के अनुपात से लाभप्रद योजना बन सकती है तो आवश्यक प्रस्ताव राज्य बाढ़ परिषद् के सामने रक्खा जायगा ।

जिला कानपुर में कंचौसी के निकट माइनर निकालने की योजना

*३५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि कानपुर जिले के मंगलपुर रजबाहा से कंचौसी के पास से एक बान माइनर निकालने की स्कीम है और इसका कई बार सर्वे भी हो चुका है । यदि हां, तो यह माइनर कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रथम भाग—

प्रश्न में उल्लिखित माइनर निकालने का प्रस्ताव नहीं है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है ।

बांदा में नहर के झालों को ऊंचा करना

*३६—श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा में नहर की सभी झालें नीची कर दी गई थीं जिससे कुलाबा में पानी नहीं चढ़ता है और जिससे काश्तकारों को सिंचाई में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन झालों को पुनः, जितने में पानी चलने लगे, उन्हें ऊंचा कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग :

जी नहीं । सभी झालें नक्शे के अनुसार सही ऊंचाई तक है तथा कुलाबे भी उचित रूप से पानी ले रहे हैं ।

प्रश्न का द्वितीय व तृतीय भाग :

प्रश्न नहीं उठता ।

जामनी बांध निर्माण के लिये स्वीकृत टेण्डर

*३७—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी के सब-डिवीजन ललितपुर क्षेत्र में होने वाली जामनी बांध निर्माण कार्य के लिये दो बार टेंडर निकाले गये और उन्हें रद्द किया गया तथा तीसरी बार सबसे नीचे वाले टेंडरदाता का टेंडर स्वीकार न करके ऊंची दरों वाले टेंडरदाता का टेंडर स्वीकार किया गया ? क्या यह सही है कि टेंडर स्वीकार करते समय अधिकारियों को यह भी बताया गया था कि यह ठेकेदार ऐसी स्थिति में नहीं है कि नियमों के अनुसार सन्तोषजनक कार्य कर सके ? क्या यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त सुविधायें देने जाने पर भी सम्बन्धित ठेकेदार अपना काम नहीं कर सके और फिर अलग-अलग ठेकेदारों से काम करवाया गया, जिससे कार्य की प्रगति में तो बाधा हुई ही और शासन के धन का भी अपव्यय हुआ ? यदि हां, तो क्या जामनी बांध के निर्माण कार्य को पूरा न करके बीच में ही अधूरा छोड़ देने वाले सम्बन्धित ठेकेदारों को नियमों की अवहेलना करने पर कोई दण्ड दिया गया ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रथम भाग—टेन्डर केवल दो बार ही आमंत्रित किये गये थे । सबसे नीचे वाले टेन्डर दाता की शर्तें स्वीकार करने योग्य नहीं थी । द्वितीय नम्बर वाले टेन्डर दाता ने न्यूनतम टेन्डर दाता की दरों पर ही कार्य करना स्वीकार किया, अतः उसे कार्य दिया गया ।

द्वितीय भाग—जी नहीं ।

तृतीय भाग—अनुबन्ध की शर्तों के बाहर कोई अन्य सुविधाएं सम्बन्धित ठेकेदार को नहीं दी गई । ठेकेदार की प्रगति सन्तोष जनक न पाये जाने पर लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुछ मदों की मात्रा घटा कर दूसरे ठेकेदारी से करवाई जा रही है । परन्तु ऐसा करने में जो अतिरिक्त व्यय होगा उसका भुगतान उसी ठेकेदार को करना होगा जिसे ठेका सर्व प्रथम दिया गया था । इस प्रकार धन का अपव्यय नहीं हुआ ।

चतुर्थ भाग—कार्य की कुछ मदों की मात्रा घटाकर दूसरे ठेकेदार से करवाने आदि के मामले पर सम्बन्धित ठेकेदार ने आपत्ति की है और मामले को आरबिट्रेशन में ले गये हैं । अतः इस समय ठेकेदार को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला उन्नाव में आदमपुर–लतीफपुर ड्रेन का निर्माण

*३८—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले में जो आदमपुर-लतीफपुर ड्रेन निकालने का विचार था वह कार्य क्यों स्थगित है ?

श्री बलबीर सिंह—

१९६१ के आदेशानुसार आदमपुर–लतीफपुर नाले का निमण गांव सभा द्वारा श्रमदान से कराने का प्रस्ताव था । परन्तु कार्य नहीं हो पाया । १९६४ में सिंचाई विभाग द्वारा ऐसे कार्यों के निर्माण करने के आदेश हुए । परन्तु उस समय भी कार्य न हो सका । अब सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा चुका है और प्राक्कलन बनाया जा रहा है । तदुपरान्त यदि राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा अनुमोदन हो गया तो धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य किया जा सकेगा ।

फर्रुखाबाद इन्टर कालेज में जीव विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव

*३९—श्री महरम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद इन्टर कालेज में विज्ञान की कक्षाओं को चलाने की क्या पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की थी परन्तु जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोगशाला) की व्यवस्था न होने के कारण सैकड़ों छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तुरन्त उक्त इन्टर कालेज से जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोग शाला भवन) बनवाकर जुलाई से शिक्षा प्राप्त करने की छात्रों को सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सन १९६८–६९ में विज्ञान पढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई थी । जीव विज्ञान की सुविधा प्रयोग शाला बन जाने पर ही प्रदान करना संभव होगा । प्रयोगशाला निर्माण का प्रश्न शिक्षा निदेशालय के विचाराधीन है ।

जिला देवरिया के श्री शिवनारायण तिवारी के बच्चों के अध्ययन पर पाबन्दी

*४०—श्री बांके लाल तथा श्री हरवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री शिव नारायण तिवारी, ग्राम बनकटामिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाने से उक्त गांव के निवासी इस कारण से रोकते हैं कि उक्त श्री तिवारी ने एक जेकोस्वलोवाकियन लड़की से शादी कर ली है ? क्या मन्त्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४१–४२—श्री हिम्मत सिंह —

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

राजकीय बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल, करवी का भवन–निर्माण

*४३—श्री गोस्वामी राधा कृष्ण (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के करवी के राजकीय बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

भवन बनाने के लिये भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

उप शिक्षा निदेशक, बरेली के विरुद्ध शिकायतें

*४४—श्री जगदीश गांधी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६८ व १९६९ में की गई शिकायतों के आधार पर माण्डलिक उप शिक्षा निदेशक, बरेली के विरुद्ध अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो शिकायतकर्त्ता कौन था व मुख्य-मुख्य आरोप

क्या थे तथा जांच के पश्चात क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सर्वश्री केशव राम, भानु प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, श्री रघुबीर शरण वर्मा, श्री राम रक्षपाल शर्मा सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, श्री राम स्वरूप शर्मा, बाड़ा शाहशफा, मुरादाबाद से १९६९ में उप शिक्षा निदेशक, बरेली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन पर अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कराई गई थी ।

मुख्य आरोप निम्नांकित थे:

(१) राजकीय आदर्श विद्यालयों में नियुक्ति । स्थानान्तरण में मुसलमानों के साथ पक्षपात करना ।

(२) एस० डी० जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद को अधिक अनुदान देना ।

(३) श्री बाकर अली खां (अध्यापक भूतपूर्व रामपुर राज्य) का अनियमित विलीनीकरण करना तथा

(४) अरबी स्कूलों को अधिक अनुदान देना ।

जांच के उपरान्त यह पाया गया कि उक्त आरोप निराधार थे । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । यह भी उलेखनीय है कि श्री हशमत हुसैन उसमानी जून, १९७० में सेवा निवृत्ति हो चुके हैं ।

शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट माननीय सदस्य कृपया मेरे कक्ष में देख लेने का कष्ट करें ।

जिला प्रतापगढ़ में बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशालाओं की संख्या

*४५—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में कितनी बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशालायें हैं और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी और खोली जायेंगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

(१) जनपद प्रतापगढ़ में बेसिक कन्या पाठशालाओं की संख्या १६० है जिसमें
१५३ जिला परिषद की,
१ राजकीय,
६ नगरपालिका की हैं ।

(२) चालू वित्तीय वर्ष में जनपद प्रतापगढ़ में एक बेसिक (मिश्रित) स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई है ।

*४६—श्री जयराम यादव—

क्या मन्त्री को विदित है कि विकास खण्ड आसपुर देवसरा, जिला प्रतापगढ़ में कन्या पाठशाला, गौसपुर, अकारीपुर, सैलखा तथा श्रीनाथपुर फर्जी हैं ? यदि नहीं, तो उक्त स्कूलों की छात्राओं की क्रमशः दैनिक उपस्थिति वर्ष १९६९–७० में कितनी रही ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त विकास खंड में अकारीपुर ग्राम में कोई कन्या पाठशाला नहीं है। गौसपुर, सैलखा, तथा श्रीनाथपुर में कन्या बेसिक प्राइमरी विद्यालय हैं। वर्ष १९६९–७० में छात्राओं की क्रमशः दैनिक उपस्थिति देना समय और श्रम के अनुरूप न होगा।

मेरठ जिले में माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों का बकाया वेतन

*४७—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले में कितने गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थायें हैं, जिन्होंने तीन या तीन से अधिक महीनों का वेतन अपने अध्यापक व अध्यापिकाओं को वितरित नहीं किया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसे ६ बालकों के तथा २ बालिकाओं के विद्यालय हैं। अवशेष वेतन के भुगतान हेतु शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

महावीर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर के सम्बन्ध में आडिट आपत्तियां तथा विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा

*४८—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मंत्री महावीर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीपुर, जिला झांसी के हिसाब किताब की आडिट रिपोर्ट १९६६–६७, १९६७–६८, १९६८–६९ सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगी कि आडिट आपत्तियों को दूर कराने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री महावीर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर का वर्ष १९६२–६३ से १९६६–६७ तक पांच वर्षों का आडिट एक साथ मार्च, १९६८ में किया गया था, जिसकी आख्या विद्यालय में मार्च १९७० में तथा निदेशालय में ३ जून, १९७० को प्राप्त हुई। आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रबन्धक को निदेशालय द्वारा १२ जून, १९७० को लिखा गया। उक्त आडिट रिपोर्ट तथा उस पर प्रबन्धक की निराकरण आख्या सदन के मेज पर प्रस्तुत है। इन आपत्तियों में कुछ का निराकरण हो गया है तथा शेष के लिये विद्यालय के प्रबन्धक ने अगले आडिट तक निराकरण कर देने का आश्वासन दिया है।

वर्ष १९६७–६८ तथा १९६८–६९ का गत वर्ष आडिट किया गया था। उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९४–३०० पर)

*४९—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि महावीर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, जिला झांसी की भूमि पर जिला परिषद् ने अनधिकृत कब्जा करके कुछ कमरे बनवा लिये हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

महावीर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर की भूमि पर जिला परिषद्, झांसी ने अनधिकृत कब्जा करके कोई कमरे नहीं बनवाये हैं ।

राजकीय बालिका उच्चतर विद्यालय, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतें

*५०—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका उच्चतर विद्यालय, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार व अनैतिकता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र जनता तथा मन्त्री, प्रेस कर्मचारी संघ तथा रिक्शा मजदूर यूनियन, आजमगढ़ द्वारा ६ दिसम्बर, १९६७ को मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री व जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् बांदा द्वारा, प्राथमिक अध्यापकों को, बढ़े हुए वेतन का भुगतान

*५१—श्री बुर्जन भाई (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्यपाल महोदय के आदेश तारीख ५ जनवरी, १९६९ के अनुसार १५.०० प्रति माह बढ़ाये गये प्राथमिक शिक्षकों का ९ माह का बढ़ोत्तर वेतन जिला परिषद बांदा ने अब तक अदा नहीं किया है ? यदि हां, तो उक्त धन की अदायगी क्यों नहीं की गई ? सरकार उसकी शीघ्र अदायगी के लिये क्या कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला परिषद बांदा ने अपने सभी प्राथमिक अध्यापकों को १ जनवरी, १९६९ से स्वीकृत तदर्थ वृद्धि की धनराशि (प्रशिक्षित अध्यापकों को १५ रु० तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों को १० रु० प्रतिमास की दर से) का भुगतान कर दिया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली द्वारा प्रयोग की गई टैक्सी

*५२—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ने माह दिसम्बर, १९६८ तथा जनवरी, सन् १९६९ में किन-किन स्कूलों का तथा किसकी कार द्वारा दौरा किया ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यक्ति की कार द्वारा दौरा उक्त अधिकारी ने किया उसने कोई शिकायत रजिस्ट्री द्वारा १६ फरवरी, १९७० को मुख्य मंत्री, शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक को भेजा ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ? और आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ने दिसम्बर, १९६८ तथा जनवरी १९६८ में जिन स्कूलों का कार या जीप द्वारा दौरा किया उनकी सूची संलग्न है । ये दौरे सरकारी गाड़ी

और टैक्सी से किये गये । टैक्सी श्री जगदेव प्रसाद की थी । जिस व्यक्ति की टैक्सी थी उसने तो १६ फरवरी, १९७० को कोई शिकायत नहीं की, परन्तु तेलियाकोट, रायबरेली के श्री सुखदेव प्रसाद की ओर से उस तिथि की शिकायत मिली । उसमें आरोप यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली के आरोप कर्ता के भाई की कार पर अनेक विद्यालयों का दौरा किया और दौरे के बीच जब कार का इन्जन बर्स्ट हो गया तो उसे उन्होंने ठीक नहीं करवाया, न उसे ठीक कराने का खर्चा ही दिया, यद्यपि उन्होंने दौरा करने के पहले कहा था कि कार में जो भी खराबी होगी, उसे ठीक करा दूंगा। उस शिकायत पर संबंधित अधिकारियों की आख्या मांगी गई जिससे विदित हुआ कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने दौरे के पहले कार को ठीक कराने का कोई आश्वसन नहीं दिया था । उन्होंने कार का किराये पर उपयोग किया था और उसके प्रोपल्शन चार्जेज आदि का पूर्ण भुगतान कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०१ पर)

कानपुर में उर्दू में लिखित प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार न करना

*५३—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि २४ दिसम्बर सन् १९६९ के जी० ओ० के अनुसार कानपुर का कोई भी अधिकारी उर्दू में दरख्वास्त नहीं लेता है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कानपुर जनपद के शिक्षा अधिकारी उर्दू में लिखी दरख्वास्त स्वीकार करते हैं और उन पर तदनुसार कार्यवाही करते हैं । अतः कोई अन्य कदम लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

आर० आई० जी० एस० मेरठ, द्वारा परिगणित जाति की अध्यापिकाओं की नियुक्ति तथा लिपिकों का स्थानान्तरण

*५४—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन में आर०आई० जी० एस० द्वारा जुलाई, १९६६ से जुलाई, १९६९ तक कितनी परिगणित अध्यापिकायें नियुक्त की गयीं और कितने परिगणित अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

चार परिगणित जाति की अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई है जिनमें से एक अभ्यर्थिनी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । केवल चार ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे ।

*५५—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर०आई० जी० एस०, मेरठ के कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे हैं जिनको वहां पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं, क्या यह सही है कि कुछ लिपिकों के परिवर्तन होकर कैंसिल हो गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

एक लिपिक का स्थानान्तरण हुआ जिसे जनहित में निरस्त कर दिया गया ।

बाराबंकी जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के चयन में धांधली

*५६—श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिला परिषद् ने मार्च, १९७० में जो अप्रशिक्षित अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के चयन सूची प्रकाशित की है उसमें चयन किस योग्यता के आधार पर किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अप्रशिक्षित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के चयन के निम्नलिखित आधार थे :—

१—जिले के उन सभी सेवा मुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया गया जो कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण थे ।

२—हरिजन अभ्यार्थी हाई स्कूल तृतीय श्रेणी तक के थे ।

३—सामान्य अभ्यर्थियों की योग्यता हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी निश्चित की गई थी इस कोटि में राजनैतिक पीड़ित तथा सनिक परिवारों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता केवल हाई स्कूल पास निश्चित की गई थी ।

४—अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं के चयन के संबंध में चुनाव समिति ने यह निश्चय किया कि केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रिक्त पाठशालाओं के कार्य करने के लिये तैयार हों ।

*५७—श्री हरनरायन—

क्या शिक्षा मंत्री को यह भी पता है कि इसमें कुछ जूनियर हाई स्कूल पास तथा ऐसे अध्यापकों का भी चयन हुआ है जिन पर अन्य विभागों से भ्रष्टाचार संबंधी जांच चल रही है और वह उक्त विभाग द्वारा निलम्बित थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस प्रकार के केवल दो अध्यापक थे जिनमें से एक जूनियर हाई स्कूल थे और दूसरे एक अमीन थे जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं, किन्तु चयन के पश्चात् जब इस बात की जानकारी हुई तो इन दोनों व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, खुटौली, जिला जौनपुर के प्रधानाचार्य को दीक्षित ग्रेड देना

*५८—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, खुटौली, जनपद जौनपुर के प्रधानाचार्य अप्रशिक्षित हैं तथा गत १२ वर्षों से उन्हें दीक्षित ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, क्योंकि इस संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अप्रशिक्षित प्रधानाचार्यों को दीक्षित ग्रेड न दिया जाय । विद्यालय के प्रधानाचार्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षण योग्यता से मुक्ति भी प्रदान कर दी गई है ।

महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कन्या हाई स्कूल का अभाव

*५९—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले के कस्बा महमूदाबाद में कोई कन्या हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

महमूदाबाद में कोई कन्या हाई स्कूल नहीं है।

राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, जिला झांसी के अनुदान का निलम्बित होना

*६०—श्री प्रेमनारायण अहरवार एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६९ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, जिला झांसी का अनुदान निलम्बित किन-किन कारणों से हुआ था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अभीष्ट सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

जिला मिर्जापुर में दुद्धी एवं पिपरी में स्थित राजकीय इंटर कालेजों के लिये भवन का अभाव

*६१—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इंटर कालेज, दुद्धी एवं पिपरी, जिला मिर्जापुर में भवन के अभाव में अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो भवन के अभाव की पूर्ति के लिए सरकार कौन-कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राजकीय इंटर कालेज दुद्धी का नया भवन बन गया है । राजकीय इंटर कालेज, पिपरी के लिए एक भवन सिंचाई विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जा चुका है ।

*६२—श्री राम प्यारे—

क्या यह सही है कि राजकीय इंटर कालेज, पिपरी के लिये रिहन्द बांध परियोजना के स्थानीय अधिकारी स्कूल भवन देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो उस भवन को लेने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या उक्त भवन को कालेज की भवन समस्या हल करने के लिए सरकार अगले सत्र में लेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

राजकीय इंटर कालेज, पिपरी के लिए सिंचाई विभाग का एक भवन लिया जा चुका है । स्थानाभाव को दूर करने के लिये एक अन्य भवन को क्रय करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तरकाशी जिले में कुछ बी० टी० सी० पास अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड देने के सम्बन्ध में जानकारी

*६३—श्री इन्द्रमणी (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के ऐसे आदेश हैं कि इंटर पास एच० टी०सी० अथवा बी०टी०सी० या बी०टी०सी० दीक्षित अध्यापकों को ५ वर्ष का शैक्षिक अनुभव होने पर जे०टी०सी० वेतन-क्रम दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त योग्यता रखने वाले अध्यापकों को जे०टी०सी० ग्रेड दिया जाने वाला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

शासन के ये आदेश हैं कि पांच वर्ष के अनुभव वाले इंटर पास बी०टी०सी०, एच०टी० सी० या बी०टी०सी० दीक्षित अध्यापक जे०टी०सी० योग्यता वाली और जे० टी० सी० वेतन-क्रम वाले पदों की सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे। वे चुनाव में सफल होने पर ही जे०टी०सी० वेतन-क्रम के पात्र होंगे। प्रोन्नति देने का कोई प्राविधान नहीं है।

*६४—श्री इंद्रमणी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर काशी जिले में इस प्रकार के कुछ शिक्षकों को उक्त शासकीय आदेशों के अनुसार प्रोन्नत कर जूनियर हाई स्कूलों में जे० टी०सी० के रिक्त पदों पर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें जे०टी०सी० वेतन-क्रम दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं,

कुछ अध्यापकों का स्थानान्तरण एच०टी०सी० वेतन-क्रम में ही दिया गया है, प्रोन्नति नहीं की गई है।

राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट तथा डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्य व प्रोफेसरों का शिक्षा अधिकारियों के साथ विलीनीकरण

*६५—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ मई, सन् १९७० को शासन का कोई आदेश पारित हुआ है जिसके अनुसार शासन द्वारा संचालित डिग्री कालेज के अध्यापकों की सेवा में सामान्य शिक्षा अधिकारियों के साथ विलीन कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने की दृष्टि से ऐसे आदेश केवल राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के प्रधानाचार्यों, प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा राजकीय डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों के संबंध में जारी किये गये हैं।

*६६—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित आदेश यदि सही हैं तो विभाग के कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी प्रभावित होंगे, प्रभावित कर्मचारियों में कितने ऐसे हैं जो लगातार ५ वर्ष से कार्य करते हुए अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उल्लिखित आदेश राजकीय डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के केवल उन अधिकारियों के संबंध में जारी किये गये हैं जो उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ वेतन-क्रम में हैं । शिक्षा सेवा के सामान्य संवर्ग में उक्त वर्ग के मिला दिये जाने के फलस्वरूप राजकीय डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के कुल ६७ अधिकारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ वेतन-क्रम के सामान्य संवर्ग में आ जायेंगे ।

माध्यमिक विद्यालयों में बी० टी० सी० पास अध्यापकों के ग्रेड पर विचार

*६७—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बी०टी०सी० पास उन अध्यापकों, जो माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, का ग्रेड निश्चित हो गया है ? यदि हां, तो ग्रेड क्या है और क्या उससे संबंधित आदेश जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब भेजे जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । मामला शासन के विचाराधीन है । इस संबंध में शासनादेश शीघ्र जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ।

माध्यमिक विद्यालयों में सी० टी० ग्रेड में कार्य करने वालों को एल० टी० ग्रेड का मिलना

*६८—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा ९ व १० में कला पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है जो सी०टी० ग्रेड में काम कर रहे हैं जबकि सरकार के आदेशानुसार उन्हें एल०टी० ग्रेड मिलना चाहिये था ? क्या सरकार इन शिक्षकों को एल०टी०ग्रेड दिये जाने के प्रश्न पर तत्काल विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना जिला तथा मंडलीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा एकत्र की ज रही है ।

राजकीय माध्यमिक कालेजों में उर्दू टीचर की व्यवस्था तथा उर्दू के लिये आर्थिक सहायता

*६९—श्री नसीमुउद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुरू होने वाली तालीमी साल में प्रदेश के गवर्नमेंट माध्यमिक कालेजों में उर्दू टीचर का प्रबन्ध करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कलेजों में जहां उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था है, वहां उर्दू टीचर का प्रबन्ध है ।

*७०—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के उन तालीमी एदारों में जहां उर्दू मीडियम है उनको उर्दू की तरक्की के लिये कोई आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो वह रकम कितनी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश के तालीमी एदारों में जहां उर्दू मीडियम है वह उर्दू के तरक्की के लिये कोई आर्थिक सहायता देने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद के भूतपूर्व प्रधान लिपिक को वेतन न मिलना

*७१—श्री राम अवध (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद के भूतपूर्व प्रधान लिपिक को पिछले २९ मास से वेतन नहीं दिया गया जब कि उनकी छुट्टी स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में शीघ्र ही उक्त प्रधान लिपिक को वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सम्बन्धित प्रधान लिपिक को केवल दिनांक ९ दिसम्बर, १९६७ से २३ जून १९६८ तक की छुट्टी स्वीकृत है । शेष छुट्टी के लिये उनका न तो निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र ही आया है और न डाक्टरी प्रमाण-पत्र ही । उनके विरुद्ध गबन के मामले में प्रशासकीय कार्यवाही भी चल रही है । इन्हीं कारणों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा सका ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सिसेंडी, जिला लखनऊ के अध्यापका का वेतन वृद्धि रोकने सम्बन्धी पत्र

*७२—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, सिसेंडी, जिला लखनऊ में अध्यापकों के वेतन-वृद्धि रोकने तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में विधान सभा के कुछ सदस्यों का दिनांक २४ अक्तूबर, १९६९ का पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सम्बन्धित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय हायर सेकेन्डरी कन्या पाठशाला, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में इन्टरमीडिएट कक्षा खोलने का सुझाव

*७३—श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद), श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद), श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर), श्री राजबिहारी सिंह (जिला वाराणसी), श्री राम चन्द्र विकल तथा श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर (जिला फैजाबाद) में राजकीय हायर सेकेन्डरी कन्या पाठशाला को इन्टरमीडिएट तक खोलने के लिये टाउन एरिया, अकबरपुर ने कोई प्रस्ताव सरकार को हाल में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उसको क्या आगामी वर्ष के इन्टरमीडिएट तक खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नियन्त्रण में लेने के समय चीनी मिलों पर बकाया धनराशि

*७४—श्री शेषनारायण शुक्ल, श्री इन्द्रमणी, श्री राम विलास पांडे, (जिला आजमगढ़), श्री रामसिंह, श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा), श्री अवधेश कुमार, श्री हरिवंश सहाय, श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी नियन्त्रण में ली गई शक्कर मिलों में से प्रत्येक पर अलग-अलग आय कर टैक्स, क्रय-कर, डेवलपमेंट कमीशन और किसानों के गन्ने के मूल्य की धनराशि रिसीवर की नियुक्त की तिथि पर कितनी बाकी थी और दिनांक ६ मई, १९७० को क्या हो गई ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

उपलब्ध सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है। चूंकि आय-कर का संबंध भारत सरकार से है, इस विषय में पूरी जानकारी प्रदेशीय सरकार को नहीं है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३०३–३०५ पर)

१९६९–७० में बोये गये तथा सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े

*७५—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९–७० में शुद्ध बोया गया तथा सिंचित दोनों प्रकार का क्षेत्रफल कितना हो गया है ?

श्री बलबीर सिंह—

वर्ष १९६९–७० में राजकीय साधनों से सिंचित क्षेत्र फल ९७,१८,१२७ एकड़ हो गया है। उक्त वर्ष में शुद्ध बोये गये क्षेत्र के आंकड़े अभी संकलित नहीं हुये हैं।

हंडिया, जिला इलाहाबाद में ट्यूबवेल की नालियों के बनाने के सम्बन्ध में ली गई भूमि का मुआविजा देना

*७६—श्री रजितराम पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील हंडिया के किसानों की ट्यूबवेल की नालियां बनाने के लिये सकार ने जो भूमि ली है उसका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया म १९६८–६९ से पहले बने २९ नलकूपों को छोड़कर शेष नलकूपों की नालियों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। इन २९ नलकूपों की नालियों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी की जा रही है तथा उनका मुआवजा जैसे जैसे कार्यवाही पूरी होती जावेगी बाट दिया जावेगा। वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में बने नलकूपों की नालियों के लिये भूमि उपलब्ध करने के लिये चकबन्दी अधिकारी को आवश्यक विवरण देते हुये लिख दिया गया है।

टिहरी-गढ़वाल में कीर्तिनगर-बड़ियारगढ़ मोटर मार्गों के निर्माण से पेय जल योजना को क्षति

*७७—श्री इन्द्रमणी—

क्या सार्वजनकि निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम बढ़कोट पट्टी चौरस वालों की सिंचाई की नहर तथा पानी के पीने की योजना क्षतिग्रस्त हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उसका निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, कथित मोटर मार्ग निर्माण से वहां की कच्ची गुल तथा पानी के पीने की योजना क्षतिग्रस्त हुई है। कच्ची गुल के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर दिया गया है तथा मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिये गये हैं कि वह पानी के पीने की योजना को जो क्षति उपरोक्त मार्ग निर्माण से हुई है उसे ठीक करा दें।

जिला फर्रुखाबाद में राजेपुर-अमृतसर सड़क का बाढ़ से कटाव

*७८—श्री महरम सिंह—

क्या सार्वजनकि निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ की भीषण बाढ़ में फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत राजेपुर क्षेत्र में राजेपुर से अमृतसर की सड़क काफी बाढ़ के कटाव से कट गई है, जिससे यात्रियों को बह जाने व डूब जाने का भय है ? यदि हां तो क्या सरकार वर्तमान बरसात के पहले इसे ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

१९६९ की भीषण बाढ़ से सड़क को काफी नुकसान हुआ था। जिसको ठीक कर दिया गया तथा सड़क को यातायात के लिये खोल दिया गया।

*७९—श्री कृष्ण स्वरूप—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में निकाली गई माइनरों का अधूरा निर्माण

*८०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में कौन-कौन से माइनर कहां से कहां तक निकाली गई है उनमें से किन-किन में सिंचाई के लिये पानी दिया जाने लगा है और किन-किन में नहीं ? इस तहसील में पड़ने वाला रामगंगा कैनाल का भाग तथा निकाली गई सभी माइनरें क्या अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो इनको तक मुकम्मिल किया जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०६-३०८ पर)

दुद्धी क्षेत्र में सुखड़ा-बंधी के निर्माण पर व्यय तथा उसका सिंचित क्षेत्र

*८१—श्री रामप्यारे, श्री रामलखन सिंह, (जिला बस्ती), श्री महरम सिंह, श्री इन्द्रमणी श्री करन सिंह (जिला खीरी) तथा श्री रामकुंवर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी क्षेत्र सुखड़ा बन्धी का निर्माण कब हुआ उसमें कितना धन व्यय हुआ और प्रत्येक वर्ष उसके रखरखाव पर कितना खर्च होता रहा है तथा उस बन्धी का प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र कितना है, कितने एकड़ की सिंचाई हो रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

दुद्धी क्षेत्र में सुखरा बंधी का निर्माण सन् १९६२-६३ में हुआ था तथा उसके निर्माण में ७,३६,२७७ रु० व्यय हुआ। उक्त बन्धी पर प्रत्येक वर्ष में रखरखाव पर व्यय, उसका प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र तथा उस के द्वारा की जा रही सिंचाई का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क्ष' आगे पृष्ठ ३०९ पर)

*८२—श्री राम प्यारे, श्री रामलखन सिंह, श्री महरम सिंह, श्री इन्द्रमणी, श्री करन सिंह तथा श्री रामकुंवर—

क्या यह सही है कि दुद्धी क्षेत्र सुखड़ा बन्धी का वास्तविक जल ग्रहण क्षेत्र १.७ वर्ग मील है जबकि निर्माण के समय प्राक्कलन ४ मील लिया गया है ? यदि हां, तो गलत प्राक्कलन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

प्राक्कलन में जल ग्रहण क्षेत्र ४ मील दिखाया गया है। वास्तविक जल ग्रहण क्षेत्र १.८१ वर्गमील है। उपलब्ध रेकार्ड से ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी या नहीं और यदि नहीं की गई थी तो क्यों। इस सम्बन्ध में आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

माताटीला बांध पर बने ब्लाक्स का उखड़ जाना तथा तत्सम्बन्धी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*८३—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि माताटीला बांध, जिला झांसी में १९६८ तथा १९६९ में जो ब्लाक बने थे उन्हीं वर्षों में बाढ़ आने से टूट गये अथवा बह गये, जिनमें लगभग ५ लाख रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री बलबीर सिंह—

वर्ष १९६८-६९ में निर्मित टी-ब्लाक्स में से ९ टी० ब्लाक्स सन् १९६९ के भीषण बाढ़ में उखड़ आये थे, जिनकी लागत लगभग १,२१,००० रुपया थी।

*८४—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त ब्लाकों के निर्माण कराने वाले जिम्मेदार इंजीनियरों और ओवरसियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

नदी की बाढ़ में टी-ब्लाक के उखड़ने में इन्जीनियर ओवरसियर का दोष नहीं है। इन ब्लाक्स के होने से मुख्य बांध को क्षति नहीं हो सकी, जिससे स्पष्ट है कि इन ब्लाक्स ने अपना कार्य पूर्ण किया।

छात्रवृतीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में नियुक्त किये गये इंजीनियर

*८५—श्री राम लाल राही—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार द्वारा चालित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टाइपेंड स्कीम के अन्तर्गत १९६८-६९ में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कितने इंजीनियर ट्रेनिंग प्राप्त किये थे ? उनमें से कितनों को सरकारी सेवाओं में रख लिया गया है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

१९६८-६९ के वर्षों में भारत सरकार द्वारा चलाई गई छात्रवृतीय प्रशिक्षण योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में केवल ३० इन्जीनियरी स्नातकों ने १ वर्ष की पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण पाया था। उनमें से २३ को इस विभाग में मात्र तदर्थ आधार पर केवल अल्पकालीन अवधि के लिये ही अनन्तिम नियुक्तियां दी गई हैं।

बस्ती जिले में क्षतिग्रस्त सड़कें

*८६—श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या सरकार बतलायेगी कि बस्ती जिले में पिछड़ी बाढ़ के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं ? उनके नाम क्या हैं और उनकी मरम्मत में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल—

सन् १९६९ में आई हुई बाढ़ के विषय में वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३१०-३११ पर)

बिना भूमि अधिग्रहण किये ग्राम सरकथल सानी, जिला बिजनौर में सब-फीडर का कार्य करना तथा कृषकों को मुआवजा देना

*८७—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरकथल सानी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर में सहायक अभियन्ता द्वारा सब-फीडर का कार्य जिला भूमि अधिग्रहण किये नवम्बर सन् १९६९ में किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। यह सही है।

ऐसा इसलिये करना पड़ा कि इस क्षेत्र के कार्य के लिये अनुबंध को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया था और ठेकेदार को निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करना था। यदि यह कार्य नहीं कराया जाता तो ठेकेदार को लेबर का क्लेम देना पड़ता क्योंकि ठेकेदार लेबर को अन्तिम

धन देकर कार्य पर ले आया था। इस सम्बन्ध में कृषकों की भी सहमति ले ली गई थी कि यदि उनकी फसल का उनको मुआवजा दे दिया जायेगा तो उनके खेतों से उन्हें नहर निकालने के लिये कोई एतराज न होगा।

*८८—श्री चेतराम गंगवार—

क्या यह सही है कि इस गलती के कारण सरकार को ७,५०० रु० वर्ष के किसानों को बिना गेहूं बोये ही प्रतिकर (मुआवजा) देना पड़ा? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी?

श्री बलबीर सिंह—

कृषकों को फसल बोये होने के कारण रुपया ७,१७१.६० प्रतिकर के रूप में दिया गया। प्रतिकर गेहूं की फसल होने के कारण दिया गया और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

बांदा जिले में धान में लगे कीटाणु से हुई हानि के फलस्वरूप सिंचाई कर में छूट तथा उप-राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*८९—श्री हरवंश प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में विशेषकर बबेरू और नरैनी में सन् १९६९-७० में धान में कीटाणु लग जाने के कारण विस्तृत हानि काश्तकारों को हुई? यदि हां, तो हानि की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और प्रभावित किसानों को किस आधार पर नुक्सान की छूट दी गई?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। इस क्षति की जांच जिलेदारों, उप-राजस्व अधिकारी व सहायक अभियन्ताओं द्वारा कराई गई और पूर्ण जांच के बाद नियमानुसार कुल रु० २,६०,०७८ की सिंचाई कर पर छूट दी गई।

नियमान्तर्गत ५० प्रतिशत से कम की हानि में कोई छूट नहीं दी गई, ५० प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत से कम की हानि पर आधी छूट दी गई तथा ७५ प्रतिशत एवं उस से ऊपर की हानि पर पूरी छूट दी गई।

*९०—श्री हरवंश प्रसाद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस छूट में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के आरोप में उप-राजस्व अधिकारी, बांदा निलम्बित किये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच किस अधिकारी ने की और क्या रिपोर्ट दी तथा अन्तिम जांच किस अधिकारी ने की और क्या रिपोर्ट दी? शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, इनके विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच एक जांच कमेटी द्वारा की गई और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन द्वारा सारा मामला सतर्कता विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। उनकी सिफारिश प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथों पर कार्य करने वाले मजदूरों का अस्थायी होना

*९१—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज) पर काम करने वाले मजदूरों की नियुक्ति प्रादेशिक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है और वही उन मजदूरों की सेवाओं को स्थायी बनाने का आदेश देते हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कितने ऐसे मजदूर हैं जिनकी सेवायें अभी तक अस्थायी हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज) पर काम करने वाले मजदूरों की नियुक्ति प्रादेशिक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है । इन कर्मचारियों के लिये स्थायी पदों की व्यवस्था नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल कर्मचारियों की संख्या १ जुलाई, १९७० को १,९१० थी और ये सभी अस्थायी हैं ।

सीतापुर जिले में रामपुर–मथुरा ब्लाक को सड़क द्वारा महमूदाबाद तक मिलाना

*९२—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के रामपुर –मथुरा ब्लाक को पक्की सड़क द्वारा महमूदाबाद तक मिलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं ।

जिला झांसी में ग्राम गढ़मऊ में रबी की फसल का न होना

*९३—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़मऊ नहर, जिला झांसी में झिराव से ग्राम गढ़मऊ की लगभग २५० एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं हो पाती है इसके लिये सन् १९६७ में ग्राम सभा, गढ़वाल, जिला झांसी ने एक प्रस्ताव नं० ७, दिनांक १८ फरवरी, १९६७ को पास करके सरकार से प्रार्थना की है कि उक्त नहर को साढ़े पांच फर्लांग पक्का (नीचे व बगल में) बना दिया जावे ? यदि हां, तो मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी उक्त नहर को साढ़े पांच फर्लांग शीघ्र ही पक्का बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह —

प्रथम भाग—ग्राम गढ़मऊ में गढ़मऊ जलाशय व गढ़मऊ नहर से झिराव व भूमि का स्तर ऊंचा होने के कारण लगभग १२५ एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं हो पाती है ।

द्वितीय भाग—जी हां, ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से नहर का पक्का किया जाना सम्भव नहीं है ।

*९४— श्री अनन्तराम जायसवाल —

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*९५—श्री रूपनाथ सिंह यादव —

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

सीतापुर जिले में मेट तथा बेलदारों के वेतन भत्ते की अदायगी

*९६—श्री राम लाल राही —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत कार्य करने वाले स्थायी मेट तथा बेलदारों का बढ़ा हुआ वेतन तथा भत्ता जनवरी सन् १९६९ से बकाया है ? यदि हां, तो इन लोगों का बढ़ा हुआ वेतन एवं भत्ता देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारी लाल —

सीतापुर जिले के अन्तर्गत कार्य करने वाले किसी मेट तथा बेलदार का कोई वेतन और भत्ता जनवरी, १९६९ से बाकी नहीं है ।

जिला टिहरी-गढ़वाल में टिहरी-प्रतापनगर—लम्बगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

*९७—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री इन्द्रमणी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में टिहरी—प्रतापनगर लम्बगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कब सर्वेक्षण किया गया था ? क्या इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल —

टिहरी—प्रतापनगर—लम्बगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण १९६६ में किया गया था । इस मार्ग का निर्माण-कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि प्रस्तावित टिहरी बांध निर्माण के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता को यह आदेश दिये गये थे कि वह पहले लम्बगांव से प्रतापनगर का भाग निर्माण करें । इस पर मुख्य अभियन्ता ने लम्बगांव प्रतापनगर मार्ग का एक संशोधित विस्तृत आगणन शासन को भेजा जिसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । मुख्य अभियन्ता द्वारा इस आगणन को प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करके के पश्चात् इस भाग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

मेरठ तथा बस्ती जिलों में सड़कों का निर्माण

*९८—श्री राम लखन सिंह, श्री मोहम्मद नबी (जिला बस्ती), श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मेरठ में तथा जिला बस्ती में अलग-अलग अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च सन् १९७० तक की अवधि में कितने किलोमीटर नयी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ ?

श्री गिरधारी लाल—

कथित अवधि में जिला मेरठ में १६ किलोमीटर तथा जिला बस्ती में ९०.४० किलोमीटर लम्बी नई पक्की सड़कों का निर्माण किया गया ।

मई, १९७० में सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों की नियुक्ति का आधार

*९९—श्री रामलखन सिंह, श्री मोहम्मद नबी, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी तथा श्री राम सिंह—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि मई, १९७० में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में ओवरसियरों की नियुक्ति के लिये जो चुनाव हुआ है उसमें क्या निर्धारित योग्यता का ध्यान रक्खा गया था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—

मई, १९७० में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में ओवरसियरों की नियुक्ति के लिये कोई चुनाव नहीं हुआ ।

*१००–१०१—श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद —

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बहराइच शहर के निकट सरजू पुल को पथ-कर से मुक्त करना तथा अधिक वसूल हुए कर को वापस करना

*१०२—श्री केदार नाथ (जिला बहराइच)—

क्या निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि बहराइच शहर के समीप गोलुआकार से नवनिर्मित पुल की कुल कीमत एक माह के लगभग हो गया पूर्णतया वसूल हो चुकी है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार जो अब टक्स के रुपये की वसूलयाबी हो रही है उसे तुरन्त रोकने की कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जिला बहराइच में बहराइच–बहरामघाट सड़क के दूसरे मील पर गोलवाघाट में सरजू पुल पर से पथ-कर की वसूली ४ अगस्त, १९७० से बन्द कर दी गई है और इसको पथ-कर से मुक्त पुल घोषित कर दिया गया है ।

*१०३—श्री केदार नाथ—

क्या मन्त्री जी उपरोक्त पुल पर व्यय हुये मूल्य से जायद वसूल किये हुये टैक्स को सम्बन्धित व्यक्तियों को वापस करने और जिन अधिकारियों ने जान-बूझ कर यह अनियमिततायें की हैं और जनहित के विरुद्ध किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

पुल निर्माण की कुल लागत पथ-कर द्वारा वसूल होने तथा पुल को पथ-कर से मुक्त घोषित किये जाने के बीच व्यतीत हुये समय में कुछ धनराशि का अधिक वसूल होना स्वाभाविक है । इस सम्बन्ध में जान-बूझ कर किसी अधिकारी ने न कोई अनियमितता की और न जनहित के विरुद्ध कार्य ही किया । अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा जायद वसूल किये गये पथ-कर को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१०४—श्री भगेलू सिंह—

[पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

खेल-कूद की प्रगति हेतु प्रतापगढ़ जिले को अनुदान

१—श्री जयराम यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में खेल-कूद की प्रगति हेतु राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कितना अनुदान दिया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश कौंसिल आफ स्पोर्टस द्वारा वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में प्रतापगढ़ जिले को कुल २,१४० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ।

२—श्री जयराम यादव—

क्या यह सही है कि इन अनुदानों की अधिकांश धनराशि स्टेशन क्लब, प्रतापगढ़ को दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, केवल ७० रुपये का अनुदान १९६९–७० में स्टेशन क्लब, प्रतापगढ़ को क्रिकेट मैच के आयोजन के लिये दिया गया था ।

बस्ती से बढ़नी, बांसी से नौगढ़ तथा ढेवरुवा से शोहरतगढ़ तक की सड़कों को ऊंचा करने, ओवरमेजरमेन्ट द्वारा कथित भुगतान तथा मिट्टी का अधिक भुगतान किया जाना

३—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती की निम्नलिखित तीन सड़कों :

(१) बस्ती से बढ़नी मील ३३ से ५२ तक,

(२) बांसी से नौगढ़ १८ मील, और

(३) ढेवरुवा से शोहरतगढ़ १२ मील,

में सोलिंग, इण्टर कोट, टापकोट व तारकोल व पेंटिंग कराने के लिये एग्रीमेंट में क्या १५ इंच ऊंचा करने के बाद पक्का करने का था ? यदि हां, तो उसकी ऊंचाई केवल ७ या ८ इंच कराकर उन्हें क्यों पेंट किया गया है और किया जा रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—

इन मार्गों को १५ इंच ऊंचा करने का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है । सड़क की ऊंचाई आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाती है जो स्थानीय भूमि की सतह के अनुसार घटबढ़ सकती है । इन मार्गों में कई एक ऐसे स्थल हैं जहां पर सड़क की ऊंचाई भूमि की सतह से ६ फुट से १२ फुट तक है । बांसी से नौगढ़ की दूरी केवल १४ मील है ।

४—श्री प्यारे लाल—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त तीन सड़कों पर खंजड़, गिट्टी के मेजरमेंट में कितनी प्रतिशत कच्ची और कितनी प्रतिशत पक्की गिट्टी लगाये जाने का एग्रीमेंट था और कितना लगाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त काम में ओवर मेजरमेंट करके पेमेंट किया जा रहा है, जबकि मौके पर ३० प्रतिशत भी नहीं हुआ है और जिसकी सूचना सरकार के पास है ?

श्री गिरधारी लाल—

इन मार्गों पर केवल ओवरबर्न्ट ईंटों की गिट्टी की सम्पूर्ति के एग्रीमेन्ट हैं तथा तदनुसार कार्य कराया जा रहा है इन मार्गों पर खंजड़ एवं कच्ची मिट्टी लेने का कोई एग्रीमेंट नहीं है । यह असत्य है कि उपरोक्त मार्गों पर ओवर मेजरमेंट किया जा रहा है । यह भी असत्य है कि मौके पर काम ३० प्रतिशत भी नहीं हुआ है । सब पेमेन्ट सम्बन्धित अधिदर्शकों द्वारा मौके पर हुये कार्य की पैमाइश करने तथा सहायक अभियन्ताओं द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् ही किये गये हैं ।

५—श्री प्यारेलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो गिट्टी बिरोही, जिला मिर्जापुर से आई है उसमें एस्टीमेट के अनुसार कितना माल मौके पर मौजूद है जब कि पेमेन्ट अधिक का किया गया है और सामान कम आया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—

जो गिट्टी बिरोही, जिला मिर्जापुर से आई है, जिसका भुगतान किया गया तथा जो मौके पर मौजूद है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। संलग्न तालिका से यह स्पष्ट है कि यह कथन कि गिट्टी कम आई है असत्य है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३१२ पर)

बलिया जिले में नहरों में गूलों के निर्माण पर व्यय

६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में सन् १९६४ से १९६७ तक नहरों में गूलें बनाने में कुल कितने रुपये खर्च किये गये हैं और यह गूलें कहां-कहां, कितनी-कितनी लम्बाई की बनाई गई हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

बलिया जिले में सन् १९६३-६४ से १९६७-६८ तक नहरों में गूल बनाने में कुल ६,०७,०२७.६१ रुपये खर्च हुये हैं। जिन नहरों पर गूलें बनाई गई है उनकी लम्बाई एवं खर्च आदि का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३१३-१४ पर)

राजकीय दीक्षा विद्यालय, रामनगर, जिला बाराबंकी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा अतिरिक्त समय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भत्ता न देना

७—श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार बतायेगी कि अप्रैल, १९६७ से मई, १९७० तक राजकीय दीक्षा विद्यालय, रामनगर, बाराबंकी से किन-किन कर्मचारियों का किन-किन आधारों पर कहां-कहां स्थानान्तरण किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३१५-३१६ पर)

८—श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त विद्यालय में सन् १९६७ से २९ सितम्बर, १९६९ तक शिक्षण कार्य प्रातः ७ बजे से सायं ५ बजे तक होता रहा और क्या अतिरिक्त समय कार्य करने के लिये कर्मचारियों को भत्ता दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

९—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जिला फैजाबाद में मिल्कीपुर-अमानीगंज-खडांसा सड़कों को पक्का करना

१०—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद में सड़क मिल्कीपुर-अमानीगंज पक्की बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—

मिल्कीपुर-अमानीगंज सड़क के पहिले चार मीलों का निर्माण कर दिया गया है। शेष सड़क के निर्माण के लिये इस समय कोई योजना नहीं है।

११—श्री धूम प्रसाद—

क्या अमानीगंज से खडांसा जाने के लिये भी पक्की सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर होने तथा प्रस्ताव के स्थानीय अधिकारियों से सम्बन्धित होने से उसकी अनुमति के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं व्यवस्था के लिये खड़ा हुआ हूं। आप कृपया व्यवस्था दें। क्या सरकार अपने कर्मचारियों के ऐक्ट्स आफ ओमिशंस के लिये उत्तर दायी है या नहीं ? यह प्रश्न इसलिये उठता है कि कल आपने व्यवस्था दी है उसके संदर्भ मे बड़ा मौलिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

थ्योरिटिकली प्रश्न पूछ रहे हैं आप ! जिम्मेदार तो सरकार हर चीज के लिये है। काम यहां पर गलत होता है तो जिम्मेदार होती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

जो रूलिंग आपने दी, तो यह कहा था कि स्थानीय कर्मचारी अगर कुछ करते हैं, उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है। हम यह प्रश्न इसलिये उठा रहे हैं कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के कार्य के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं रखती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इजाजत तो आपने दे ही दी, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको इजाजत दी। उन्होंने यह पूछा कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि जो ऐडजर्नमेन्ट का सवाल है उस सवाल में प्रश्न आता है कि क्या जो स्थानिक अधिकारी हैं उनको अधिकार दिये हैं? उन अधिकारों को यदि वे साधारण व्यवस्था के लिये काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप यह नहीं कह सकते है कि इसमें

[श्री अध्यक्ष]

सरकार ने प्रत्यक्ष मदाखलत कोई की है । तो जब सरकार ने मदाखलत की बात नहीं की तो ऐसी अवस्था में कामरोको प्रस्ताव नहीं आता, केवल ऐसी हालत में चर्चा ही हो सकती है। जितने भी गलत काम या अत्याचार सरकार के अधिकारी करते हैं उनके लिये सरकार जिम्मेदार तो है, उनको सजा देने का अधिकार उसको है लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि वह काम सरकार ने स्वयं गलत किया है । सदन का काम रोकने के लिये कोई महत्वपूर्ण गलत कार्य सरकार का सोचे होना चाहिये जिसमें कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया हो ।

(दो सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप ने जो व्यवस्था दी है उसके बाद भी क्या आप अब फिर वादविवाद का अवसर देना चाहते हैं ? आप ने कल भी और आज भी सम्बन्धित लोगों के विचार सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दे दी है और अब फिर विचार आरम्भ कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं एक बुनियादी बात की ओर आप का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस सदन की जो परम्परायें हैं और जो यहां का इतिहास है उसको देखते हुये भी इस संबंध में आपके निर्देश होने बहुत आवश्यक है। कल जो कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां आया वह कोई साधारण कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं था, उस पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर थे और जो वैधानिक परम्परायें हैं उन में नेता विरोधी दल एक महत्वपूर्ण स्थान है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है कि यह आप का जो निर्णय हो चुका उसको रिवायज करने की बात हो रही है। अगर दोबारा माननीय नारायणदत्त जी तिवारी चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वह डिस्टिन्कशन बराबर हर बात में कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि विशेषाधिकार आप सब से ज्यादा, कायदे के खिलाफ भी नेता विरोधी दल के होने चाहिये लेकिन मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं, कि भेदभाव किया जाय और न मैं इस बात के लिये कभी तैयार हुआ हूं । बार बार प्रश्न यह उठता है कि नियम का सवाल नेता विरोधी दल के लिये नहीं होना चाहिये । मैंने तो कहा था कि आप चर्चा चाहते हैं तो वह हो सकती है, उसके लिये नियम है लेकिन आप डिक्टेट करें तो कि कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही चर्चा का विषय लिया जाय, नियम कुछ भी हों, तो मैं इस चीज को पसन्द नहीं करता । बार बार उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की बात मेरे सामने रखी, उसमें लिखा है प्रश्नों के बारे में..

श्री नारायणदत्त तिवारी—

किन्होंने रखी ?

श्री अध्यक्ष—

आपने । आपने फिर सवाल उठाया । इसमें कमरोको प्रस्ताव का सवाल नहीं है । इसमें कामरोको प्रस्ताव का या विशेषाधिकार का सवाल नहीं है । नेता विरोधी दल, विरोधी

दल के नेता हूं, प्रश्नों के बारे में हो सकता है कि वह प्रश्न लिख कर यहां और सदस्यों की तरह न दें, सवाल न करें और वह ऐसी चीज जबानी यहां रख दें और महत्व की चीज हो तो मैं उसकी इजाजत दे दूं। वह डिगनिटी के हिसाब से स्वयं लिख कर नहीं देते यह बात दूसरी है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये भी कोई नियम लागू उन पर नहीं है . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस समय आवेश में तो नहीं हैं, क्योंकि आप की भावभंगिमा ऐसी लग रही है। मैं नहीं कहता कि आप आवेश में हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप आवेश में तो नहीं हैं? क्योंकि अगर अध्यक्ष ही आवेश में आने लगें तो इस सदन का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो उनका उत्तर दिया. . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो परम्पराओं की ओर आपका ध्यान दिला रहा था। मेरी बात बिना सुने ही आपने ऐसी बात कही, अगर नमक अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो उसको नमकीन फिर कौन कहेगा. . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आज माननीय सदस्य ने आपके लिये श्रीमन्, आवेश की बात कही और कल भी कहा था कि "आप की यह परीक्षा है"....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि उनको इस बात की छूट है क्योंकि मैं समझता हूं कि वह तो हर चीज को बहुत तौल कर बोलते हैं और वह अच्छा अध्ययन भी करते हैं और इसीलिये मैं उनकी रिस-पेक्ट भी करता हूं लेकिन सवाल यह है कि बार बार आप उसी चीज को उठाना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, बार-बार नहीं पहली बार ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

इस बारे में कल आपसे बात हो चुकी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सदन में तो पहली बार ही उठा रहा हूं। कमरे में अवश्य यह बात उठी थी।

श्री अध्यक्ष—

मेरा कमरा और यहां एक ही बात है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आवेश में आ सकता हूं, सदन का कोई और सदस्य आवेश में आ सकता है लेकिन अगर माननीय अध्यक्ष जी ही आवेश में हों तो फिर कैसे इस सदन का काम चल सकता है। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि नेता विरोधी दल का पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में विशेष स्थान है। इस सदन में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सब नेता विरोधी दल रह चुके हैं, चाहे वे माननीय नेता बी० के० डी० हों, चाहे वे माननीय नेता कांग्रेस विधान मंडल हों, चाहे वे माननीय नेता जनसंघ हों और चाहे आज के दल के हों। सब विरोधी दल के नेता रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के जो अधिकार हों या परम्परायें हों, ये निश्चित हो जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ये निश्चित हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कोई भी जो नेता होता है, वह बहुत सोच-समझ कर किसी महत्व के ही प्रश्न पर हस्ताक्षर करता है। फिर परम्परा यह होती है कि अगर किसी भी नोटिस पर, एडजार्नमेन्ट मोशन पर, काल अटेन्शन पर या नियम ५१ व ५२ की सूचना पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर हों तो सरकार या नेता सदन से पूछा जाता है कि उस पर सरकार को क्या कहना है और सरकार सामान्यतः इस बात के लिये राजी होती है कि उस पर विवाद हो जाय। यह सरकार अभी नयी नयी बनी है और आपकी रूलिंग के द्वारा नेता सदन भी मुकर्रर हुआ है लेकिन कल तो इस सरकार को सांप सूंघ गया और कोई उठा भी नहीं कि वे इसका विरोध करते हैं। तो आपने सरकार से बिना पूछे ही माननीय नेता विरोधी दल के नोटिस को खारिज कर दिया।

इस सम्बन्ध में मैं नार्मन बिल्डिंग का पार्लियामेंट के एन्साक्लोपीडिया के पृष्ठ ४९८ से एक उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें दिया हुआ है कि—

Under modeern conditions it has fallen to the Opposition to discharge what regarded before the institution of Cabinet Government as the primary funntion of the House as a whole the control of criticism of the Government.

तो कैबिनेट गवर्नमेंट के पहले सारे सदन का जो अधिकार है वह अपोजीशन को होता है। कहा गया है कन्ट्रोल आफ क्रिटिसिज्म आफ दि गवर्नमेंट। तो श्रीमन्, जब नेता विरोधीदल द्वारा हस्ताक्षरित कोई मोशन हो और उसमें सत्ता रूढ़ दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार हो गये हों, तो वह अवश्य ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है और जिसके ३ कैबिनेट स्तर के मंत्री हों स्टेट मिनिस्टर हों और डिप्टी मिनिस्टर हों और उसके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया हो तो यह कम महत्वपूर्ण घटना नहीं है तो बिना सरकार का दृष्टिकोण सामने आये उस पर निर्णय हो गया।

हमारे यहां की जो प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है उसके नियम ५८ में जो कामरोको प्रस्ताव में बाधायें हैं, दी हुयी हैं। इसमें केवल ६—७ बातें रखी गयी हैं। उनमें पहली यह है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किया जायगा। तो कल एक ही प्रस्ताव था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ४--५ आये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

लेकिन श्रीमन्, आपने केवल एक पढ़ा ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी जानकारी में एक हो सकती है लेकिन जैसा मैंने कहा वे ४--५ थीं । एक तो जो आपके पास बैठे हैं, उनकी भी थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

आपने एक ही पढ़ी ?

श्री अध्यक्ष--

और मैंने नामंजूर कर दी थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

दूसरी बात यह है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । तो श्रीमन्, कल एक ही विषय था। तीसरा है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा । यह घटना हाल ही में घटित है और निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध है । चौथा है कि प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । ऐसा भी नहीं है । पांचवा है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । ऐसी चर्चा भी नहीं हुई थी । छठा है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लिया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, ऐसा भी कोई विषय नहीं था । सातवां है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके । तो इस पर कोई संकल्प भी प्रस्तुत नहीं हो सकता था । ये जो सातवां निर्बन्धन नियमावली में काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिये हुये हैं, इनकी परिधि में यह आता था और सब से बड़ी बात यह थी कि इसमें नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर थे । आपके द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिये कि नेता विरोधी दल के क्या अधिकार हैं और उसकी क्या परम्परायें हैं । इन परम्पराओं पर आपको रूलिंग देनी होगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने सब से प्रमुख दलील यह दी कि चूंकि इस कामरोको प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर थे इसलिये अनिवार्यतः उनको स्वीकार करना चाहिये था । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तर्क यदि हमारे भाई रामकरण सिंह या माननीय नेगी साहब या माननीय विकल जी उठावें तो इसमें कोई दम हो सकता है । लेकिन माननीय नारायण दत्त तिवारी की ओर से यह प्रश्न उठाया जाय तो यह लचर दलील है । इस आदरणीय सदन की जो परम्परा है जिसका निर्माण माननीय तिवारी जी और उनके पक्ष के लोगों ने किया है, उसी का पालन हो एक बार नहीं अनेक बार विरोध पक्ष में बैठे हुये सभी नेताओं के सम्मिलित हस्ताक्षर से कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं जिसका विरोध माननीय तिवारी जी और इनके पक्ष के लोगों ने किया है और ऐसी परम्परायें स्थापित नहीं कीं कि नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को स्वीकार ही किया जाय । इसलिये इस दलील में कोई दम नहीं है ।

[श्री मैनेजर सिंह]

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा है कि धरना या गिरफ्तारी की बातों पर निकट भविष्य में चर्चा होने वाली नहीं है वह जब अध्यादेश पर विचार होगा तो उस समय माननीय सदस्यों को उस बारे में भी विचार जाहिर करने का अवसर मिलेगा। उस नियम के अन्तर्गत भी कामरोको प्रस्ताव नहीं आना चाहिये था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सही कहा है। सारी बातों को विचार करने के बाद आपने एक निर्णय लिया और उस बात को स्वीकृति कर दी तो पुनः उस बात को उठाना और आपको इस बात का अवसर देना कहां तक उचित है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं होगी।

श्री गोबिन्द सिंह—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट के अन्दर, आपको याद होगा, जब पिछले दिसम्बर के महीने में राजनारायण पर लाठी चार्ज हुआ था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के डिमान्स्ट्रेशन पर तो पार्लियामेन्ट के अन्दर कामरोको प्रस्ताव आया था तो वह लाठी चार्ज इन्दिरा गांधी ने नहीं किया था, वहां की पुलिस ने किया था। आप अपनी रूलिंग को रिवाइज करें।

(व्यवधान)

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, आप हम लोगों का दृष्टिकोण भी सुनना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त यहां पर इस पर बहस नहीं होगी। आप यह चाहते हैं कि मैं इस बात के लिये निर्णय कर दूं कि नेता विरोधी दल के क्या क्या विशेष अधिकार हों। इस संबंध में यदि ऐसी महत्वपूर्ण बात के ऊपर वह इस बात की मांग करें कि उस कामरोको प्रस्ताव को लेना चाहिये या नहीं लेना चाहिये आदि बातों के ऊपर किसी रोज चर्चा अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग बहस कर लें। इस तरह से चर्चा करके इस बात का निर्णय कर लें लेकिन यहां बैठकर जब मैं इस पद पर बैठा हूं और कोई फैसला देता हूं तो वह सर्वमान्य होना चाहिये। उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहिये कि मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये था। सवाल यह है कि यह जो आपने प्रश्न उठाया है यही प्रश्न अगर मेरे कक्ष में हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं अगर कह दूं कि आप गलत रास्ते पर हैं तो उसको आप मान लें। मुझे कोई जिद नहीं है। अगर आप समझा देंगे तो मैं विचार कर सकता हूं। अगर आप गलत रास्ते पर चले गये तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे कक्ष में बात हो सकती है और वहां पर विरोधीदल के नेता भी मौजूद रहें तो अच्छा है। आपने एक चीज उठाई। उस संबंध में मैंने आपको बता दिया। आप फिर उस चीज को दोहराते हैं . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो नामजद नेता सदन हैं वह आज भी राज्य सभा में विरोधीदल के सदस्य हैं। वह इस बात को पसन्द करेंगे। उनसे पूछ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं पसन्द करेंगे । अगर वह भी राजी हो जायं और आप भी राजी हो जायं लेकिन नियम के वह बात विरुद्ध है तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं । नियम ५२ में दो घंटे की चर्चा आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह कहें कि कामरोको प्रस्ताव लाकर उसके द्वारा ही हम विचार करेंगे और यह चीज नियम के बाहर जाती है तो नेता सदन भी कहें और नेता विरोधीदल भी उसको कहें, यानी दोनों भी उस बात को कहें तो मैं नियम को तोड़ने वाला नहीं हूं । आपने एक कामरोको प्रस्ताव दिया । उसको मैंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है । तो अब उनका जवाब देने का प्रश्न नहीं उठता है । मैंने उस पर विचार किया । आपने कहा कि इसको स्वीकार कर लीजिये । तो बहुत लोग हमारे यहां आते हैं और कहते हैं कि इसको स्वीकार कर लीजिये । तो मेरी कठिनाई है । यदि मुझसे गलती हो गई हो और आप समझायेंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा । हम कोई विशेष अधिकार नियमों के वरुद्ध चाहे ऐसी प्रथा पार्लियामेंट में भी हो तो यहां पर मंजूर नहीं करेंगे । हम किसी पार्लियामेंट के गुलाम नहीं हैं । पार्लियामेंट के जो भी सिद्धांत हों लेकिन उनको यहां हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं । अगर कोई मुनासिब चीज हो और सर्व सम्मति से उसको यहां पर चालू करते हैं तो वह सदन की राय है और सदन उसको कर सकता है । मैं भी उसको मानता हूं क्योंकि मैं सदन का सेवक हूं । लेकिन जिस बात को पूरा सदन नहीं कहता है चाहे वह किसी विशेषाधिकार की बात हो और उसको नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों भी कहें तो मैं उसको नियम के विरुद्ध मानने के लिये तैयार नहीं हूं । यहां पर जो एक व्यक्ति के अधिकार हैं किसी कामरोको प्रस्ताव को उठाने के वही नेता सदन, नेता विरोधी दल को भी है । उनके लिये कोई दूसरे अधिकार नहीं हैं । आपके किसी प्रश्न के ऊपर हस्ताक्षर हों और उनके लिये कोई विशेषाधिकार सदन दे तो वह सर्वसम्मति से दे सकता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल किसी अधिकार की अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा है और न किसी अधिकार की अपेक्षा के लिये यहां खड़ा हुआ है । पार्लियामेंट का कार्य थोड़ा सौजन्य से भी चलता है और परम्पराओं से भी चलता है । नारायण दत्त जी ने जो प्रश्न उठाया, भले ही वह नियमानुसार हो या न हो, लेकिन जब सब विरोधी पक्ष की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया तो सौजन्य की बात यह थी कि उस पर सरकार का रुख भी जान लिया जाता । बिना सरकार के रुख को जाने हुये उसे अस्वीकार कर देना यह सोचने की बात है । हम आपके सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं । मैं आपसे बड़े अदब से यह निवेदन करता हूं कि आप कृपया आवेश में न आया करें और न क्रोध लाया करें । नेता विरोधीदल, को कोई व्यक्तिगत अधिकार देने की बात नहीं है । एक प्रश्न उठाया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न था आप नहीं चाहते कि उस पर विचार हो, न हो, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष—

विचार तो उस पर किया जायगा, कल भी मैंने कहा था । वह महत्व की चीज है, विचार के लिये समय मांगने का आपको अधिकार है । नियम ५२ आदि में आप दो घंटे का समय मांग सकते हैं । कार्य-स्थगन में भी २ ही घंटे का समय होता है । मगर कार्य-स्थगन के रूप में मैंने उसे स्वीकार नहीं किया । इस संबंध में माननीय मावलंकर जी की भी कई रूलिंग्स हैं । इंगलैंड में भी जो प्रथा थी पहले हर एक आदमी को काम रोको प्रस्ताव लाने का अधिकार था और वहां हर सदस्य ने यह लाना शुरू कर दिया । रोज ५–५,६–६ काम रोको प्रस्ताव आने लगे थे । हमारे यहां भी आना शुरू हुये । ऐसी अवस्था में फिर उस पर नियन्त्रण

[श्री अध्यक्ष]

करना पड़ा और यह करना पड़ा कि किन-किन सूरतों में वह आ सकेगा। वहां यह भी किया गया कि फलां-फलां दिन ही लिया जायगा। काम रोको प्रस्ताव में सदन के उस दिन के काम को रोक देना पड़ता है। इसलिये उस पर नियन्त्रण किया गया मगर चर्चा आदि के लिये और नियम ५२ आदि बना दिये ताकि सुभीते से, सुविधानुसार महत्व के विषय पर चर्चा हो जाय। आप कल ही इस पर बहस कर सकते हैं। आप ने जो नियम पढ़े, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वाली बात नहीं पढ़ा। तो यह चीज है। इसलिये उसको स्वीकार नहीं किया मैंने, आप बहस के लिये समय मांग सकते हैं। अगर आप कोई नयी चीज इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वह सर्वसम्मति से ही हो सकती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हमारे इन्ट्रोड्यूस करने से ही कोई नयी चीज इन्ट्रोड्यूस नहीं हो जायगी। आप को यह अधिकार हमें देना होगा कि हम यदि कोई चीज कहना चाहें तो कह सकें और आप आवेश में न आयें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक है। किसी को आवेश में नहीं आना चाहिये। मैं आ गया था थोड़ी देर के लिये, यह ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिये था।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

जो बात आपने आज कही है वही हमने कल कही थी। हमने कहा था कि काम रोको प्रस्ताव पर आप निर्णय अभी न लें, कल सभी से बात कर के लें और लोगों से बात कर लें और फिर जो चाहें तय करें। इसमें किसी को क्या आपित्त हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

अब जब २—४ दिन इसमें लग गये तो वह काम रोको प्रस्ताव कहां रह गया है। अब वह चीज निपट गई है, इसलिये इस पर बहस नहीं हो सकती है। अब आगे की कार्यवाही ली जाए।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, आपकी जो व्यवस्था है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जो अभी आपने इस सदन में इंग्लैंड की परम्पराओं की चर्चा कर दी और आपने कह दिया कि लोक सभा में कोई अच्छी परम्परा भी होगी तो उसके हम गुलाम नहीं होंगे, इसके विषय में मुझे निवेदन करना है। तो विदेशों को और विदेशी परम्पराओं के तो आप गुलाम होंगे किन्तु अपने देश की लोक सभा की किसी अच्छी बात को भी नहीं स्वीकार करेंगे, यह काफी परेशानी वाली बात है और किसी की न समझ में आने वाली बात है। अभी लोक सभा ने कौंसिल के बारे में कुछ कह दिया तो उसके लिये भी क्या आप कह देंगे कि हम उसे नहीं मानते हैं? इस बारे में आप शान्ति से विचार करें और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अधिकारों और अपने अधिकारों को जुदा न करें। सदन के प्रत्येक सदस्य के वही अधिकार हैं, जो आप के अधिकार हैं। उनमें फर्क करना किसी भी दशा में ठीक नहीं है। उसी प्रकार से सदन के माननीय सदस्यों के और आपके सम्मान में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। दोनों के सम्मान अधिकार की ही भांति समान हैं। यदि आप दोनों में भेद कर देंगे तो हमारा और आपका किसी का भी सम्मान नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं यह चीज कल से देख रहा हूं कि आप सदन का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कोई भी सदस्य हो वह आप में निहित है—प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में । अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने और सदन के माननीय सदस्यों के मध्य कोई अन्तर न लावें ।

श्री अध्यक्ष—

इसे मैं मानता हूं ।

श्री मंजूर अहमद की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे कुछ सूचनायें देनी हैं । कल मैंने मंजूर अहमद जी की गिरफ्तारी की सूचना दी थी, वह कल ही छूट गये हैं, क्योंकि मामला वापस ले लिया गया है, यह सूचना मेरे पास आई है ।

३ मार्च, १९७० को सदन में पिस्तौल की गोली मिलने के विषय में की गई जांच के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

४ मार्च, १९७० को श्री गोविन्द सिंह तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा सदन में पिस्तौल की गोली पाये जाने के समाचार के बारे में जानकारी चाहते हुये यह मांग की गई थी कि उसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय । मैंने कहा था कि जिस माननीय सदस्य का वह कारतूस हो वे मुझ से ले लें । यदि कोई सदस्य उसे लेने न आया तो मैं उसकी जांच के लिये गृह मंत्री से कहूंगा । कुछ सदस्यों के आग्रह करने पर मैंने कहा था कि मैं इस मामले की जांच स्वयं करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो सी० आई० डी० से भी जांच करा ली जायगी ।

जब मेरे पास कोई माननीय सदस्य उक्त कारतूस लेने नहीं आये तो मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उक्त कारतूस किस का था और किस प्रकार सदन के अन्दर आया । परन्तु कोई पता न चल सका । अतः इस मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई ।

किन्तु विवेचना से यह ज्ञात नहीं हो सकता कि सदन में पाई गई कारतूस किस व्यक्ति की है । दैनिक हिन्दुस्तान समाचार-पत्र दिनांक ७ मार्च, १९७० में प्रकाशित समाचार कि यह कारतूस एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर की है की पुष्टि जांच से नहीं हुई है । सदन से प्राप्त कारतूस की नाप आदि से यह प्रमाणित होता है कि इस प्रकार की कारतूस पुलिस विभाग में प्रयोग नहीं की जाती है । अनुमान किया जाता है कि यह कारतूस किसी व्यक्तिगत लाइसेन्सी की है । इसलिये मैंने कहा अब इंक्वायरी खत्म की जानी चाहिये ।

कांग्रेस (सत्तारूढ़) दल के उपनेता के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना और दे दूं । नेता विरोधी दल ने कहा है कि श्री चतुर्भुज शर्मा को वे विधान मंडल दल का उपनेता, जो वरिष्ठ पार्टी के सदस्य हैं, नियुक्त करते हैं । यह उनके दल के उपनेता रहेंगे । जब वह गैरहाजिर रहेंगे तो जो नेता विरोधी दल के कर्त्तव्य हैं, उन्हें वह करेंगे । यह ठीक है, इसे मैंने स्वीकार कर दिया है और उसकी सूचना आपको दे दी है ।

एक सदस्य—

जो बात आप कहते हैं सुनायी नहीं पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने श्री चतुर्भुज शर्मा को उपनेता बनाया है । जब वह गैर हाजिर रहेंगे तो उनकी जगह पर उस वक्त काम करेंगे । यह बात बता दी ।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मैं एक जानकारी करना चाहता हूं । आप जानते हैं कि जिस समय विधान सभा में कार्य प्रारम्भ होता है तो सप्ताह के प्रारम्भ में नेता सदन की ओर से उस सप्ताह का पूरा कार्यक्रम बता दिया जाता है । अभी तक चूंकि वह नहीं बताया गया है, मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप नेता सदन से इस सप्ताह के कार्यक्रम की जानकारी दिलवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि पहले सप्ताह का ही कार्यक्रम क्या होगा कार्य मंत्रणा समिति में विचार हो रहा था । उसमें यह दिखायी दिया कि सप्ताह भर का एक साथ निर्णय नहीं हो सकता । इसलिये एक दो रोज का कार्यक्रम दिया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

हम लोगों को भी कार्य रहता है, वैसा कार्यक्रम बनाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना दे दी गई कि पूरा यह कार्यक्रम होगा, कितना-कितना समय दिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

कौन सा महत्व का विषय है, किस में कब हिस्सा लेना है, जब तक कार्यक्रम नहीं होगा तब तक कैसे मालूम होगा ?

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह आप को मालूम हुआ । उसके ऊपर वोटिंग भी हो गयी । पूरा कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है ।

लोक सभा में केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा विधान परिषदों के उत्सादन सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यक्त राय के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को लिख कर दिया है । कृपा करके अवसर दें । व्यवस्था का प्रश्न है । आपको स्मरण होगा । कल लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि मंत्री ने यह सूचना लोक सभा को बिहार की विधान परिषद् जो है, उसके उत्सादन का प्रस्ताव हुआ, उसके ऊपर दी, मैं जानता हूं कि आप किसी से बाध्य नहीं हैं, आप अपने विवेक से काम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

सदन करेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं अपनी बात कह दूं । हम को जो कार्यक्रम दिया गया है ११ तारीख या १८ तारीख को कोई प्रस्ताव, जो प्रस्ताव २६ अप्रैल १९७० को विधान परिषद् के उत्सादन का स्वीकार किया था, उस पर पुनर्विचार के लिये दिया गया है । कल विधि मंत्री, केन्द्र, ने एक सूचना दी है, जो आज सारे समाचार पत्रों में बड़ी सुर्खी में छपी है कि विधान सभा को आर्टिकिल १६९ में जो अधिकार है केवल यह है कि किसी विधान परिषद् के उत्सादन की सिफारिश कर सके और दूसरे यह है कि जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर स्थापित करने के लिये प्रस्ताव कर सके । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो हम लोगों को लिख कर कार्यक्रम में दिया गया है कि ११ या १८ तारीख को गैर-सरकारी दिवस में वह प्रस्ताव लाया जायगा, इस नयी सूचना के बाद जो विधि मंत्री केन्द्र ने दी है उसके बाद क्या आप इस बात को उचित समझेंगे कि अगर वैधानिक आपत्ति है उसके अन्दर, और आप भी समझते हैं कि वैधानिक आपत्ति सही है, क्या श्रीमन्, आप इस पर विचार कर लेंगे कि कार्य सूची में उसको रखा जाय या न रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं भी कानूनी राय ले लूंगा । जो हायस्ट कानूनी राय है, वह ले लूंगा । उसके बाद, आखिर में मैं सदन को सबसे बड़ा समझता हूं । उस पर बहस होगी, सदन समझता है कि अधिकार नहीं तो खत्म करेगा ।

विविध विषय

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)---

कल मैंने आपके दफ्तर में एक एप्लीकेशन दी थी कि कोआपरेटिव के चुनाव हो रहे थे वह गवर्नमेंट के कारण रोक दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरी बात है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

आइटम नं० ३ के बारे में मैंने आपके पास लिखकर भेजा था ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने प्रार्थना की है कि आप मुझसे बात कर लें ।

श्री रियासत हुसैन---

यह ठीक है लेकिन आप सदन को बतला दें कि इशूज क्या हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आपको बात करने के लिये मैंने कहा है । आप मेरे कक्ष में मुझसे बात कर लें ।

श्री रियासत हुसैन---

मैं किस तरह इसको पेश करूंगा कि यह बात तो कक्ष में हो जावेगी लेकिन क्या इशूज हैं यह आप यहां बतला दें ।

श्री अध्यक्ष---

इसके लिये यह मौका नहीं है । यह अजेंडा में नहीं है । आप मेरे कमरे में आ जायं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, वह सदन की चर्चा का विषय बनेगा । इसलिये क्या इशूज हैं इसको बतला दिया जाय । श्री नित्या नन्द स्वामी ने अभी कौंसिल का हवाला भी दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी आपसे बात हो जावे तभी यह सदन में आ सकेगा । अगला नं० ५ लिया जाय ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)-

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं । प्रश्नों के उत्तर की प्रक्रिया हर सदस्य को दी जाय इसके लिये आपने कहा था कि अगले सत्र से यह हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)--

आपने ही अगले सत्र के लिये कहा था(व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दें कि सदन में जो लाउडस्पीकर लगे हुये हैं उनसे साफ आवाज नहीं आती है । ऐसी व्यवस्था की जाय कि साफ सुनाई पड़ सके ।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन यह अभी ठीक नहीं हो सके हैं ।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

कल जो चर्चा हुई थी उसके बारे में गृह मंत्री जी बतलायेंगे ।

गृहमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

७ दिसम्बर, १९७० के साढ़े दस बजे प्रातः से साढ़े बारह बजे अपरान्ह के बीच धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८, के उल्लंघन कुछ छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के विरुद्ध विधान भवन के सामने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया जिस पर पुलिस ने सर्वश्री अर्जुन सिंह भदौरिया, संसद सदस्य, जनेश्वर मिश्र, संसद सदस्य, मंजूर अहमद, सदस्य विधान सभा, सालिगराम जायसवाल, सदस्य, विधान परिषद्, उग्रसेन, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सहित कुल १०७ प्रदर्शनकारियों को धारा १८८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । यह कहना सत्य नहीं है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी अथवा अभद्र ढंग से की गई या प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया । यह भी कहना सत्य नहीं है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को हवालात अथवा जेल में पीटा गया है । गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया और न ही किसी को कोई चोट आई ।

गिरफ्तार किये गये इन सभी व्यक्तियों को ८ दिसम्बर, १९७० को रिहा कर दिया गया है और उनके विरुद्ध मामले समाप्त कर दिये गये हैं ।

श्री विश्वकर्मा दुबे द्वारा आत्मदाह करने की धमकी के विषय में ७ दिसम्बर, १९७० को मुख्य मंत्री जी को संबोधित तार प्राप्त हुआ था जिसमें श्री दुबे ने विधान सभा द्वार पर ७ दिसम्बर

को साढ़े चार बजे आत्मदाह करने के निश्चय की सूचना दी थी। उक्त तिथि को श्री दुबे या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्मदाह विधान सभा के द्वार पर नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं। यह वक्तव्य हो गया इस पर नियम ५२ के अन्तर्गत घंटे दो घंटे का समय चाहेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

चर्चा के लिये एक घंटे का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ में उसके लिये रास्ता है। आज तो बहस होगी नहीं लेकिन दो घंटे का समय मैं बहुत जल्दी निकालूंगा।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)---

नेता विरोधी दल ने तो एक घंटे का ही समय मांगा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी ---

जब आपने (अध्यक्ष ने) दो घंटे का समय दे दिया है, तो वही दे दें।

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत ढाई घंटे का समय दिया जा सकता है। इसमें तो आधा घंटा कम ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसकी भी जांच कर लें क्योंकि नेशनल हैराल्ड के फ्रन्ट पेज पर श्री जनेश्वर मिश्र को पुलिस द्वारा बलपूर्वक उठाते हुए फोटो छपी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

नेशनल हैराल्ड में सारी बातें तो सही नहीं निकलतीं।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

उन लोगों को निर्मम तरीके से पीटा गया और लाठी चार्ज किया गया। यह वक्तव्य गलत है।

श्री अध्यक्ष---

एक बात सुन लीजिये। दो घंटे की बहस होनी चाहिये, इसको मान्य कर लीजिये। उस समय जितना कहना हो, उसकी इजाजत दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

इस वक्तव्य से इस सदन को भ्रमित किया जा रहा है और ये झूठी सूचना दे रहे हैं। वहां बल प्रयोग किया गया है।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)---

हमारे संसोपा के माननीय मंत्री जी इस तथ्य को मानते हैं कि यह नहीं हुआ ? आप उनसे कहला दें ।

श्री अध्यक्ष---

जो कुछ उन्होंने कहा है, उसके खिलाफ वह कैसे कह देंगे ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम तय न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

इसके पहले कि आइटम नं० ६ लें, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । इस सदन के अन्दर जो भी कार्यवाही आती है वह बिजनेश ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिश से आती है । मुझको यह मालूम हुआ है कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आज के एजेन्डा के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया और जितनी भी कार्यवाही इसमें आयी है जो नं० ६ से शुरू होती है वह बगैर कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के आयी है जो अनुचित है । या तो फिर रेजोल्यूशन की शक्ल में यह होना चाहिये । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

यह दुख की बात है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मतभेद रहा । जो विरोधी दल के सदस्य थे । उन्होंने कहा कि हम भाग नहीं लेंगे । काम तो चलना ही है । यह बात तय हुई कि जितने आइटम्स हैं सदन में उनको रख दिया जाय और एक-एक करके लेते जायेंगे । समय का निर्णय करना, यह मुख्य कार्य, कार्य मंत्रणा समिति का है ।

सरकारी पक्ष की तरफ से यह विचार किया गया कि रख दो और हम कोशिश करेंगे और विरोधी पक्ष के नेता नाराज हो कर चले गये उनके साथ हम इकट्ठे बैठ कर बातचीत करें और एक मत से तय करें लेकिन जब तक यह तय नहीं होता है तब तक सदन तो चलेगा ही । हमारे पार्लियामेंटरी एफेयर्स के जो मंत्री हैं वे बतावें कि उन्होंने कोई कोशिश की कि इसको फिर से कार्य मंत्रणा समिति में रखने के बारे में ।

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, कल तिवारी जी तैयार नहीं थे भाग लेने में । आज उनसे बातचीत करके इसको तय कर देंगे । कल के लिये जब तक कि परामर्शदात्री समिति तय करती है जिस तरह से सदन चल रहा है उसी तरह से आज भी चलेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ यहां कहा गया है वह सही तथ्य नहीं हैं । इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, आपने स्वयं कहा कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में बिजनेस के बारे में कुछ मतभेद था और इसी लिये मैंने उसमें भाग नहीं लिया । बिजनेस के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई । कल मैंने जो उसमें भाग नहीं लिया वह केवल इस लिये कि नेता विरोधी दल के जो अधिकार हैं, जो मान्यतायें हैं, परम्परायें हैं उनको नहीं किया गया । मैंने, रामचन्द्र जी विकल ने, नेता पी० एस० पी० , कम्युनिस्ट पार्टी ने इसीलिये भाग नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष---

मुझको तो बतला देते। एक दिन पूर्व आप कह चुके थे कि परसों तक यदि सरकार प्रोग्राम नहीं बताती है कि किस दिन क्या-क्या लेंगे तो हम कल से नहीं जायेंगे। उसी कन्टेक्स्ट में चूंकि आप कह चुके थे यह मैंने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, अच्छा होगा कि मैं और नजदीक में बैठूं ?

श्री अध्यक्ष---

अब एकता हो जाय तो अच्छा है। आज शाम को फिर बैठें और आगे के लिये प्रोग्राम को तय कर लें। आजका प्रोग्राम तो हो चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आज का प्रोग्राम कौन सा तय हुआ था। जो बिजनेस जाब दिया हुआ है वह होगा। आज का कोई तय नहीं हुआ नहीं तो प्रस्ताव आता, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---

आज का कोई प्रोग्राम परसों तय नहीं हुआ। एक चीज यह तय हुई थी कि ११ तारीख को छुट्टी रहेगी। यह बात तय हो गई थी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७०†

श्री अध्यक्ष---

अब मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह अगला आइटम लें।

राजस्व मंत्री (श्री प्रभु नारायण सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

मान्यवर, इसकी आवश्यकता इस लिये पड़ी कि जो प्रथम विधेयक प्रवर समिति के सामने गया था वह ३-१/८ एकड़ तक की मालगुजारी को माफ करने के लिये था लेकिन अब ३-१/८ एकड़ पर मालगजारी समाप्त करने के स्थान पर ६-१/४ एकड़ पर मालगुजारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसलिये इस विधेयक को वापिस लेने की जरूरत पड़ी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, अभी माननीय राजस्व मंत्री ने जो कारण बताये हैं वे हो ही नहीं सकते। अगर सवा ३ एकड़ के स्थान पर सवा ६ एकड़ करना था तो कोई भी मन्त्री या स्वयं राजस्व मन्त्री या कोई भी सदस्य एक संशोधन ला सकते थे कि सवा ३ एकड़ के स्थान पर सवा ६ एकड़ पढ़ा जाय। तो हमारा जो बहुमूल्य समय इस प्रवर समिति में व्यतीत हुआ और इतना हमारा खर्चा हुआ वह व्यर्थ गया। केवल इतनी सी बात पर सारा विधेयक वापिस लिया गया वह उचित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात यह है कि मुझे इस सरकार की कार्यप्रणाली देख कर आश्चर्य होता है। इस पर विचार करने की बात है। कल दोपहर से पहले तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह अनुमति चाही कि सदन में यह प्रतिवेदन रखा जाय। फिर बाद को यह अनुमति चाही कि प्रतिवेदन देने के लिये समय बढ़ाया जाय। तो इस तरह से कल जो कार्यवाही हुई वह गलत हुई, बाद में वह ठीक की गई। इस पर अध्यक्ष को रूलिंग देनी पड़ी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी रूलिंग पर पुर्नविचार कर लें क्योंकि कल दोपहर तक तो सरकार को यह पता ही नहीं था कि हम सवा छः एकड़ लगान तक माफ करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

क्या सरकार को पता ही नहीं था ?

*श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां, ऐसी ही बात थी। अगर ऐसी बात न होती तो कल सदन में प्रतिवेदन को रखने की अनुमति क्यों चाहते और बाद में समय बढ़वाने की बात कैसे होती और आपको उस पर रूलिंग देनी पड़ी। मैं यही बात माननीय राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहुंगा कि वे कौन से हालात थे जिसके कारण पूरा विधेयक वापिस लेना पड़ा। विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की धारा १७१ में केवल ३ कारण बताये गये हैं। पहला कारण जो (क) पर है वह है "विधेयक की अन्तर्विष्ट विधायनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है।" तो इनमें कोई विधायनी प्रस्थापना समाप्त नहीं की जानी है। मैंने उस विधेयक को देखा है। तो उसमें सभी धारायें वैसी की वैसी बनी हुई हैं। (ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारतः रूपान्तरित हो जायगी। इसमें कोई सारतः रूपान्तरित नहीं होनी है। केवल शाब्दिक हो सकती है, कि सवा ३ एकड़ के स्थान पर सवा छः एकड़ पढ़ा जाय। (क) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कुछ उपबन्ध सम्मिलित होंगे। तो इसमें कोई नये उपबन्ध नहीं आने हैं केवल सवा ३ एकड़ के स्थान पर सवा छः एकड़ करना है। तो मान्यवर मुझे तो कोई खास कारण दिखाई नहीं पड़ता जिसके कारण यह पूरा का पूरा विधेयक वापिस लेना पड़ा। यह सारा कार्य तो संशोधन के जरिये ही हो सकता था।

श्री प्रभु नारायण सिंह---

माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जो प्रश्न उठाया है और जो बातें कहीं है कि कल तक इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी कि जो लोग सवा छः एकड़ की मालगुजारी समाप्त करने जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रदेश में लाखों करोड़ों गरीब किसानों की माल गुजारी माफ करने जा रहे हैं और उनको जानकारी न हो जो मालगुजारी माफ करने जा रहे हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी को इस सम्बन्ध में थोड़ी सी गलतफहमी है। यह जबान से बात बहुत करते हैं लेकिन कभी उसके लिये जो तकलीफ उठानी चाहिये थी वह नहीं उठाते और जो लोग इसका प्रयास कर रहे है और इसके पक्ष में, उनको करने देना नहीं चाहते। आज इस पक्ष में बैठे हुये जितने भी घटक हैं आज सब एक मत के है कि सवा छः एकड़ की माल गुजारी समाप्त होनी चाहिये और काफी बहस मुबाहिसे के बाद सब घटकों ने यह तय किया। उसके बाद भी किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि जानकारी नहीं थी उचित नहीं है।

एक सदस्य---

क्या चौधरी साहब की राय भी इसके हक में थी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रभु नारायण सिंह---

मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की प्रशंसा ही नहीं इस मानी में की जानी चाहिये बल्कि इतनी बड़ी प्रशंसा की आवश्यकता है इस मानी में कि इस सम्बन्ध में उनकी जो राय थी उस राय के साथ-साथ उन्होंने यह चीज भी साफ तौर से कही कि इस बिल के सिलसिले में जो गरीब किसानों को राहत देने की बात है उससे उनका कोई विरोध नहीं है बल्कि उसके साथ-साथ जो साधनों की कमी पड़ेगी उन साधनों की पूर्ति की बात भी कैबिनेट को और सरकार को देखना चाहिये और मैं इस राय का हूं कि इस प्रदेश की योजनाओं के सिलसिले में, तरक्की के सिलसिले में साधन जुटाने के लिये. . . .

(श्री चरण सिंह के सदन से उठ कर बाहर जाने पर)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

ज्योंही माननीय मंत्री ने चौधरी साहब की सहमति की बात कही चौधरी साहब वाक आउट कर गये ।

श्री अध्यक्ष---

हिम्मत हो तो आप जाकर उन्हें पकड़ लाइये ।

श्री प्रभुनारायण सिंह---

भारतीय क्रान्तिदल के नेता की राय मालगुजारी के सिलसिले में जो थी वह अपनी-अपनी जगह थी प्रदेश के राजस्व के सिलसिले में एक और गरीब को राहत देने के लिये दूसरी। उनकी यह राय थी कि इस सम्बन्ध में जो साधनों की कमी होगी वह साधन सम्पन्न लोगों से पूरी की जायगी । जो अपने को समाजवादी, सोशलिस्ट और क्रान्तिकारी कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि १० बीघे तक की मालगुजारी की समाप्ति सभी घटकों की एक राय से हुई है और यह भी एक राय है कि इस प्रदेश के जो साधन सम्पन्न वर्ग हैं यदि इस प्रदेश की योजनाओं के सिलसिले में उन पर कुछ बोझा डालने की बात हो तो उसे भी किया जाय ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

प्रश्न केवल इतना था कि तिवारी जी ने केवल कारणों पर प्रकाश डालने की बात कही थी न कि एक स्पीच देने के लिये कहा था जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरों ने टोका, इसलिये उनको जवाब देना पड़ रहा है ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

ऐसा लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री हमारी पार्टी के सुखपाल पांडेय की बात पर कुछ चिढ़ से गये । उन्होंने कहा कि जो समाजवादी होने का दावा रखते हैं---मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि माननीय प्रभु नारायण सिंह जिस कार्य के लिये जेल यात्रा गये होंगे प्रजा सोशलिस्ट वाले उससे कम नहीं गये होंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह चीज यहां पैदा नहीं होती । उनको बोलने दीजिये ।

श्री रामकरन---

यह सारा प्रदेश और सारी जनता इस बात को जानती थी कि चौधरी चरण सिंह सवा छः एकड़ लगान माफी के विरोधी थे । पिछली बार संविद की सरकार इसीलिये फेल हुई । और इसीलिये वे इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि ज्योंही सवा छः एकड़ की बात आयी और वे कुर्सी छोड़ कर चले गये . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, बहस चलने दीजिये ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिन लोगों के मन में इस बात की इच्छा है कि इस विधेयक में अड़ंगा लगाकर इसे टाल दें.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप उसका उत्तर दें ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मैं उसी पर आ रहा हूं । उसमें शाब्दिक संशोधन की बात नहीं थी बल्कि उसकी जगह पर जो जमींदारी भूमि विनाश (संशोधन) विधेयक है उसमें कुछ और तरमीम करके तथा जो समिति की अनुसंशायें थीं उनको मानते हुये और उसके साथ ही साथ गांव समाज की जमीन के मामले में भूमिहीनों, हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों को कुल रियायत और सहूलियत देते हुये उसे एक स्थान पर लाने की बात है । सवा छः एकड़ की मालगुजारी की समाप्ति और उसके साथ ही साथ जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत १९८ में कुछ तरमीम करने की बात थी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि केवल सवा तीन एकड़ की जगह सवा छः एकड़ करने की बात थी और ऐसा बिल था तो फिर उसे वापिस लेने की जरूरत नहीं है । उसमें अगर कोई तथ्य हो तो आप उसकी चर्चा करें ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शुगर नेशनलाइजेशन के तरीके से सवा छः एकड़ लगान की माफी मंत्री जी विधेयक वापस लेकर दिलाना चाहता है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, प्रश्न यह नहीं है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

जो समिति की अनुसंशायें है उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है जमींदारी विनाश कानून वाला, उसके अन्तर्गत जो १९८ में दिया हुआ है उसको भी संशोधित करके एक जगह लाने की बात है । उसमें कोई अन्तर तो नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा कहना यह है कि पहले उन्होंने एक ही कारण बतलाया था और जो उन्होंने अब कहा वह उनके आफ्टर थाट हैं । एक कारण और बढ़ा दिया गया है । यह मामला बहुत विचारणीय है । यह मामला स्थगित किया जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय माल मंत्री जी ने साफ-साफ बात नहीं कही । सवा छः एकड़ की बात जो उन्होंने कही है उसमें कम से कम चौधरी साहब का नाम नहीं जोड़ना चाहिये था । मैं उनकी राय को अच्छी तरह से जानता हूं । खैर, उनकी जो भी राय रही हो, हमारी राय क्या थी (व्यवधान) मैं उसी चीज पर बोलने वाला हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बोलें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह विधेयक मैं लाया था । मैं उस समय माल मंत्री था । जब यह विधेयक आया था और इस विधेयक में ३ १/८ एकड़ की बात को भी ध्यान में रखते हुए उसको रिवाइज करना है । उस समय हमारे समाजवादी भाइयों की तरफ से एक संशोधन आया था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय । पहले प्रवर समिति में यह भेजे जाने वाला नहीं था । लेकिन बाद में इसीलिये भेजा गया था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि जब कोई सज्जन बोल रहे हों तो सरकारी पक्ष को कंट्रोल में रखिये । इस तरह से हल्ला करना उचित नहीं है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था ३ १/८ एकड़ की बात के संबंध में । सवा छै एकड़ पर लगान माफी के संबंध में सब से पहले कांग्रेस ने यह तय किया कि यह अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं और मुजफ्फरनगर में कांग्रेस में यह प्रस्ताव आया था । यह चीज मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने तय की थी कि ६ १/४ एकड़ का लगान माफ किया जाय । (व्यवधान) सही बात तो यह है कि हम लोग कांग्रेस वाले सवा छः एकड़ के लगान की माफी चाहते थे और माननीय चौधरी साहब का दल इसके विरोध में था ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राजितराम पांडेय का हाथ पकड़ रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके ऊपर ही बहस होनी चाहिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

हम यह चाहते थे कि सवा छः एकड़ तक की माफी हो और सिद्धांततः बी०के०डी० की पालिसी यह थी और कुछ दलीलों पर थीं और उनमें तथ्य थे कि स्टेट की रेवेन्यू को देखते हुये इतनी बड़ी माफी नहीं हो सकती और इससे कोई बड़ा लाभ भी नहीं होगा । हमारे जो नेता हैं उनकी मीटिंग में तय हुआ कि सवा छः एकड़ तक की माफी की जाय (व्यवधान) मंत्री जी ने एक बात और कह दी जिसका असर सदन को समझ लेना चाहिये क्योंकि रेवेन्यू में जो कमी होगी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है । मैंने मातबर सोर्स से सुना है कि एजूकेशन सेस वे लगाने वाले हैं । आज गरीबों के लड़के जो काबिल हो जाते हैं उन पर एजूकेशन सेस लगा कर जो मालगुजारी कम की जा रही है उसको पूरा करने का उनका इरादा है ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

क्योंकि एक चीज जो चल रही थी, जिसे देने से किसान भी इंकार नहीं करते थे, कम से कम किसानों को एक बात यह तो थी कि उनका कब्जा है, अगर कोई जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेता था तो उसके पास सबूत रहता था अब उसके बजाय एजुकेशन सेस लगा कर या ऐसे किसी सेस को लगा कर····

श्री अध्यक्ष—

वह जब आवें तब कहियेगा । अभी तो आप यह एक कल्पना कर लेते हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, तब कहूंगा । मैं स्वागत करूंगा सवा ६ एकड़ के लगान माफी का ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आप यह भाषण किस नियम के अन्तर्गत करा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं एक अर्ज यह करना चाहता हूं जैसा कि मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने कहा कि जब वह विधेयक प्रवर समिति में गया, उसमें इतना खर्चा हुआ, इतने दिन बरबाद हुये, इतने अच्छे-अच्छे आदमियों ने इतने दिनों तक बैठक की, उस विधेयक में ऐसी बातें थीं जो हरिजनों को फायदा करने वाली थीं, उस विधेयक को आप और अच्छा बनाना चाहते थे इसलिये मैं प्रवर समिति में भेजने को राजी हो गया था हालांकि हमारी उस समय मैजारिटी थी, अगर हम चाहते तो वह प्रवर समिति में न जाता, लेकिन हमने स्वयं प्रवर समित में इसलिये भेजा था ताकि उसमें यह चीजें ऐड हो जायं और अगर चाहते तो वहां सवा छः एकड़ कर देते । तो जो किसानों को फायदा मिलने वाला है वह शीघ्र से शीघ्र मिले । उससे आप क्यों वंचित करना चाहते हैं । क्या उसकी धारायें इतनी खराब हैं जो वह यहां आ नहीं सकती हैं ? कम से कम प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आ जाय तब यह प्रस्ताव आता तो संगत होता । माननीय माल मंत्री जी ने कोई दलीलें ऐसी नहीं दीं जिससे यह साबित हो कि यह सदन इसको वापस लेने की अनुमति दे ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न । श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि तिवारी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि इसको वापस लेने की इजाजत मिलनी चाहिये या नहीं इसके ऊपर आपसे जवाब मांगा था । तो उसके बीच में जो बातें हुई हैं यदि आप इसको नियंत्रित नहीं करेंगे क्योंकि जो भाषण हुये हैं उनका इस प्रश्न से कतई संबंध नहीं था, तो कैसे काम चलेगा । पहले यह बात तय हो जाय कि आप इसे वापस लेने की इजाजत देना चाहते हैं या नहीं । इसके ऊपर आपको जवाब देना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर भाषण क्यों हुये और आपने क्यों उन भाषणों को होने दिया ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उधर के लोग और इधर के लोग जब सवा ६ एकड़ का सवाल आया है सदन में कि अलाभकर जोतों पर से लगान छूट जाना चाहिये तो यह सवाल न इनका है न उनका है, यह महात्मा गांधी ने कहा था कि अलाभकर जोतों से लगान समाप्त हो जाना चाहिये । (व्यवधान) यह लोग नहीं जानते हैं कि गरीबों को···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं अपनी आवाज अपने मित्र उदितनारायण जी के साथ में उठाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त दुख की बात है कि विषय तो बहुत छोटा सा सदस्य नैनीताल ने उठाया था और उन्होंने यह कहा कि वैधानिक रूप से उसकी वापसी की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये । तो इस प्रश्न के बजाय हमारे मित्र बांकेलाल उत्तर देने लगे, चतुर्भुज जी को तो वह अजीब सी बात लगती है, लेकिन जब चतुर्भुज जी दूसरी बातें करने लगें तो कोई क्या करे ? मान्यवर, हमारे प्रक्रिया नियमों में एक नियम १७१ है, उसमें विधेयक की वापसी की अनुज्ञा किस प्रकार से दी जाती है, किन परिस्थितियों में दी जाती हैं उसका जिक्र आया है।

"विधेयक के भार साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेंगे कि,

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिस से उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारतः रूपांतर हो जायगा; या

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उस के सभी या कुछ उपबन्ध सम्मिलित होंगे ।"

तो इसमें (ख) और (ग) में यह चीज निहित है कि किस प्रकार किसी विधेयक को बदल कर दूसरा विधेयक लाया जाना चाहिये या लाया जा सकता है । इसमें माननीय प्रभुनारायण जी ने कहा कि यह जो नया विधेयक है यह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक है । मेरा निश्चित विश्वास है कि माननीय नेता विरोधी दल और पंडित चतुर्भुज जी स्वयं इसको देखेंगे तो उनको स्वयं ज्ञात होगा कि नये तौर पर किन चीजों को इस विधेयक के द्वारा लाया जा रहा है । इसमें तमाम प्रायरिटीज दी गयी हैं कि किस प्रायरिटी से भूमि का वितरण गांव सभा द्वारा होगा । १९८ धारा जो थी उसको बदल कर नयी धारा का समावेश किया गया है । श्रीमन्, मैं इसके (ङ) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं --"मंडल में रहने वाला कोई भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित जिसे कोई राजनीतिक पेंशन न मिली हो" तो उसका समावेश अथवा अंतिम रूप से इसकी प्रायरिटी को परिवर्तित किया गया था । इसी प्रकार कई प्रायरिटीज को रखा गया है । यही नहीं जो राजनीतिक पीड़ित की परिभाषा है उसमें भी मूलतः अन्तर किया गया था । उसमें इस प्रकार किया गया कि "खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए "राजनीतिक पीड़ित' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे १९३० से १९४७ तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध किसी आन्दोलन में भाग लेने के लिये कम से कम तीन माह के लिए निवारक निरोध या कारावास का दंड (या तो मौलिक दंड के रूप में या अर्थ दंड न देने के कारण) भुगतने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा दिया जाय।

इसमें पहले स्वतंत्रता संग्राम में निवारक निरोध के अन्तर्गत जिन्होंने भुगता था उनको भी शामिल नहीं किया गया था, इसलिये····

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह १९२१ से है या १९३० से ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसमें पहले तो १९४० के बाद का था और १९४१ तक था इसमें समावेश । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि माननीय नेता साहब विरोधी दल इसके संबंध में कहेंगे तो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सरकार उसको निश्चित रूप से विचार कर लेगी और १९२१ भी लिखने में मैं कह सकता हूं शायद सरकार को कोई एतराज नहीं होगा । यही नहीं बल्कि इस प्रकार से मौलिक रूप से इसमें कुछ नई चीजें बढ़ाई जा रही हैं अन्यथा किसी को कोई शौक नहीं था । वैसे हम ३ १/८ एकड़ की जगह सवा ६ एकड़ कर सकते थे लेकिन इस के अलावा कुछ थोड़ा सा नये तौर पर हमने यह भी विचार किया कि भूमि व्यवस्था में भी कुछ नये आवश्यक परिवर्तन साथ ही कर लिये जायं और उसके लिये हमने यह प्राविधान किया है कि किस तरह से सवा ६ एकड़ कूतेंगे और किस तरह से नया बन्दोबस्त करके उसको देखेंगे । मैं सदन से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे लिये इन चीजों को भी लाना आवश्यक हो गया था वर्ना हमारी कोई नया बिल लाने की इच्छा नहीं थी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, अभी दो माननीय मंत्रियों ने इस प्रश्न पर अपने विचार यहां रखे । दोनों के संबंध में अगर मैं यह कहूं कि जो असली बात थी उस पर न कहकर कुछ दूसरी ही बातें उन्होंने हमारे सामने रखीं तो वह मुझे क्षमा करेंगे । अभी माननीय लक्ष्मी रमण जी जिस कागज का हवाला दे रहे थे और पढ़ रहे थे वह कागज वह है, अगर मैं गलती नहीं करता हूं जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है····

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जी नहीं, वह नया संशोधन विधेयक है जो पुरः स्थापित हो चुका है ।

श्री गेंदासिंह---

उसमें जिन बातों का जिक्र उन को करना चाहिये था या जो चीजें उसमें वह लाना चाहते हैं उन सब का जिक्र नहीं है । उन्होंने सवा ६ एकड़ के अलावा कोई बात नहीं बताई कि जिस चीज को लाना वह आवश्यक समझते हैं और इस बिल में उसकी गुंजाइश नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर इस बिल को वह वापस ले रहे हैं तो यह तो उन्हें कहना ही चाहिये था कि वह सवा ६ एकड़ की माफी का बिल कब ला रहे हैं (व्यवधान)

यह भी कहा गया है कि रबी की फसल से हम इस मालगुजारी की माफी करेंगे, लेकिन इस का भी जिक्र आप नहीं कर रहे हैं । पहले तो यह बताया जाय कि यह बिल आप कब लायेंगे ? सदन को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहिये कि इस बिल को फलां वक्त तक सरकार ले आयेगी और कृषकों को जो लगान माफी का आश्वासन दिया गया है उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी के बारे में वह एक कदम उठा रहे हैं । चौधरी साहब और उन के दल ने जो इस संबंध में अपनी राय रखी है वह भी यहां बताई गई उसके लिये भी मैं अपने साथी को बधाई देता हूं । मंत्री जी ने जो कारण दिये हैं वे भी बहुत अच्छे कारण हैं और उन को देखते हुये मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक को वापस करने की अनुमति देना चाहिये और इसे वापस किया जाय ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, यह बड़ी खुशी का मुकाम है और मैं आपके द्वारा मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं । सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मरहूम लीडर

श्री राम मनोहर लोहिया ने जिस चीज का सब से पहले बीड़ा उठाया और जिस सवाल को लेकर लाखों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जेल गये और जिस सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी को स्वर्गीय लोहिया जी की आखिरी ख्वाहिश थी वह चीज अब पूरी की जा रही है । मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी आज मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहले जिस चीज के वह हामी नहीं थे और नहीं चाहते थे उन्होंने अब कुर्सी आज के मुख्य मंत्री जी को देकर और सवा एकड़ तक की माफी की बात मानकर एक मुबारकबादी का काम किया है, मैं उन को भी मुबारकबाद देता हूं ।

श्री उदित नारायण--

दूसरी तरफ से जो यह कहा गया कि यह जो ३ १/८ एकड़ के बारे में बिल बना था वह प्रवर समिति को भेजा गया था । मैं समझता हूं कि उसे वापस लेने के पहले इस बात का आश्वासन आप लोगों से मिलना चाहिये कि वे जो दूसरा बिल लावें वे उसको प्रवर समिति के सामने न ले जावें और उसको उसी समय यहां पर पेश करें । अगर यह बात होती है तो मेरी समझ में उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर आप दूसरा बिल लाना चाहते हैं तो ३ १/८ के स्थान पर ६ १/४ एकड़ रखना ही काफी नहीं होगा । बिल को वापस लिये बगैर भी काम चल सकता है । (व्यवधान) अगर उसमें डिले नहीं लग रही है तो माननीय तिवारी जी अपना एतराज वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस बारे में आप एजेंडा के आइटम २८ को देखें जिसमें यह दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को वापस लेने की बात कही और कहा कि उसके साथ किसानों को सवा ६ एकड़ की लगान माफी की वजह से हम वापस ले रहे हैं । तो जहां तक सवा ६ एकड़ के लगान माफी की घोषणा का प्रश्न है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं मगर मैं अपना संदेह बहुत छोटे शब्दों में व्यक्त कर देना चाहता हूं और इसलिये मैं इसको वापस लेने का विरोध कर रहा हूं और उन्हें इसे वापस नहीं लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, यह भी आप जानते होंगे कि जब लगान बढ़ाने का प्रश्न आया था तो मैंने अकेले ही इसका विरोध किया था । मेरे मित्र बार-बार कुछ बातें कह देते हैं जिनसे मेरा संदेह और बढ़ जाता है । एस०वी०डी० की सरकार ने ३ १/८ एकड़ तक की जोतों को रबी से लगान माफी की घोषणा की, कैबिनेट का फैसला था लेकिन दुर्भाग्य है, इस प्रदेश के किसानों का कि वे आदेश आज तक लागू नहीं किये जा सके । ३-१/८ एकड़ को पहले सरकार ने किया अब वह वापस लिया जा रहा है । मैं जानता हूं कि चौधरी साहब ने यह कहा था कि ३ १/८ एकड़ जमीन का लगान रबी से छोड़ने का फैसला सोशलिस्ट पार्टी ने उनका गला दबा कर मनवाया है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे मुख्य मंत्री के पद को भी त्याग कर सकते थे । तो मैं जानना चाहता हूं कि आज तो उनका गला नहीं दबा हुआ है । अगर वे यहां पर होते तो मैं उनसे यह स्पष्टीकरण अवश्य मांगता कि आज उनका गला तो दबा हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह इरिवेलेंट है।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि.....

श्री अध्यक्ष—

किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करते रहना ठीक नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब यहां पर सफाई दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो जाय। एक तो संदेह यह है और दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि...

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये चौधरी चरण सिंह से इस बात की क्यों सफाई मांग रहे हैं। वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं माल मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह ३–१/८ एकड़ की लगान माफी की घोषणा पहले करें। वह पूरी नहीं हुई क्योंकि सरकार ही चली गई और ये भी सवा छः एकड़ के लगान माफी के सवाल को छोड़कर जायेंगे और पहले जायेंगे। यह सरकार के आवागमन का जमाना है। यह प्रश्न टाला जा रहा है बहुत दिनों से। इसको अविलम्ब ले आयेंगे यह आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस विधेयक को कृपया आप देख लें। जिस विधेयक का उल्लेख माननीय यातायात मंत्री ने किया है वह है भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०, इसका नाम ही बिल्कुल दूसरा है। जो वापिस हो रहा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० जिसको कहते हैं कि वापिस लेकर नया ला रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप फेवर में बोल रहे हैं।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं तिवारी जी से यह कहना चाहता हूं कि आप नाम के फेर में न पड़ें। श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने जो सवा छः एकड़ की लगान माफी का एलान किया है वह बहुत उचित किया है। वह सिद्धांत के अनुसार किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि चौधरी चरण सिंह जो ३–१/८ एकड़ से आगे नहीं बढ़ते थे, उसको माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने सवा छः एकड़ तक लगान माफी की घोषणा करके सराहनीय कार्य किया है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, बलिया को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं नाम के फेर में नहीं पड़ रहा हूं। नाम के फेर में सरकार पड़ रही है। इस अधिनियम के द्वारा सदन का अधिकार छीना जा रहा है आप केवल भूमि-व्यवस्था अधिनियम का नाम लेते तो मैं स्वागत करता। आप देखेंगे कि इस विधेयक के जरिये दूसरे ऐक्टों का संशोधन कर रहे हैं।

(व्यवधान होने पर)

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वरिष्ठ मंत्रियों को इस बात की तमीज नहीं है कि बात किस तरह सुनी जाती है। आप उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक जमींदारी अधिनियम से नहीं है। अब इतना बड़ा प्रश्न है लैन्ड सीलिंग का.....

श्री अध्यक्ष—

जब बिल आये तब आप बहस करियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दूसरा है यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू एक्ट का संशोधन। ये दोनों अलग-अलग ऐक्ट हैं जिन पर अलग अलग विचार होना चाहिये। यह तो सदन का अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं यह चाहता हूं कि इस पर जल्दी अवश्य विचार हो लेकिन दोनों विधेयकों पर कैसे विचार होगा इसको मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, प्रभुनारायण सिंह जी ने यह बिल यहां पर रखा और उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ही परन्तु न्याय की बात करें तो उनको मुझे भी बधाई देनी चाहिये कि न यह स्थिति उत्पन्न होती और न वह यह बिल लाते। चौधरी साहब ने जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ३। एकड़ वह नहीं मानते हैं लेकिन कांग्रेस वालों ने, जो हमारे साथ मिलकर सरकार में थे, गला दबा कर इस ३ सही १ बटा ८ एकड़ की बात को मनवाया है। यह बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है जो २४ तारीख को ईशू हुआ था। यहां पर यह संदेह लोगों के मन में आया कि मालूम नहीं यह बिल बाद को आयेगा या नहीं तो इसका आश्वासन राजस्व मन्त्री जी ने दिया है कि वह तत्काल इसको लायेंगे। उपस्थित हो जाने की बात दूसरी है। इसी सत्र में आप उस पर विचार कर लें। मैं बांकेलाल जी की बात से सहमत हूं और हम भी इस बिल का स्वागत करते हैं कि आज ही खरीफ फसल से सवा छः एकड़ की लगान माफी की घोषणा हो जाय।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा—फतेहाबाद)—

इसका एलान आज ही कर दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह—

माल मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस समय जो नेता विरोधी दल ने प्रार्थना की है उसके अनुसार खरीफ की फसल से लगान माफी का एलान करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जब बिल यहां पर आयेगा तब वह बतायेंगे ।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०†

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(इस समय १ बज कर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, यह विधेयक गत जून में इस सदन में पुरःस्थापित किया गया था । तब संयोगवश उधर बैठने वाले सदस्य इधर बैठे थे । उसके पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो सका था । अब यह यहां पर प्रस्तुत किया गया है और अब मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय । श्रीमन्, इस विधेयक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । केवल दो तीन चीजें हैं । एक तो यह चीज है कि हैबियस कार्पस याचिकाओं पर लगी हुई ५ रुपये की कोर्ट फीस समाप्त कर दी जाय । दूसरी यह कि हैबियत कार्पस रिट याचिकाओं को छोड़ कर उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दायर की गयी विशेष अपीलों पर कोर्ट फीस की दर बढ़ा कर ५० रुपये से १०० रुपये कर दी जाय । तीसरी यह है कि कोर्ट फीस अधिनियम की अनुसूची २ के अर्टिकिल १ के खंड (बी) (सी) (डी) तथा (ई) के उप खंड (५) में उल्लिखित प्रार्थना पत्रों या याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कराने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों पर साधारण कोर्ट फीस की देय कर को बढ़ा कर दुगना कर दिया जाय ।

श्रीमन्, यही छोटे से दो तीन संशोधन हैं । इस पर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य सहमत हैं क्योंकि जब वे इधर बैठते थे तो उन्हीं के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था । इधर बैठने वाले भी इससे सहमत हैं । अतः कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । आशा है सभी सदस्य इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, हैबियस कार्पस याचिकाओं पर लगी हुई ५ रुपये की कोर्ट फीस को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से अन्य याचिकाओं पर फीस को ५० रुपये से बढ़ा कर १०० रुपये कर दिया गया है या रिवीजन की अपीलों की फीस को दुगना कर दिया गया है उसका भार गरीब जनता पर ही पड़ेगा । इसके अतिरिक्त जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह किया जा रहा है वह उद्देश्य भी इससे पूरा नहीं होगा । हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी कम हो, मगर हमारे प्रयासों के बावजूद वह कई गुना बढ़ गयी है । जो अधिकारी इस कार्य में लगे हुये हैं वे उतनी ईमानदारी से उसको नहीं कर रहे हैं जितनी ईमानदारी से उनको यह कार्य करना चाहिये । इस मद में और प्रदेशों के मुकाबले में हमारी आमदनी बहुत घटी है । जो आय हमारी होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है । खाली टैक्सेशन बढ़ा कर जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह पूरे नहीं होंगे । इस कर का भार गरीब जनता पर ही पड़ेगा ।

श्रीमन्, कर जांच समिति ने मद्रास आदि अन्य प्रान्तों में इस व्यवस्था का अध्ययन कर यह लिखा है कि हमारी कर प्रणाली उन प्रान्तों के मुकाबले तमाम दोषों से भरी हुई है । इसलिये

---

†२९ जून, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम चाहे जितने विधेयक लायें, इस तरह से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। टैक्सेशन बढ़ने पर उन गरीबों का क्या होगा जो बेचारे ५० रुपये के कारण रिट दाखिल नहीं कर पाते हैं। आज अगर वह १०० रुपया कर दिया जाये या रिवीजन फीस बढ़ा दी जाये तो अन्त में कर भार किस पर पड़ेगा? क्या मैं यह समझूं कि जो सरकार गरीबों का हमदर्द बन रही है, वह उन्हीं के ऊपर और अधिक कर बोझ लाद रही है। मैं तो इसको थोथी दलील मान रहा हूं जो आप दे रहे हैं। उनकी आड़ में ऐसी चीज की जा रही है, जो कभी नहीं होनी चाहिये। यह भी नहीं बताया गया कि कर भार की इस वृद्धि से कितनी आमदनी की वह आशा करते हैं। मैं समझता हूं यह जरूर कोई छोटी राशि होगी। तो क्या इस आमदनी को दूसरी मद से नहीं पूरा किया जा सकता है। यह निर्विवाद बात है कि जो किसान और गरीब है, वे मुकदमेबाज हैं, उनके रसूक की कमी की वजह से प्रापर स्यूट्स की तादाद आज १० गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो एक तरफ तो उनकी तादाद १० गुना बढ़ गई है और उसके बिना पर यह कहा जाये कि ५० रुपये से १०० रुपय कर दें या ५ रुपये से १० रुपये कर दिये जायं या एक की जगह डेढ़ रूपये कर दिये जायं, तो मुकदमों की संख्या घट जायगी, यह चीज किसी की कतई समझ में आने वाली नहीं है।

आज दैवी आपदाओं से किसान घिरा हुआ है। इसके लिये उसे जो एडजर्नमेंट के लिये या रिवीजन अप्लीकेशन देना पड़ती है, तो उस पर अब उसे स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा कर देनी पड़ेगी। तो यह उसके ऊपर एक बड़ा बोझ होगा। किस तरह से मुकदमे में डेट्स बढ़ती हैं यह सभी को मालूम है। कभी हाकिम नहीं रहते ह, कभी प्रोसीडिंग्स अफसर कचहरी में नहीं आते हैं। कारण सर्वविदित है। कभी यह कहा जाता है कि अफसरों की कमी है, कभी यह कहा जाता है कि उनके ऊपर दूसरे काम इतने लाद दिये गये हैं कि उन्हें बाहर रहना पड़ता है। जब उनके काम की वजह से तारीखें बढ़ रही है तो गरीबों के ऊपर कर बोझ बढ़ाना कहां तक ठीक है। जो मामला ३–४ तारीखों में निपट जाना चाहिये, उसमें ३०–४० तारीखें पड़ती हैं। यदि आप यह करना ही चाहते हैं, तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह निश्चय कर दें कि जो काम ३–४ तारीखों में निबट सकता है, उसके लिये व्यक्तियों को ३०–३० व ४०–४० तारीखों में दौड़ना नहीं पड़ेगा। जब तक यह आश्वासन नहीं मिलता है यह लाना ठीक नहीं है। किसान को दैवी आपदाओं के कारण अक्सर एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या कभी फरीकेन नहीं आ सका या सम्मन की तामिल नहीं हुई जिससे तारीखें बार बार बढ़ती रहती हैं। देखा यह जाता है कि बीसों तारीख तक तो सम्मन ही तामील नहीं हो पाते हैं। जो सुविधाएं और सहुलियतें गरीबों और किसानों को मिलनी चाहिये, वे उनको अवश्य मिलनी चाहिये जब यह सरकार किसानों और गरीबों की हिमायती बनती है, तो उसे यह नियम बनाना चाहिये कि जो किसान पांच एकड़ से कम जोत के हैं, उनके केसेज की सुनवाई के लिये वकीलों का एक पैनेल रहेगा, जो उनके केसेज की मुफ्त सुनवाई करेगा। आप यह जान लें कि यह कर भार उन्हीं पर पड़ने जा रहा है, यह उन्हीं लोगों को दबाने वाला सिद्ध होगा जिनको उठाने की आप बात करते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं।

जो अब तक अधिभार बढ़ा हुआ है, उसमें और बढ़ोत्तरी कर देने से उसकी कमर ही टूट जायगी। यह कहना कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी, यह चीज गलत है। क्योंकि पिछले साल का अनुभव हमारे सामने है। जबकि उसके पास खेत के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। तो घर से सारे जेवर बेच कर और दूसरी सम्पत्ति बेच कर वह लड़ता है। इसलिये मुकदमे बाजी को मंहगा न बनाया जाय। कानून को सस्ता बनाने की घोषणा सरकार की है। करों के बढ़ जाने से सस्ता न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिये इस विधेयक को वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जब ऐडवोकेट्स ऐक्ट ढाई सौ रुपये रजिस्ट्रेशन की फी की गयी तो उसका बड़ा विरोध हुआ। सारे यूनिवर्सिटी और कालेजों के लड़कों और ला डिपार्टमेंट वालों

[श्री राज मंगल पांडेय]

ने इसका विरोध किया। फिर ढाई सौ रुपये से सौ रुपये पर कोर्ट फीस आ गयी। तो फिर ऐसे विधेयक से फायदा क्या है, १०० से २५० और २५० से फिर १०० रुपये करना पड़े। इस तरह से सदन का बहुमूल्य समय बरबाद होता है। जो उद्देश्य बताया गया है विधेयक का, उसमें कहीं भी नहीं है कि किस का इससे हित होने वाला है। आज तक जिनका हित होता आया है, उन्हीं का होगा, गरीब और गरीब हुआ है और धनी और धनी होता गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गरीब, मजदूरों के नाम पर, सस्ता न्याय दिलाने के नाम पर, अभी तक जो प्रणाली है वह इतनी दोषपूर्ण है, उसको फिर और दोषपूर्ण बनाकर कमर न तोड़ी जाय। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तुत करते समय सही कहा था कि इस विधेयक को पिछली सरकार ने स्वीकार किया था। जिस सरकार के एक राज्य मंत्री के रुप में पूर्व वक्ता माननीय राजमंगल पांडेय जी को रहने का सौभाग्य प्राप्त था। मैं आपके माध्यम से माननीय पांडेय जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपकी सरकार ने इस विधेयक के प्रारूप को स्वीकार किया था उस वक्त आपके विचार कहां थे ये तो आपके गलत कारनामे हैं जो इस सरकार के सर पर पड़ गये हैं। आप किस मुंह से इस विधेयक का विरोध करते हैं? यह जन प्रतिनिधित्व का उपहास मात्र है। यह ऐसा रवइया है जिसके कारण जनतन्त्रीय प्रणाली से जनता का विश्वास हटता जा रहा है। एक व्यक्ति जब इधर बैठता है तो दूसरी बात कहता है और वही जब उधर बैठता है तो दूसरी बोली बोलने लगता है। आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनहित में बात करनी चाहिये। यदि उसको मुकदमेबाजी का अनावश्यक व्यय मानते हैं, न्याय को मंहगा करने का विधेयक मानते हैं तो आपकी सरकार को इस विधेयक को नहीं लाना चाहिये था। मैं पांडेय जी के विचारों का घोर विरोध करता हूं। उनको कोई नैतिक अधिकार इस बिल के विरोध का नहीं है। जो लोग सत्ता में नहीं थे, वह लोग विरोध करें तो उनके विरोध में बल हो सकता है। उनकी बात विचारणीय हो सकती है। एक तरफ आप सवा छः एकड़ लगान माफी की बात का स्वागत करते हैं, उसके लिये सरकार को साधन जुटाने होंगे, उस घाटे की पूर्ति करनी होगी ताकि उत्तर प्रदेश के विकास की गति धीमी न पड़े। मैं चाहूंगा और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप एक विधेयक प्रस्तुत करें जो समाज विरोधी हैं और अच्छे एडवोकेट्स हैं उनको वह प्रभावित करे और गरीब जनता को राहत पहुंचावे। मैं चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में माननीय वित्त मंत्री जी ऐसा बिल लायेंगे जो कि एशो आराम की जिन्दगी बिताने वाले लोगों से सम्बन्धित होगा और उस विधेयक के माध्यम से उनको टैक्स करेंगे और प्रदेश से जो पेशा कर और सवा ६ एकड़ तक लगान माफी की घोषणा हुई है उसकी पूर्ती करेगा। इन शब्दों के साथ मैं पांडेय जी के विचारों का विरोध करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस प्रस्तुत विधेयक का विरोध न करें क्योंकि आपके दल द्वारा ही यह स्वीकृत है और इसलिये आपका नैतिक धर्म है कि आप इसको पास करें।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध केवल विरोध के लिये नहीं कर रहा हूं बल्कि सैद्धान्तिक तरीके से कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे देश की जनता को संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं। इन अधिकारों के लिये उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। आप इस बिल के जरिये उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप को चाहिये कि आप न्याय सस्ता करें और उसको मंहगा न होने दें। माननीय वित्त मंत्री जी वकील हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन लक्ष्मी रमण आचार्य जी वकील हैं। मान्यवर, वह जानते हैं कि कचहरी में कौन जाता है जिसके लिये आप कोर्ट फीस बढ़ा रहे हैं। वहां पर बड़े-बड़े लोग नहीं जाते हैं वहां तो गरीब आदमी ही जाता है। बड़े आदमी तो सिफारिश से ही काम निकाल लेते हैं और उनको कचहरी नहीं जाना पड़ता है। वहां तो गरीब किसान जो पटवारी की मार से पीड़ित है, तहसीलदार की मार से पीड़ित है या और किसी की मार से पीड़ित है, वहीं वहां जाता है। मान्यवर, कोर्ट फीस बढ़ा कर या स्टाम्प ड्यूटी लगातार बढ़ाकर आप गरीब किसान के लिये, जो कि समाज के द्वारा सताया हुआ न्याय की मांग करता है, न्याय नहीं करते हैं।

मान्यवर, आरटिकिल २२६ के अन्दर कुछ बहुत बड़े अधिकार भारतीय नागरिकों को इस संविधान ने दिये हैं। इस बिल के लाने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है क्योंकि उनको विश्वास दिलाया गया है कि यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर सकता है और न्याय पा सकता है। इससे पहले जो याचिकायें जाती थीं उन पर कोर्ट फीस नहीं थी। इस उत्तर प्रदेश ने इसके ऊपर कोर्ट फीस लगा दी। अब अगर किसी जज के फैसले के विरुद्ध अपील होगी तो आप दोबारा १०० रुपये कोर्ट फीस ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी सिफारिश करें कि हम प्रदेश की जनता को न्याय सस्ता देना चाहते हैं। अगर आप उसको मंहगा बनावेंगे तो आप इस प्रदेश की गरीब जनता को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम रखना चाहते हैं।

मान्यवर, एडवोकेट ऐक्ट के अन्तर्गत २५० रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि एल० एल० बी० का कोर्स दो से तीन वर्ष कर दिया गया है।

एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, एक मध्यम परिवार को जो अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता है अब दो साल के बजाय तीन साल काम करना पड़ेगा। २५० रु० बार कौंसिल में फीस देनी पड़ेगी और २५० रुपया स्टाम्प ड्यूटी और आपने लगा दी। यह करके आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो कि मजबूर होकर वकालत के पेशे के अन्दर आना चाहते हैं। इंग्लैन्ड के अन्दर, जहां कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, कोर्ट फीस सात पौंड से अधिक नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ? अगर कोई बीमार पड़ गया या किसी का बच्चा बीमार पड़ गया और वह न्यायालय में नहीं पहुंच सकता और तारीख मुल्तवी कराने की दरख्वास्त देना चाहता है तो आपने इस दरख्वास्त पर कोर्ट फीस दुगुनी कर दी यानी डेढ़ रुपये से तीन रुपया कर दिया। मान्यवर, यह फीस किसी जमाने में चार आने थी। चार आने से बढा कर आठ आने हुई, आठ आने से बढाकर बारह आने की गयी, बारह आने से सवा रुपया की गयी और सवा से बढ़ाकर डेढ रुपया की गयी और अब उसको बढा कर तीन रुपया रख रहे हैं। मैं इस मौलिक प्रश्न को सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि क्या आपका इरादा प्रदेश की जनता को सस्ता न्याय देने का है या उसे महंगा करके प्रदेश की जनता को न्याय से महरूम करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। वैसे अगर यह विधेयक कहा जाय तो इसमें सिद्धांततः यह कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिये, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा भी, कि यह जो स्टाम्प ड्यूटी या कोर्ट फीस आदि हैं इनके संबंध में रेशनलाइज करने के लिए, इनका समीचीकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

करने के लिए प्राविधान है। यह सर्वमान्य है कि प्रदेश की चौथी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश को साधनों की आवश्यकता है, आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है और उन संसाधनों की पूर्ति की दिशा में यह एक कदम है। अगर केवल इस दृष्टि ण से इस विधेयक पर विचार किया जाय तब हमें एक नई दिशा दिखाई पड़ती है। यह दुभ ग्य रहा है हमारे प्रदेश का हमें अपने संसाधन किन तरीकों से, किन प्रणालियों से और किन अंग प्रत्यंगों को ध्यान में रखकर जुटाने चाहिये, इसकी ठीक तरह से गवेषणा नहीं हुई। इस सदन में भी ठीक प्रकार कभी इस पर चर्चा नहीं हो पाई कि वे कौन से ऐसे साधन हैं जिन पर यह सदन एकमत हो सके राजनीतिक मतभेदों से पूरे होकर और टैक्स का जो ढांचा है उससे गरीब मेहनत करने वाले लोगों को कुछ राहत हो सके क्योंकि वह गरीब मेहनत करने वाला भी कहां तक टैक्सों के भार को बरदाश्त करेगा।

जिस पार्टी की सरकार है या होती है उनकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह टैक्सों के हामी हो जाते हैं और जब वे विरोधी दल में आ जाते हैं तब वे टैक्सों के विरोधी हो जाते हैं। यही दृष्टिकोण सामान्यतः रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर विचार करते समय हमको पार्टियों से जरा ऊपर उठकर विचार करना चाहिये। अब अगर हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देखें तो हमको १७५ करोड़ रुपयों के साधन को जुटाने की आवश्यकता बताई जाती है। इस पर विचार करते समय जो प्लांनिंग कौंसिल बनाई गई थी उन्होंने उस योजना को स्वीकार किया। ९६५ करोड़ रुपयों की योजना है और उसको हम समझते हैं कि वह कम है और उसकी पूर्ति होनी चाहिये। जो हमारे नये मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने बराबर अपने भाषण में कहा है, संकेत दिया है कि हम केंद्र से इस विषय में लड़ाई लेंगे और केंद्र से हमको अधिक धनराशि को मांगने का हक होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वे नहीं देते तो मैं प्रदेश की जनता से कहूंगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर साधन को जुटायें। अब आप देखें कि इसमें वास्तविकता क्या है। आप स्टाम्प ड्यूटी के प्रसंग में देखें क्या केंद्र हमको कुछ नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश के लिये। क्या ऐसी बात है अथवा नहीं। अगर हम केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं अतिरिक्त धनराशि के लिये अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये तो यह ठीक है। हर एक प्रांतीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह केंद्र से इस कार्य के लिये अधिक से अधिक धन की मांग करे।

हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है यह ठीक है लेकिन हम देखें कि इसमें वास्तविकता क्या है? यह भी ठीक है कि पहली बार प्रदेश के इतिहास में १६ प्रतिशत पर व्यक्ति के हिसाब से जो कुल प्लान एलोकेशन हुआ है। ९६५ करोड़ में से ५२३ करोड़ रुपये ऋण और अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश को केंद्रीय सरकार दे रही है। मैंने जो रवैया देखा इस सरकार का वह साधनों को समाप्त करने का तो है और जो उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुरूप हमारा करीब १२० करोड़ रुपया राजस्व का समाप्त हो जायेगा या कम हो जायेगा। अब इस स्टैम्प ड्यूटी को बढाकर जिसके द्वारा १,२ करोड़ रुपयों की राहत मिलेगी उससे क्या अन्तर पड़ेगा। कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री की, वित्त मंत्री जी की इस विषय में क्या रूप रेखा है? स्टाम्प ड्यूटी को हमने बढा दिया तो क्या इससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये जो साधन जुटाने हैं वह पूरे हो जायेंगे। इस सरकार को शासन करते हुए लगभग दो माह हो गये और इस समय के अन्दर ही विभिन्न प्रकार की घोषणायें हो चुकी हैं कि हम यह बोर्ड बनायें और यह करेंगे और वह करेंगे परन्तु उसके लिये धन की आवश्यकता है परन्तु पैसा तो नदारत है। वह है नहीं।

अब श्रीमन्, इसमें देखना यह है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है और कोर्ट और रजिस्ट्रेशन की फीस है उसके संबंध में वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है उत्तर प्रदेशीय सरकार ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी इस संबंध में जांच कराने के लिये नियुक्त की थी जिसने सन् १९६८-६९ में एक प्रतिवेदन दिया है।

मैं समझता हूं कि हमारी नये वित्त मंत्री जी नें इस रिपोर्ट का अध्ययन अवश्य किया होगा और इसके सम्बन्ध में कुछ निर्णय भी लिये होंगे। लेकिन उन्होंने अपनी संक्षिप्त भाषण में उसका कुछ हवाला नहीं दिया। शायद उन्हें विचार करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जिन वास्तविकताओं की तरफ इस कमेटी की रिपोर्ट ने ध्यान दिलाया है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। आज वास्तविकता यह है कि बड़े पैमाने पर स्टाम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन फीस का औवंचन हो रहा है। बड़े-बड़े लोग नाना प्रकार के तरीकों से अपने को मुक्त कर लेते हैं और अपने-अपने कार्यालयों में इस प्रकार से ट्रान्जेक्शन करते हैं जिससे लाखों और करोड़ों रुपये की सरकार को हानि हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है अगर उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो, नियम ठीक से हो, उसकी प्रणाली ठीक हो, उसका ढांचा ठीक हो तो और ज्यादा आमदनी हो सकती है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है, जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसका उद्धरण मैं आप की आज्ञा से सदन के सामने रखना चाहता हूं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज २७ पैराग्राफ १० पर कहा है।.....

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

मान्यवर, आप चाहे इसे व्यवस्था का प्रश्न समझें या मेरा अनुरोध समझें, मैं आप के माध्यम से माननीय तिवारी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं ,हालांकि यह सही है कि तिवारी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह ठीक है, लकिन यह भी सही है कि जो विधेयक सदन के सामने रखा है और रखे गये हैं या रखे जायेंगे उनमें किसी न किसी प्रकार के साधनों को एकत्र करने की बात कही गई है। तो हर विधेयक पर यह बातें सारी चौथी प्लान की गाथा गायी जायगी, तो मैं नहीं समझता इसका कोई मतलब है और आज का जो कार्यक्रम है वह पूरा हो सकेगा। तो मैं आप के माध्यम से तिवारी जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में जो वृद्धि की बात कही गई है, उसके विषय में कोई एतराज अगर हो वह उठायें, लेकिन बात-बात में टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया जायगा और बहुत सी कही जायेंगी तो आज का कार्यक्रम पूरा न हो सकेगा। मेरा यह अनुरोध है कोई आब्जेक्शन नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सहकारिता मन्त्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस विषय में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनका विभाग सहकारिता का विभाग है उसको दृष्टि में रखकर असहकारिता की बात न करें। उनको तो पोर्टफोलियो कोपरेशन का है, नान-कारपोरेशन का नहीं है। तो वह कृपा कर के सहयोग बनाये रखें, असहयोग की बात न करें और मुझे बोलने दें।

एक सदस्य—

विरोधी दल को सहयोग कहां आता है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वे अगर सीखने को तैयार हैं तो यहां आकर बैठें।

एक सदस्य—

हम दल-बदलुये कभी नहीं रहे।

एक सदस्य—

उछलकूद मचाने वाले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री जी ने कुछ कहा है, मैं सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको आमंत्रित कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आग्रह करूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी की रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री मंगवा लें। उनके पास शायद है नहीं।

श्री कैलाश प्रकाश—

मैंने इसको जरूरत नहीं समझी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बहरहाल, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है, "हम यह पहले ही देख चुके हैं कि यद्यपि निबन्धन फीस और स्टाम्प की दरें (कुछ मदों को छोड़ कर) भारत में लगभग सब से अधिक हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से निबन्धन फीस और स्टाम्प शुल्क दोनों का आपात सबसे कम है।" इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर दरें रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प फीस की हिन्दुस्तान में कुछ मदों को छोड़ कर सबसे बड़ी हैं लेकिन जो आमदनी होती है वह भारतवर्ष में दोनों में कम है।" अब इसमें यह तथ्य दिये हुए हैं "यह बात उल्लेखनीय है कि वर्ष १९६७–६८ के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यायालय फीस का आपात ३८ पैसे था, यह आपात आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान की तुलना में अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि इस राज्य में न्यायालय फीस का स्तर ऊंचा है। अब एक तरफ फीस का स्तर इतना ऊंचा है और दूसरी तरफ वसूली सबसे कम है। वसूली कम होने का विवरण इसमें दिया हुआ है। "हमें यह पहले ही देख चुके हैं कि यद्यपि निबन्धन फीस और स्टाम्प शुल्क की दरें भारत में लगभग सबसे अधिक हैं फिर भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से निबन्धन फीस और स्टाम्प शुल्क दोनों का आपात सबसे कम है।"

उन्होंने तामिल नाडु से जो हमारे प्रदेश से छोटा राज्य है उसकी तुलना की है। हम विशेषतया तामिलनाडु के आंकड़ों से अधिक प्रभावित हुए थे क्योंकि वह राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, उस राज्य में प्रति व्यक्ति के हिसाब से निबन्धन फीस का आपात उत्तर प्रदेश की तुलना में तीन गुना है और स्टाम्प शुल्क का आपात तो तीन गुने से भी अधिक है। इस तथ्य के अलावा कि तामिल नाडु एक अत्यधिक विकसित राज्य है, कतिपय लेन देन ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में वर्जित हैं किन्तु इन लेन देन के सम्बन्ध में देय निबन्धन फीस से तामिल नाडु के राज्य कोष में अत्यधिक अंशदान प्राप्त होता है।" अब हम यह भी देखें कि यहां पर जो वन्चना होती है, जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते वह किस प्रकार से अपवंचना करते हैं? उस सम्बन्ध में कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह पैराग्राफ १२ में है" इस विशिष्ट तथ्य के अलावा जिसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ है, अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम राजस्व प्राप्त होने का मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के मामले में "प्रतिफल" के अधोमूल्यांकन की युक्ति अपना कर व्यापक रूप से फीस का अपवन्चन किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवहार विक्रय विलेख है जिस पर स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद २३ के अधीन अभि हस्तान्तरण पत्र के रूप में धनराशि आदेय होती है।"

मैं इस सारे पैराग्राफ को पढ़ना नहीं चाहता ताकि समय के सदुपयोग हो सके। कमेटी की सबसे अच्छी फाइंडिंग एक यह है कि कर अपवंचन को अगर हमें रोकना है तो वह है जो

प्रापर्टी के, ट्रांसफर के बारे में होती है। इसके लिये हमको बाजार मूल्य के आधार पर वेल्यूएशन करना होगा। उसके लिये उन्होंने एक उदाहरण दिया है "निबन्धन महानिरीक्षक ने हमारे साक्ष्य में यह भी बतलाया है कि "सम्पत्ति के अधो-मूल्याकन का तरीका" अपना कर स्टाम्प शुल्क की भारी रकम का अपवंचन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जो भवन कि वास्तव में ५०,००० रुपये में बेचा गया था उसे स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिये २५,००० रुपये से बेचा गया दिखाया जाता है। और शुल्क के रूप में २,२५० रु० की धनराशि भुगतान करने के बजाय केवल १,१२५ रुपये का भुगतान किया जाता है। इस बात में सभी सहमत हैं कि अधोमूल्यांकन का प्रचलन बहुत अधिक है। यदि इसकी रोकथाम कर ली जाय तो हमारी आय में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

तो श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर यह ३३ प्रतिशत की आमदनी वह स्वीकार करे और जो अपवंचना है उसको रोके। श्रीमन्, इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि अपने रिपोर्ट के पैरा २० में कि जो कर्मचारी स्टाम्प निरीक्षक हैं उनकी संख्या बहुत कम है और किस प्रकार से स्टम्पों का वितरण होता है। उनकी जो विक्रय प्रणाली है, वहां पर जो भ्रष्टाचार है उसके निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे प्रदेश की जनता जानती है कि कलेक्टोरेट में जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है उसकी क्या हालत है यह वहां के रजिस्ट्रार को पता है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रणाली है उसके अन्तर्गत कितनी देर होती है और किस प्रकार करेप्शन वहां विद्यमान है इससे वे भली-भांति परिचित हैं। आज यह अधिकार सरकार को है कि वह रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा ये, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाये उसी प्रकार हमको यह जानने का अधिकार है कि इन तमाम चीजों के निराकरणें हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है किस प्रकार वह रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का पुनर्गठन करना चाहती है जिससे जो वहां की वास्तविकतायें हैं और जिस प्रकार सारी जनता को निराशा और परेशानी होती है और करेप्शन का शिकार होना पड़ता है, वह सामने आयें।

श्रीमन्, बाजार मूल्य आंकने का जो तरीका है और जो आज तक का परम्परागत तरीका बहुत पुराने समय से चला आया है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक इसका कोई ठोस निराकरण नहीं हुआ। अलग-अलग सर्किल्स में इस मूल्य को आंकने की जो अंग्रेजी के जमाने से परम्परा और ढांचा चला आ रहा है उसमें परिवर्तन करने का समय आ गया है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि केवल टैक्स बढ़ा देने से हम यह सोचें कि काम चल जायेगा तो इससे काम बनने वाला नहीं है। इसके लिये प्रशासन भी स्वच्छ होना चाहिये। मैं साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस समिति ने जो कुछ सुझाव दिये हैं उसको पूरा करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है और जैसा कि मैंने पहले कहा प्रदेश के वित्तीय साधनों को पूरा करने के लिये उनका क्या नक्शा है उसके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी सूचना दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब जो कार्यपद्धति है और जो कार्यमंत्रणा समिति में तय हुआ है उसे सम्पूर्ण रख दिया गया है। कार्य अभी काफी बाकी हैं और सरकार के पक्ष के लोग भी बोलेंगे जैसी मेरे पास एक लिस्ट आई है। जैसे राम गोपाल सन्ड जी का नाम आया है . . .

एक सदस्य—

सरकारी पक्ष से कोई नहीं बोलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें. . . . .

(व्यवधान)

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, मैं आज पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि सरकार के पक्ष से एक सदस्य बोल रहे हैं कि सरकारी पक्ष से कोई नहीं बोलेगा। श्रीमन्, एक सदस्य जो कि खड़ा है और इस सम्बन्ध में बोलना चाहता है, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसी पक्ष का एक दूसरा सदस्य यह कहे कि इस पक्ष से कोई नहीं बोलेगा। इसमें मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। यदि वही सदस्य जो बोलना चाहता है, ऐसा कहे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है तो अलग बात है किन्तु यहां पर एक मंत्री कह रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सदन में हर सदस्य का बोलने का अधिकार है। माननीय सदस्य स्वयं ही बोले कि मुझे कुछ नहीं बोलना है।

श्री राम गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)—

मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, हम लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमारा नाम था लेकिन नहीं बोल रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य देहरादून मंत्री पद सुशोभित करें मैं मंत्रियों की बात कह रहा हूं कि उन्होंने यह कहा कि सरकारी पक्ष की ओर से कोई नहीं बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नहीं बोलेगा। यहां कोई आदेश किसी को नहीं दे सकता है।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी पक्ष का बड़ा आभारी हूं कि उनकी ओर से कोई नहीं बोलेगा। ऐसा उन्होंने कह दिया है। इससे विपक्ष के लोगों को ज्यादा मौका मिल सकेगा। लेकिन बहुत से सदस्य जो लाइयर्स हैं, एल० एल० एम० हैं उनको मैं जानता हूं, वे चाहते तो बहुत कुछ इस पर बोल सकते थे। वे समझ रहे हैं कि इसमें कमियां हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे माननीय नित्यानन्द जी खड़े हुये लेकिन फिर बैठ गये।

इस विधेयक का संबंध देश के सीधे सादे नागरिकों से है। किसानों मजदूर से इसका सीधा संबंध है। मैं समझता हूं कि सरकार जो बराबर महंगाई को प्रोत्साहन देती चली जा रही है, चाहे वह एक दल की सरकार हो, चाहे आज पांच दल की सरकार बन गई है लेकिन इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं आया है। प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार में व्यक्ति बदल जांय बल्कि वे तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी में चेंज हो और गवर्नमेंट उनको सुख और समृद्धि प्रदान करे। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण इन अध्यादेशों और बिलों को देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल परिवर्तित है। चाहे आज सोशलिस्ट लोग भले ही प्रदर्शन कर सकते हों लेकिन वे गवर्नमेंट की सियाही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो अध्यादेश द्वारा प्रदेश में कोर्ट फीस में चेंज किया गया है उससे जनता को बड़ा कष्ट होगा। हमारे यहां के किसान मजदूर अपनी याचिकायें, प्रार्थनायें न्याय मांगने के लिये कोर्ट्स में पेश करते हैं, उसको यह सरकार और महंगा करने जा रही है कोर्ट फीस का खर्च दुगना तिगुना करने जा रही है। देहाती आदमी जो १५/२० मील इंटीरियर में रहते हैं वे शहर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, उनको जो सस्ता न्याय था उसको दुगना तिगुना महंगा सरकार करने जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि पहले जिसमें डेढ़ रुपया कोर्ट फीस देनी पड़ती थी अब उसमें तीन रुपया देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई चीफ कमिश्नर या किसी उच्च अधिकारी के पास अपील करनी है तो तीन रुपये के बजाय ६ रुपये का कोर्ट फीस देना पड़ेगा। इसी तरह से बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो रिवीजन वगैरा होती हैं उसमें ५ रुपये के बजाय १० रुपये की कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। मुझे अफसोस है कि यह बिल अंग्रेजी में है। इसकी कापी हिन्दी में होनी चाहिये थी। मैं जनसंघ में रहा हूं इसलिये अंग्रेजी कापी से पढ़ने में मुझे आपत्ति होती है। जनसंघ सरकार में आज शरीक है इसलिये वह आपत्ति नहीं कर सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, माननीय सदस्य हिन्दी की प्रति क्यों नहीं पढ़ते हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जो प्रति मुझे कोर्ट फीस संशोधन विधेयक की मिली है उसका प्रस्ताव शिडयूल सैकिन्ड मेरे पास हिन्दी में आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

असल में अधिनियम की अनुसूची २ का उद्धरण जिसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है यह मूल है। इसमें संशोधन किया जा रहा है। यह हिन्दी में नहीं होगा तो इसकी हिन्दी कैसे करें।

श्री चेतराम गंगवार—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि कोई अंग्रेजी ऐसी है जिसकी हिन्दी नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये कोई अधिनियम अंग्रेजी में छपा है और अंग्रेजी में पास हुआ। उसमें तरमीम लानी है। संशोधन तो हिन्दी में है। अगर वह चाहें तो हिन्दी में भी दें और अंग्रेजी में भी दें जैसा कि संविधान में है लेकिन यह अधिनियम नहीं है बल्कि जहां संशोधन करना है वह अंग्रेजी में है।

श्री चेतराम गंगवार—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन हम बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

इनका नाम अचेतराम है। इनकी समझ में बात कतई नहीं आयेगी।

श्री चेतराम गंगवार—

बांकेलाल जी ने मेरी बात बहुत आसान कर दी। जब चेत की समझ में नहीं आया तो अचेत की समझ में क्या आयेगा। खैर, उसके लियेमुझे विशेष नहीं कहना है,

[श्री चेतराम गंगवार]

उसके लिये जनसंघ वाले कहेंगे। मुझे तो यह कहना है कि उस गरीब किसान के लिये जो बाहर से आता है यह बड़ा खर्चीला सौदा है। चरण सिंह जी भले ही आज उस कुर्सी पर आसीन न हों लेकिन यह सारी रोशनी उधर से ही आती है। गुप्ता जी से तो कोई आशा नहीं है, क्योंकि अगर होती तो उनको अपदस्थ न किया जाता। इस प्रदेश में किसानों के लिये न्याय इतना मंहगा बनाया जाय यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये यह सरकार अपने निर्णय को बदले और इस प्रदेश में न्याय जो गरीब को भी मिलना चाहिये उसको महंगा न करे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) जब मैंने यह हिसाब लगा लिया कि बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, पहले तो एक ही थी, उसके बाद यह संख्या जरूर बढ़ी तो जब खंडों पर बहस होगी उस समय आपको मौका दिया जायेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

खंडों में आम विवाद तो नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे अभी भी युक्तिसंगत और प्रासंगित सभी बात नहीं होती है, कुछ इधर-उधर की बात कह देते हैं तो जब खंड ७, ८ उस समय आपको पूरी तरह से अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। मैंने देखा था कि एक आध विरोध पक्ष से बोलने वाले हैं और सरकार पक्ष के तीन, चार नाम आये थे तब मैंने इनको संकेत किया था। इस पर काफी मौका मिलेगा। अगर पहले से मालूम होता कि आपको बोलना है तो .....

श्री मदनमोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

मैं तो गंगवार साहब की वजह से खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए मैं बैठ गया था, अगर आज्ञा दे दें तो मैं कुछ कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है। अगर मुझे मालूम होता कि आप बोलने वाले हैं तो निश्चय ही उनको न बुलाता। अब फिर समय बोलने का दूंगा। माननीय वित्त मंत्री

*श्री कैलाश प्रकाश—

उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं कि एक बार नाम पुकारने के पश्चात् यद्यपि कुछ सदस्य चाहते थे अपने विचार व्यक्त करना, मुझे आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उधर बैठे हुए देवरिया जिले के एक प्रतिनिधि श्री पांडेय जी जो पिछले शासन में राज्य मंत्री के पद पर आसीन थे उन्होंने इस विधेयक के विषय में बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने जो कुछ भावना व्यक्त की, मैं उनसे सहमत हूं कि जो मामले सामने आवें अदालत में वह जल्दी तय हों, अक्सर मुल्तवी न किये जायं, अक्सर बहुत सी पेशियां न हों, उन्होंने जो गरीब निर्धन और किसान की बात उठाकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विधेयक का विरोध किया उससे मुझे आश्चर्य होता है। मेरा काम हलका कर दिया मेरे मित्र श्री मैनेजर सिंह जी ने। उन्होंने उनको स्पष्ट किया कि अगर इस विधेयक के विरोध में वे थे तो तत्काल, तत्समय उन्हें इसका विरोध करना चाहिये था। मैं पहले और इस बात को बता चुका हूं कि आशा भी करता था कि इस विधेयक के ऊपर बहुत विचार व्यक्त नहीं होंगे क्योंकि यह विधेयक उस समय इस सदन में पुरःस्थापित किया गया था जिस समय वह माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं वह इधर बैठे हुए थे। इतना ही नहीं कि विधेयक पुरःस्थापित हो गया, किन्तु जो अध्यादेश निकला अगस्त के मास में उस समय जो उधर बैठे हुए हैं और मंत्रिपरिषद् में भी थे और मंत्री भी थे उनके समय में यह निकला.. (व्यवधान)

मैं बीच में बोला नहीं हूं, मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय तिवारी जी जिनको संसदीय परम्परा की जानकारी है वह मुझको अपने विचार व्यक्त करने देंगे। आपको बहुत कुछ बताने का मौका आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे मैं यह आशा करता था कि वह इस विधेयक का स्वागत करते और अपनी सहमति देते। मैं निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक पांडेय जी ने कहा, आजकल एक फैशन हो गया है कि गरीब का नाम लो, निर्धन किसान का, गांव का नाम लो और अपनी बात कहो, भले ही उसके हित की बात हो या अहित की।

श्री चेतराम गंगवार—

कृपा करके इसका कारण बतावें।

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं अभी स्पष्टीकरण देता हूं। अगर इस विधेयक को देखा जाय तो माननीय तिवारी जी ने जिस दृष्टिकोण से देखा हो, मैंने उस दृष्टिकोण से नहीं देखा। मैं इसको कोई संसाधन जुटाने का विधेयक नहीं समझ रहा हूं। आ जायं संसाधन ठीक है। इस विधेयक का मूल कारण मुझको जो प्रतीत होता है वह यह कि हमारे यहां न्यायालयों में, जो माननीय सदस्य पांडे जी ने इच्छा व्यक्त की थी, वह कार्य हो सकता है। अगर हम अध्ययन करें तो यह स्पष्ट है कि इसमें कोई फीस प्रार्थना पत्रों पर खास तौर से नहीं बढ़ाई गई है। बढ़ाई नहीं गई है बल्कि जो फीस आज अर्जियों की है वही रखी गई है। केवल फीस उन अर्जियों पर बढ़ाई गई है जो इसलिये दी जाती है कि मुकदमे का स्थगन किया जाय। लेकिन क्या यह हम सब का अनुभव नहीं है कि बहुत सी बार स्थगन की अर्जियां दी जाती हैं और उनके देने से न्याय और महंगा हो जाता है बजाय सस्ता होने के। हम चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि जहां स्थगन आवश्यक हो केवल वही हो और स्थगन के लिये अगर थोड़ी सी पाबन्दी हो जाय तो वह बहुत बुरी बात न होगी और इस से गरीब के लिये न्याय सस्ता होगा बजाय महंगा होने के। यहां कहा भी गया है, यद्यपि भाषण एक दो ही हुये लेकिन उनमें कहा गया कि बहुत सी बार स्थगन होते हैं कई व्यक्ति आते हैं और उन को जाना पड़ता है। इसी आशय से यह बिल उपस्थित किया गया है।

आप इसमें यह बात देखेंगे जिसको अंग्रेजी में हेबियस कार्पस कहते हैं उसकी छोटी मोटी याचिकाओं में जो शुल्क दिया जाता था वह भी अलग कर दिया गया है, हां अन्य याचिकाओं पर जो शुल्क अभी तक था वह दुगुना किया गया है। सिंगल जज के समक्ष जो याचिका दी जाती है उनमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है, जो परिवर्तन

[श्री कैलाश प्रकाश]

किया गया है वह यह किया गया है कि जो एक जज के फैसले हैं वे जब दूसरी जगह जायें तो उन अर्जियों के शुल्क को कुछ बढ़ाने की चेष्टा की गई है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि इस बिल को लाने का मूल कारण, जिस पृष्ठभूमि में मैंने उसको देखा है, हमारे न्यायालयों में जो देरी होती है उसको दूर करना है। यह जो मामूली तरीके से प्रार्थनापत्र दिये जाते हैं उन में थोड़ी सी रोक है। मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने मैं समझता हूं यह नहीं बताया कि वह विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि वह इस से सहमत ही थे क्योंकि वह उस समय सहमत रहे होंगे और इस पर उन के विचार दृढ़ होंगे क्योंकि मैं यह नहीं मान सकता कि उन के विचार इस तरफ बैठकर दूसरे रहे हों और उस तरफ जाने से और हो गये हों। मैं उन का आदर करता हूं और मैं नहीं समझता कि वह इस के विरोधी रहे होंगे।

उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को उपस्थित करते समय संसाधनों की रूपरेखा यहां रखता। मैंने उसका उत्तर दिया कि समय आयेगा जब संसाधनों के बारे में कुछ कहा जायेगा लेकिन जब मैं इस विधेयक को संसाधनों को इकट्ठा करने का विधेयक समझ ही नहीं रहा हूं तो उनका जिक्र करना आवश्यक नहीं था जिस पर कि माननीय तिवारी जी ने बल दिया है। उन्होंने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की भी चर्चा की और अन्य चीजों की भी चर्चा की और प्लान की भी चर्चा की और चेतावनी भी दी कि हम जो काम करते चले जाते हैं उन से प्रदेश की क्षति बहुत होती चली जाती है। हां, उन्होंने संसाधनों की रूपरेखा क्या हो इस की चर्चा नहीं की। मैं इस समय उस बहस में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि इस विधेयक के समय इस बात के करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो विषयान्तर होगा और सदन का व्यर्थ समय जाया करने की बात होगी। इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश का वित्त मंत्री रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला है और मैं यह कह सकता हूं कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना जितने की थी और जब वह अन्त पर आई है तो वह करीब करीब ५० करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। कहने की बात नहीं है।

हमने जो प्रदेश में संसाधन जुटाये हैं, टैक्स के रूप में या और तरीके से यह दूसरी बात है लेकिन एक आंकड़ों की बात है। हमारी जो तीसरी पंच वर्षीय योजना थी, उसको हमने करीब-करीब ५० करोड़ रुपये से बढ़ाकर पूरा किया। जिस हालत में इस प्रदेश के वित्तीय साधनों को हमने छोड़ा, जो प्रदेश की अर्थ व्यवस्था थी, वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कहीं अच्छी थी। इसलिये हम कोई विधेयक लायें और कोई तस्वीर न लायें, इन चीजों के जुटाने की यह नहीं हो सकता। लेकिन यह बात हर वक्त न की जाय। जब संसाधनों का समय आयेगा तब हमारी सरकार इस सदन के सामने अपने सुझाव रखेगी और अगर कोई कार्य ऐसा होगा कि जिससे प्रदेश के राजस्व में कमी होती है तो वह इस बात की भी चेष्टा करेगी कि ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे उसके राजस्व में बढ़ोत्तरी हो जाय और जो क्षति हो, वह किसी न किसी तरह से पूरी हो। इस बात पर भी विचार हो रहा है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी भी है। माननीय सदस्यों के सुझाव भी हो सकते हैं। इस बारे में माननीय तिवारी जी की जो जानकारी है और उनका जो अध्ययन है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। जो कुछ सुझाव माननीय मैनेजर सिंह जी ने दिए हैं या और कोई माननीय सदस्य प्रदेश की उन्नति करने के बारे में देंगे, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं।

आज संभवतः उधर के बैठने वालों को यह महसूस होने लगा है कि केन्द्रीय सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है, साधन देने के लिए, इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए।

चाहे हम इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, प्रदेश की उन्नति करना हमारा सब का एक सामान्य लक्ष्य है ।

श्रीमन्, इस प्रदेश के साथ क्या हुआ है । एक सरकार या दूसरी सरकार के प्रश्न को छोड़ दीजिए । मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने साथियों और सदन के माननीय सदस्यों को कि जब इस प्रदेश में जनता की सरकार नहीं थी, जबकि यहां पर राष्ट्रपति का शासन था और उस समय में यहां के राज्यपाल ने नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में जाकर इस प्रदेश के बारे में कुछ बातें कहीं थी और उन्होंने जो ज्ञापन दिया था, श्रीमन्, उसको देख लिया जाय । इस प्रदेश को किस तरह से केन्द्र की सहायता उपलब्ध हुयी है, किस तरह का केन्द्र का व्यवहार इस प्रदेश के साथ हुआ है । यह उसी ज्ञापन से स्पष्ट हो सकता है । अभी तो नहीं लेकिन जब कोई और अवसर आयेगा तो डिटेल में बता दूंगा लेकिन मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों से चाहें इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों.....

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि सरकार ने बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाकों के साथ क्या व्यवहार किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

मुझे याद है, यही नहीं मुझे पूर्वी और पश्चिमी जिलों के साथ सरकार ने क्या किया है, वह भी याद है ।

श्री मदन मोहन मिश्रा—

इस सरकार ने इस बारे में सौतेलेपन का व्यवहार किया है ।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो सदन में विषय चल रहा हो, उसी विषय पर सीमित रहा जाय ताकि इस माननीय सदन के समय का पूर्णतया उपयोग हो । इस समय मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने जो बातें उठायीं हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है । तो जहां तक केन्द्र का ताल्लुक है, हमारे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए और जो यहां पर आपतकाल आते रहे हैं, उनको देखते हुए हमें सहायता, अनुदान, ऋण अन्य प्रदेशों की तरह नहीं मिल पाते हैं और इसमें हम सब को एक साथ सहमत होना चाहिये क्योंकि अन्ततोगत्वा वह प्रदेश की उन्नति और विकास की बात है । जो विधेयक इस समय लाया गया है उसके सम्बन्ध में उधर के बैठे हुए सदस्य भी सहमत हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय और माननीय सदस्य इस पर विचार करने की स्वीकृति दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ तथा नया खण्ड ३

क्ट संख्या
, १८७०
ी अनुसूची
का संशो-
न

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ ("आवेदन-पत्र या याचिका") में—

(१) द्वितीय स्तम्भ में खंड (ई) में, उप-खंड (२) और उससे संबंधित तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड तथा प्रविष्टि रख दी जाये, अर्थात्—

स्तम्भ २	स्तम्भ ३
(२) संविधान के अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ के अधीन, या उस पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध विशेष अपील के रूप में	एक सौ रुपया

(२) उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ४९१ के अधीन अथवा संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (हैबियस कार्पस) के हेतु ,या उससे संबंधित किसी कार्यवाही के संबंध में, किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर खंड (ई) के अधीन कोई न्यायालय शुल्क देय न होगा।

(२) किसी मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिये किसी आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क, यथास्थिति, खंड–(बी), खंड (सी), खंड (डी) या खंड (ई) के उप खंड (५) के अधीन किसी साधारण आवेदन-पत्र या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क का दुगुना होगा।"

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (१) में उसके द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि में शब्द "निर्णय या आदेश" और शब्द "के विरुद्ध" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"[जिसमें कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत किसी याचिका पर दिया गया निर्णय या आदेश भी सम्मिलित है।]"

खंड २ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ३ बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"३ उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

श्री मदनमोहन मिश्रा—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन का रूप इसमें रक्खा गया है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ मौलिक बातें आपके द्वारा माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के बारे में तथा रजिस्ट्रेशन और स्टाम्स की जो फीस बढ़ा रहे हैं उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ यहां कहा गया है, जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी भी कह चुके हैं, मैं उसी की ओर फिर आता हूं और यह कहता हूं कि जिस किसान ने चुनकर विधान भवन में माननीय सदस्यों को भेजा है अपने हितों की रक्षा के लिये क्या यह उसकी जेब काटने का हमने एक नया तरीका नये शब्दों में नहीं ईजाद किया है। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो फीस आप बढ़ा रहे हैं, पहले उसकी एक रुपया टिकट लगाना पड़ता था, डेढ़ रुपया कर के अब उसको तीन रुपया कर रहे हैं। कौन उसका देनदार होगा। कितने पूंजीपति हैं जो इसको देंगे। करोड़ों की संख्या में किसान हैं जिसकी जेब आप काटने जा रहे हैं। जायदाद तो पूंजीपति खरीदते हैं दस हजार की लेकिन लिखा जाता है तीन या दो हजार

की। यह जो चोरी है यह आप पकड़ नहीं पाते हैं। आप की जो गवर्नमेन्ट की मशीनरी है वह बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। यह बेईमानों के साथ मिली हुई है। वह स्वयं आपको धोखा दे रही है। कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने जाय वहां कम्पलसरी है रिश्वत देना। दो रुपये कम से कम बाबू को, पांच रुपये रजिस्ट्रार को, चपरासी महोदय व लिखने वाले महोदय को कितना देना पड़ता है इसका अनुभव मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को होगा।

यह जो अन्डर हैंड प्रैक्टिस है रिश्वत दिलाने की और किसानों को लूटने की, मैं निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने के नाम पर इसको बन्द करने की कृपा करें। हमेशा यह बात कही जाती है कि सस्ता न्याय होगा। सदन को और करोड़ों जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है इस तरह से कह कर कि न्याय सस्ता दिया जायगा। आप कैसे सस्ता न्याय दे सकते हैं? न्याय पाने के लिये न्याय के दरवाजे पर गरीब आदमी न्याय की आशा लेकर जाता है लेकिन उस को वहां पर लूटा जाता है। मुझे वकील साहबान माफ करेंगे कि जो वकील साहबान २, २ रुपये पर गंगा जल उठवा सकते हैं और अहलमद और पेशकार को २, २ रुपया रिश्वत दिला कर तारीख बढ़वा सकते हैं वह इस प्रदेश को क्या शुद्ध प्रशासन दे पायेंगे और वह क्या शुद्ध प्रशासन इस प्रदेश को दे सकते हैं यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। मुझे माफ किया जाय, मैं यह नहीं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी वकील हैं या नहीं लेकिन मैं यह जानता हूं कि यह भ्रष्टाचार मिटाना उनकी सामर्थ्य के बाहर की बात है। किसानों को बहुत लूटा जा चुका है और २२ वर्ष से उनको लूटा जा रहा है। क्या आप वह नौबत लाना चाहते हैं कि ५ वर्ष के बाद वे किसान राइफल लेकर आप से बात करने के लिये आयें? वे किसान बहुत तबाह हो चुके हैं। इसलिये अब इस प्रकार के रेट को बढ़ाने की बात न करें। आप खर्चे को कम करें। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की बात न सोचें। खर्चे को कम किया जायगा तो इससे रुपया आप को मिल जायगा। जो राज्य सरकार का खर्च बढ़ा हुआ है उसको कम करने का प्रयास किया जाय। अपने नातेदारों और रिश्तेदारों को नौकरी से हटाइये तभी जा कर यह भ्रष्टाचार रुक सकता है क्योंकि आज उन लोगों को कोई डर नहीं रह गया है। वह समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार मन्त्री बैठे हैं। और उनके रिश्तेदार विधान सभा में बैठे हुये हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वित्त मन्त्री जी अपने अन्तर आत्मा को टटोलें और इस खर्चे को कम किया जाय बजाय इसके कि स्टाम्प फीस को आप बढ़ायें।

यहां पर केन्द्र की बात कही जाती है। जब देखिये तब इन्दिरा जी का नाम लिया जाता है। इन्दिरा जी ने आपके साथ क्या किया यह आप भूल जाते हैं। इन्दिरा गांधी ने मरती कांग्रेस को जिन्दा किया है। इन्दिरा गांधी ने आपको बोलना सिखाया है। इन्दिरा गांधी ने आप को इस लायक बनाया कि आप गांधी टोपी खद्दर की लगाकर बाजार में निकल सकें। आज उस इन्दिरा गांधी की बदौलत ही आप टोपी पहनकर बाजार में निकल सकते हैं। आप अपने गिरहबान में मुंह डालकर देखिये कि आप के लिये उसने क्या किया। सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जरा संजीव गांधी के बारे में भी जिक्र कर दीजिये कि उसके लिये उन्होंने क्या किया?

(व्यवधान)

श्री मदन मोहन मिश्रा--

क्या आप चाहते हैं कि संजीव गांधी के स्थान पर किसी पूंजीपति को लाइसेंस दिया जाता जिनसे आपकी पार्टी, जनसंघ का पोषण होता है?

एक सदस्य--

सतिया हत्याकाण्ड के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री मदन मोहन मिश्रा--

आप क्या कहते हैं। आप तो खुद सैकड़ों हत्या करके आये हैं।

श्री मदन मोहन मिश्रा--

आप क्या कहते हैं, आप तो सैकड़ों हत्यायें कर के आये हैं। यहां पर २२ वर्ष के अन्दर जो मिनिस्टर हुये हैं उन्होंने अपने भाई, भतीजों, लड़कों और रिश्तेदारों के लिये करोड़ों रुपया सरकार से दिलाया है। यहां पर जो आप ने पाप किया है उसको धोना बहुत कठिन है। अभी कैलाश प्रकाश जी वित्त मन्त्री ने यहां सदन में कहा था कि केन्द्र ने इस प्रदेश के साथ कैसा व्यवहार किया है। पिछले २२ वर्षों के अन्दर जो केन्द्रीय यू० पी० है जहां यह विधान भवन स्थित है, इसके आसपास का जो एरिया है उसके साथ आपने क्या व्यवहार किया है। जो भी केन्द्र से रकम मिली है उसको पूर्वी जिलों के नाम पर और पच्छिमी जिलों के नाम पर खर्च कर डाला है। आपने क्या यह नहीं किया? रायबरेली, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, हरदोई, उन्नाव जो जिले लखनऊ के चारों तरफ स्थित हैं आपने इनके साथ जो पाप किया है उसको धोने के लिये क्या किया जा रहा है? यह ऐसा इलाका है जिसका शानदार इतिहास रहा है उसको आपने गन्दा करने का प्रयास किया है। आज वित्त मंत्री जी, जो मंजे हुये पोलीटीशियन हैं, यह कहते हैं कि राज्यपाल ने ज्ञापन दिया। आपने क्या किया? आप केवल कागजी जादूगरी से ही अब तक काम चलाते रहे। कभी कोर्ट फीस बढ़ा दी, कभी और टैक्स बढा दिया। आज यू० पी० के किसान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। आप क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि बंगाल के नैक्सलाइट्स यू० पी० में भी पैदा हो जायं?

साथ ही कर जांच समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ २७ के पैराग्राफ ९ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है "हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि हमारे राज्य में स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस की दरें काफी ऊंची हैं। निबन्धन महानिरीक्षक ने अपनी गवाही में यह कहा है कि "इसका परिणाम यह हुआ है कि स्टाम्प शुल्क के रूप में भारी धनराशि भुगतान करने के डर से उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करना पसन्द नहीं करते।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अब तक शासन किसका रहा २३ साल तक, किसने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है?

श्री मदन मोहन मिश्रा--

इसमें बहुत से बगुलाभगत शामिल हैं। मैं तो सन् १९६७ में आया हूं। तब से जानता हूं।

(व्यवधान)

तो मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जब आलरेडी इतनी ऊंची दरें हैं तो अब और उसको बढ़ाने का क्या औचित्य है? दूसरे सूबों में दरें यहां से बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी उनकी आय हमारे यहां से अधिक है। वे लोग अपना अधिक विकास कर रहे हैं। उनमें अधिक उत्साह और जोश है। आज हमारे यहां इतनी ऊंची दरें हमने कर रखी हैं, मगर न नवयुवकों में उत्साह है, न बुड्ढों में जोश है। सारी जगह निराशा का ही वातावरण चल रहा है। आज का किसान, मजदूर तथा बेरोजगार आधा पेट भोजन ही कर के जिन्दा रह पाता है। उसको आप और ज्यादा न सतायें। उसका खून और न चूसें। जैसा कि अभी नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा, आप केवल किफायतशारी करके ३३ परसेंट की बचत कर सकते हैं। इसलिये आप उस ३३ परसेंट की बचत पहले करें। यह जो टैक्स बढ़ाने का विधेयक आप लाये हैं इसे वापस लें। इसी में आप की गरिमा है और इसी में आपकी प्रशंसा होगी और यही आपकी भावना का द्योतक होगा कि आप वास्तव में इस गरीब सूबे की गरीब जनता के, मजदूरों के हिमायती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं कहूंगा कि

आप किसानों के खिलाफ दुश्मनी का एक दूसरा वार करने जा रहे हैं, जिसको भविष्य में आने वाली नस्ल आपको कभी माफ नहीं करेगी, इस समाजवाद की नई डिजाईन के लिए। इसके साथ में इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, जो बिल्स पेश हो रहे हैं, उनके प्रारूप और संशोधन तो कम से कम हर मेम्बर को मिल जाएं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ८-१२-१९७० को दिया जा चुका है और छठा वाला २९-६-१९७० को आप लोगों को वितरित हुआ है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

यह उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० हमें कतई नहीं मिला है और इसके लिये हमने कई मेम्बरों से पूछा भी है। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सभी को इसकी प्रतियां मिल जाएं जिससे कि उनको मालूम हो जाए कि उनको किस चीज पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो ९ नम्बर पर चले गये, जबकि ७ पर आप स्वयं ही बोल रहे ह। इस समय आप जो कह रहे हैं, जो आपत्ति इस समय कर रहे हैं, वह उस समय कर रहे हैं, जबकि खंडों पर बहस हो रही है।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैं आगे के लिए कह रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

पाण्डेय जी क्या बिना बिल देखे ही बोल गए ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप ही सब पर न बोला कीजिए।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कोर्ट फीस विधेयक पेश हुआ है, इसे देखकर मुझे दुख हो रहा है। मेरे वे साथी जो कि हर मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेते थे आज चुप हैं जबकि किसानों-गरीबों के साथ अन्याय होने जा रहा है। हमारे वित्तमंत्री जी ने बताया है कि इसे हम पैसा बढ़ाने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम तो यह समझते थे कि आमदनी बढ़ाने के लिये यह किया गया है, किन्तु उन्होंने ऐसा कह कर हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। वित्तमंत्री ने कहा है कि आमदनी बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि मुकदमात को कम करने के लिए यह लाया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो समझता था कि सवा छः एकड़ की लगान की माफी से होने वाले नुक्सान की पूर्ति के लिए आप इन छोटे-छोटे साधनों से धन जुटाने जा रहे हैं। तो जब आमदनी बढ़ाने का सवाल नहीं है तो इसको इस तरह से नहीं लाना चाहिए। यदि समाजवाद का असली मतलब समझा जाए तो न्याय के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वह दिन हिन्दुस्तान में जरूर आएगा जब न्याय के लिए एक पैसा भी कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पुराने हिन्दुस्तान में कभी भी न्याय के लिये पैसा नहीं देना पड़ा है।

[श्री जलील अब्बासी]

आज न्याय के लिये फीस बढ़ते-बढ़ते मंजिल यह आ गई है कि आपने दुगुना बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर न्याय महंगा है तो महंगा करने के बजाय कम करें। जिस तरह से लगान के मामले में सोशलिस्ट भाइयों का जोश है वैसा ही जोश काश उनके अन्दर होता कि निःशुल्क इंसाफ दिलाएंगे। निःशुल्क इंसाफ ज्यादा कीमती होता बजाय सवा छः एकड़ लगान माफ करने के। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर दोनों को देखें. . .

(व्यवधान)

आप वकील हैं। वकालत करियेगा। मुझे बोलने दीजिये। आप निःशुल्क करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। जो संशोधन रखा गया है वह भी उचित नहीं है क्योंकि आपने जोड़ दिया है कि अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत किसी याचिका पर भी लागू होगा। यानी आप ने रिट्रा-स्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। जिन लोगों के पहले मुकदमात हो गये उन पर भी फीस दूनी तिगुनी देंगे। मैं समझता हूं आप में सब तो नहीं कुछ क्रान्तिकारी लोग चले गये हैं यानी सोशलिस्ट पार्टी के लोग। मैं कम से कम उनसे उम्मीद करता हूं कि सरकार में सम्मिलित होने के बाद वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस चीज में किसानों को राहत दे सकते हैं क्योंकि जितना हक उनको सवा छः एकड़ तक लगान माफी का है उससे ज्यादा हक है कि उनको निःशुल्क इंसाफ दिलाया जाय। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, भाई रामसिंह जी खन्ना ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें लिखा है—"कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत याचिका पर दिया गया निर्णय या आदेश भी सम्मिलित है।" इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि अध्यादेश चालू होने के पूर्व कब से लागू होगा। जिस आदमी का निर्णय या आदेश पहले हो चुका है उस पर लेंगे। जैसे बनिया करता है कि एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से छीन लेता है। एक तरफ कहते हैं कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ करेंगे, दूसरी तरफ यह कह रहे हैं इसके पहले जो निर्णय हो चुके हैं उसका कोई टाइम नहीं है, उन पर लागू होगा। इस तरह से आप लालच में हैं। इस तरह से धोखा दिया जा रहा है। सदन के सामने जो चीज आये साफ आये कि कब से लागू होगा। माफ करें, खन्ना जी उसी बिरादरी के हैं जिस बिरादरी का मैं हूं। वह क्षत्रिय से खत्री हो गये, हम बनिया के बनिया रह गये। इस तरह से गोलमाल का नक्शा दिखाया जा रहा है। गवर्नमेन्ट में जाने से गोलमाल नहीं होना चाहिये। आज वह स्टेट मिनिस्टर हैं। इस तरह से वह संशोधन लाये हैं।

कैलाश प्रकाश जी वित्त मंत्री हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा उसको साफ करें। मुझे दुख है कोर्ट फीस सरकार रोज बढ़ाती जा रही है। मगर किसान को न्याय कैसे मिले, जल्द मिले, इस पर ध्यान नहीं है। जो पहले आप का कानून था कि मुलजिम हाजिर अदालत होने के छः सप्ताह के अन्दर फौजदारी के मुकदमों का फैसला हो जाता था, आज दो दो साल बाद चार्जशीट आती हैं। मुकदमा चार-चार पांच-पांच साल तक चलता है, उस पर सरकार की निगाह नहीं जाती है। किसान तारीख पर अगर १० बजे नहीं पहुंचता है तो मुकदमा खारिज हो जाता है लेकिन अगर वह दिन भर भी बैठता है तो शाम को तारीख बढ़ा दी जाती है और आफीसर लोग ३ घंटे लंच करते हैं। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। यह मंत्री लोग जब जिले में जाते हैं तो वहां के अफसर ऐसी खातिर करते हैं कि वह गद्गद हो कर चला आता है। उसको अफसर लोग इस तरह से घेरते हैं कि गरीब आदमी पहुंच ही नहीं पाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने १५ रोज पहले एक दरख्वास्त पर आदेश दिये कि मिसिल पुट अप टुडे' लेकिन १४ दिन बाद भी वह नहीं आई है। कानपुर मिल्क बोर्ड में ७० हजार रुपये महीने का गबन हो रहा है लेकिन श्री भगवन्त सिंह मुख्य मंत्री के आदेश की भी परवाह नहीं करते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 'पुटअप टुडे" लेकिन फिर भी १४ दिन बाद भी भगवन्त सिंह फायल को चूतर के नीचे दबाये बैठे हैं। ऐसा मुख्य मंत्री क्या कर सकेगा ? आज श्री भगवन्त सिंह पर चौधरी साहब का वरद हस्त है इसलिये वह किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो आदमी ७० हजार का गबन कर रहा है वह गुलावटी बुलन्दशहर का है और यहसिकन्दराराऊ के हैं इसलिये दबा रहे हैं। ज्वाइन्ट सचिव शरन साहब ने अपने सगे भाई को २००:४०० से बढ़ाकर ६००:१२०० रु० में सेल्स आफीसर बनाया है इसलिए वह भी इस मामले को दबाये हैं। वह फायल दबी पड़ी है। आज मैंने मख्य मंत्रीजी से कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। आपको ७० हजार रुपये महीने का गबन मालूम नहीं है। यह ४२ पेज की रिपोर्ट श्री दुबरी दूबे एडिशनल रजिस्ट्रार सहकारी समिति की मेरे पास है। यह बात नहीं होती तो आज यह कोर्ट फीस बढ़ाने की या टैक्स बढ़ाने की बात नहीं होती।

आप कोर्ट फीस बढ़ा लें लेकिन न्याय दें और देखें कि नीचे के अधिकारी फायल दबा न लें। १८ रोज बाद भी फायल श्री भगवन्त सिंह मुख्य मंत्रीजी को नहीं भेज रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप टैक्स बढ़ा लें लेकिन न्याय दें, जब यहां न्याय नहीं मिलता तो बाहर की क्या कहें ? इसलिये नहीं कि रुपया ले लें और न्याय न दें, और लोग बेईमानी करते रहें। मुख्य मंत्रीजी में अगर शासन चलाने की ताकत नहीं है तो ज्यादा अच्छा हो कि अपने घर बैठें, वाराणसी के दशा श्वमेध घाट पर बैठकर माला लेकर राम राम करें और स्वर्ग का रास्ता साफ कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पन्ना लालजी की भावना से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये परन्तु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये जिन शब्दों का प्रयोग हो वह ठीक होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सा शब्द ऐसा है जिसको आप असंसदीय मानते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप उस शब्द को मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये। अगर आप समझते हैं कि सही है तो मैं आपत्ति नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा का नाम कल समाचार पत्रों में गिराकर प्रकाशित न हो इसलिये मैं चाहता हूं कि संसदीय शब्दों का प्रयोग हो जिससे सभा की गरिमा बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सा शब्द है ? प्रसंग तो होता है लेकिन लोग कुछ बोलते हैं। सामान्य बहस को समझकर बोल देते हैं। मैं कहता हूं लेकिन नहीं मानते हैं। वास्तव में इसके लिये सामहिक चेतना जागरूक होना चाहिये क्योंकि जो हर बात कहना चाहता है वह कुछ नहीं कहना चाहता है। जो प्रस्ताव है या जो संशोधन हैं उन पर बोलना है। लेकिन अब जो माननीय सदस्य इस तरह से कहते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही यह घोषणा कर दी कि इस विधेयक के द्वारा वह प्रदेश के साधनों में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं। यदि उद्देश्य साधनों की वृद्धि भी होता तो मान्यवर, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी और विशेषकर इसलिए कि जिन साथियों के साथ माननीय वित्त मंत्री और उनके दल का गठबंधन हुआ है वह साथी जब रेवेन्यू में कमी करने पर आमादा हैं और यहां की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो यह आवश्यक है कि हमारे वित्त मंत्री जैसे दक्ष संसदीय प्रणाली के ज्ञाता और प्रशासन में अनुभवी व्यक्ति इस बिल के द्वारा साधनों को भी अर्जित करने की चेष्टा करें तो मुझे कोई आश्चर्य न होता। किन्तु उन्होंने जो घोषणा की तो मुझे सन्देह होता है कि जैसे-जैसे इस सदन में टैक्सों म वृद्धि करने के प्रश्न आयेंगे तो उसको ढकने की कोशिश की जायगी यह कहकर कि हम साधनों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, यह टैक्स घटाये जायेंगे।

मान्यवर, इस टैक्स की बढ़ोत्तरी को इस आश्वासन के बाद यदि वह लाते कि इन साधनों की उपलब्धि के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के साथ न्याय किया जायेगा तो मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए चिन्तित है पहला व्यक्ति होता जो माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता और अनुमोदन करता किन्तु मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया है उससे न तो यह लोक बनता है और न परलोक बनता है। मैं नहीं जानता कि जब साधनों में वद्धि का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यह वृद्धि टैक्सों में क्यों की जा रही है। क्यों टैक्सों में वृद्धि करके उस तबके पर बोझ डाला जा रहा है जो इस बोझे को उठाने के काबिल नहीं और जिसमें सामर्थ्य नहीं है। मान्यवर, जो भी टैक्स लगे, जो भी वृद्धि हो, एक परटीनेन्ट पाइन्ट यह है कि उसको वहन करने का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भार किस पर पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस टैक्स की वृद्धि का भार किस पर पड़ेगा, समाज के किस तबके पर पड़ेगा। इसका अध्ययन करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका भार सबसे ज्यादा छोटे तबके, गरीब तबके और निर्धन तबके पर ही पड़ेगा।

मान्यवर, आज इस तबके को विभिन्न प्रकार के चैलेन्ज दिये जा रहे हैं वह है गरीब और निर्धन तबका तथा उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता। हमारे संविधान में इस प्रकार के वर्ग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये प्राविधान किया गया है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालयों में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जिस तरह से हमारे समाज की व्यवस्था है उसमें मिक्स्ड एकोनोमी के नाम पर और समाजवाद के नाम पर जो सबसे ज्यादा तबका सताया जा रहा है वह है गरीब और निर्धन वर्ग का तबका। उसके लिये अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये जो साधन है, अपनी आवाज को पहुंचाने का जो साधन है वह है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा अन्य न्यायालय जहां पर वह जा सकता है। आपने उसके एक मात्र साधन पर प्रतिबन्ध लगा दिया और उसको इतना महंगा कर दिया कि उसका आगे बढ़ने का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाय। यह कदापि उचित और न्यायोचित बात नहीं है। मैं सह मत हूं कि अपने उद्देश्य और सिद्धान्त की रक्षा के लिये छोटे से छोटे आदमी को कुरबानी करनी पड़ेगी। अगर इस प्रदेश को उठाना है, इसकी तरक्की करनी है और सचमुच इस प्रदेश की ८, १० करोड़ जनता के साथ न्याय करने का उद्देश्य है, उन उपेक्षित क्षेत्रों के साथ न्याय करने का संकल्प है जो कि गत २२, २५ वर्ष से ही नहीं बल्कि सदियों से उपेक्षित रहे हैं उसके लिये छोटे से छोटे आदमी को भी कुरबानी करनी पड़ेगी। किन्तु यदि इसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि यह जो टैक्सों की वृद्धि एक, दो नहीं कई कई गुना हो गई है वह क्यों हुई है? इसको देखकर आशंका होती है।

साढ़े ६ एकड़ भूमि का लगान माफी कर देने पर जो वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होगी, एक संकट आयेगा उसको दूर करने के लिये विभिन्न साधनों के द्वारा, विभिन्न तरीकों के द्वारा इस बजट को बैलेन्स करने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री जी ने दावा किया कि बैलेन्स करने की कोई बात नहीं है। हम इसको विद्‌ए ग्रेन आफ साल्ट में स्वीकार करते हैं। मान्यवर, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि आपको प्रदेश की हालत में सुधार करना है उसका उत्थान करना है तो हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ है। आप इसका विकास कीजिये और ऐसे कार्य कीजिये तो हमारा पूर्ण समर्थन आपके साथ होगा।

एक सदस्य—

इसके अर्थ हैं कि टैक्स मत लगाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र—

इससे आपके कारनामे स्पष्ट हो रहे हैं। आपने निरन्तर २२ वर्षों तक शासन किया है और मुझको इसकी शिकायत है कि आपने सदा ही हमारी उपेक्षा की है। हमारे प्रदेश में इसी क्षेत्र में नहीं वरन् ऐसे न मालूम कितने क्षेत्र हैं जिनकी आपने निरन्तर ही उपेक्षा की है। मान्यवर, कहा जाता है कि धन दिल्ली नहीं देता है, केन्द्र नहीं देता है। तो मैं आपके साथ हूं केन्द्र से रुपया मांगने के लिये। केन्द्र से संघर्ष करने के लिये तैयार हूं, लड़ने को तैयार हूं। लेकिन यह लड़ाई तभी सार्थक होगी जब आप आपने प्रदेश का शासन कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर करें।

(व्यवधान)

मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, बशर्ते आप भी इस सरकार को बाध्य कर लें, तुरन्त इस्तीफा देने के लिये। आपके प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें यह जो आगे बैठे हुये हैं कम दोषी नहीं हैं, वे ही उस पाप के भागी हैं। इसलिये यह जो सरकार है..

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

मान्यवर, अगर एक माननीय सदस्य इतनी देर व्याख्यान देंगे तो बहुत से कार्य अधूरे रह जायेंगे। कोई समय तो निश्चित होना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मैं दो तीन मिनट और बोलूंगा।

श्री धर्मवीर—

मैं उपाध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मैं भी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं भी उपाध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो कार्यसूची है उस पर सम्मति नहीं है। जैसा कि श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि इसको फिर बात करके तय कर लेंगे। इसलिये अनावश्यक देरी हो रही है। लेकिन मेरे पास कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार तो आपके हाथ में है। मैं अपनी ओर से रोकने की जरूरत नहीं समझता।

श्री कृष्ण चन्द्र--

मान्यवर, मैं दो एक बात कहकर बैठ जाऊंगा । मान्यवर, इन शब्दों के साथ कि इस समय अगर यह साधनों को इकट्ठा करने के लिये नहीं है फिर भी मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । मैं यह चाहता हूं कि न्याय को महंगा करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि न की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश--

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो संशोधन हैं, मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २(१) में उसके द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि में शब्द " निर्णय या आदेश" और शब्द " के विरुद्ध" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

" जिसमें कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ के पूर्व प्रस्तुत किसी याचिका पर दिया गया निर्णय या आदेश भी सम्मिलित हैं ।) "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के पश्चात् निम्निलिखित नया खंड ३ बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

" ३ उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ :)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ तथा नया खंड ३, इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश---

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०†

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा-सा बिल आज जो इस आदरणीय सदन के सामने रख रही हूं उसके सम्बन्ध में मुझे पूरी आशा है कि इसमें सदन सहयोग देगा । चौथी पंच-वर्षीय योजना के लिये रुपये के रिसोर्सेज की जरूरत है । इसके लिये एक आर्डिनेन्स ७-९-७० को इश्यू किया गया था उसके सम्बन्ध में यह बिल आज रखा गया है । इसमें यह है कि अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिये जो एक रुपया या एक रुपये से ज्यादे के टिकट होंगे उन पर यह लागू होगा और इसमें ७५ से १०० फीसदी तक बढ़ोत्तरी रखी गई है । इसमें यह भी था कि यह रेट १-१०-७० से एप्लिकेबुल होंगे । इसके पहले इंटरटेनमेंट टैक्स, १९६५ में ६० फीसदी से लेकर ७५ फीसदी तक बढ़ाये गये थे । बढ़ोत्तरी से २५ से ३० लाख रु० के बीच की आमदनी होगी । मैं इस आदरणीय सदन से यह आशा करती हूं कि वह इसी ध्येय से इस पर विचार करेगा ।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल यह है कि मेरे जो बन्धु मेरे सामने बैठे हुये हैं वे मुझे इस बिल पर बहुत थोड़े से विचार व्यक्त करने की आज्ञा देंगे । श्रीमन्, आ जानते हैं कि मनोरंजन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह केवल धनिक वर्गों से ही प्राप्त नहीं

---

†२९ जून, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

होता है बल्कि अधिकांशतः आज की दुनिया में इतना टेन्शन है, चिन्तायें हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मनोरंजन की आवश्यकता होती है।.... (व्यवधान)। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि टैक्स के साधन बढ़ाने के पूरे अवसर सरकार को प्राप्त होने चाहिए। उन साधनों का सदुपयोग भी होना चाहिए। यह हमारे जो इधर के और उधर के बैठे हुये लोग हैं सबका बड़ा अहम कर्त्तव्य है। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि, अभी माननीय वित्त मंत्री ने और हमारे मुख्य मंत्री ने भी इस बात की शिकायत की थी कि केन्द्रीय सरकार इस प्रदेश के विकास के लिये काफी साधन प्रस्तुत नहीं कर रही है। स्टाम्प तक के सिलसिले में भी केन्द्रीय सरकार से सहायता न मिलने का उल्लेख हमारे वित्त मंत्री महोदय ने किया। श्रीमन्, मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने समय-समय पर इस सदन में और इसके बाहर भी इस बात का समर्थन किया है कि इस प्रदेश को केन्द्रीय सहायता अधिक प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसका राजनीतिक उपयोग करके आप प्रदेश की सहायता नहीं कर रहे हैं और केन्द्र तथा प्रदेश के संबंध को अधिक उपयोगी नहीं बना रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से हमें अधिक रुपया मिलना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे जो साधन हैं उनसे जो हम रुपया प्राप्त कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाय। इस प्रदेश को जो केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग नहीं किया गया है बल्कि उस रुपये के प्रति फ्राड किया गया है। वह इस तरह से कि जो सहायता केन्द्र से प्राप्त हुई उसको बिना खर्च किये हुये खर्च में दिखा दी गई।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खर्च करने की पद्धति क्या है, विभाग की लाखों करोड़ों की आपकी स्कीम बनती है। उनके बारे में मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं कि लाखों, करोड़ों की स्कीमों के, बिना एस्टीमेट बनाये हुये, बिना प्लानिंग किये हुये, बिना ड्राफ्टिंग किये हुये, रुपये को बर्बाद कर दिया गया। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। १९६८ में सिंचाई विभाग को देखिये। उस समय भी आज के ही वित्त मंत्री थे। बजट में सिंचाई विभाग के लिये १० करोड़ रुपया रखा गया और ५ करोड़ रुपया सप्लीमेंटरी बजट में रखा गया और कब, मार्च के महीने में। लेकिन जब पी० ए० सी० के सामने मामला आया तो २५ करोड़ रुपया खर्च दिखाया गया और १० करोड़ के लिये पी० ए० सी० से निवेदन किया गया।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार का यह हाल हो कि उसको यह न मालूम हो कि बजट में १० करोड़ रुपया रखा गया और खर्च किया २५ करोड़ रुपया। सप्लीमेंटरी बजट में १५ करोड़ की मांग रखनी चाहिये जो न रखकर केवल ५ करोड़ की रखी गई। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये हमारे दिल में बहुत दर्द है, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, हम पूर्वी जिलों के लिये भी ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्र ज्यादा से ज्यादा मदद देगा। लेकिन आप अपना प्लानिंग बदलिये, अपना ढंग ठीक कीजिये, व्यवस्था ठीक कीजिये, अपने खर्च करने के तरीके को ठीक कीजिये, तब आपको सहायता मिलेगी। मुख्य मंत्री जी प्लानिंग कमीशन के मेम्बर रहे हैं। क्या वह इसकी आज्ञा देते हैं कि जिस जगह पैसे के उपयोग की कोई देखभाल न हो.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

सप्लीमेंटरी बजट तो आता ही रहता है। उनकी सरकार में भी आता था। यह पहली बार नहीं आ रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—

हम ज्यादा से ज्यादा रुपया सरकार को देना चाहते हैं लेकिन यह सरकार एक तरफ तो लोगों को दिखाना चाहती है कि हमने सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ कर दिया और दूसरी तरफ उन्हीं बेचारे किसान और गरीब लोगों पर टैक्स लादना चाहती है। यह कोई सच्चाई का तरीका नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

ज्यादा बेहतर तो यही था। कि कोई नौजवान आदमी बोलता लेकिन अगर यह हार्ड ड्यूटी इन्हीं के जिम्मे है तो बतायें कि अब तक कितने सिनेमा देखे हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मनोरंजन कर के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं। मुख्यतः सिनेमा में जो कर लगता है, हमें इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है कि सिनेमा के मालिक दो तरह के टिकट रखते हैं। एक तो जिन पर मनोरंजन कर छपा रहता है और दूसरे कुछ नकली टिकट जिन पर मनोरंजन कर नहीं छपा रहता है। वे दोनों तरह के टिकट बेचते हैं और इंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टर काफी अंश तक सिनेमा मालिकों से मिले रहते हैं जिसके कारण वह पूरी तरह से देखरेख नहीं करते हैं और नतीजा यह होता है कि सरकार को बहुत काफी मनोरंजन कर की हानि होती है। इसके लिये यह आवश्यक है कि अधिकारी लोग सिनेमाघरों पर यकायक छापे मारें जिससे यह पता चल सके कि वे कितने ऐसे टिकट बेचते हैं जिन पर सरकार को मनोरंजन कर देते हैं और कितने नकली बेचते हैं जिन पर सरकार को कर नहीं देते हैं। मनोरंजन कर का बहुत सा रुपया सिनेमा के मालिक या अधिकारी लोग ही हड़प कर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई व्यवस्था करे।

*श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

जहां तक मनोरंजन कर की वृद्धि का प्रश्न है मैं इसका समर्थन करता हूं। कोई भी सरकार जिसकी आय के स्रोत सूख जाते हैं जनहित का कार्य नहीं कर सकती। सरकार जनहित तभी कर सकती है जबकि उसके पास साधन हों। इसी के साथ साथ मैं शासन से यह भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगाना चाहिये जो हमारे युवकों और छोटे-छोटे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। मनोरंजन कर भी बढ़े लेकिन सरकार यह भी देखे कि ऐसी फिल्मों का ही प्रदर्शन हो जो चरित्र के निर्माण में सहायक हों और बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करती हों। आज शहर में हम जिधर भी देखते हैं, जो विज्ञापन पट्ट लगे होते हैं उन्हें देखने में भी हमें बुरा लगता है। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, कई-कई लड़के, लड़कियों के मां बाप हैं। शायद अपनी लड़की के साथ जाते हुये या अपने छोटे बच्चों के साथ जाते हुये उन चित्रों को देखना भी हम पसन्द नहीं करेंगे। मैं शासन से यह मांग करूंगा कि जहां टैक्स की वृद्धि हुई है वहां पर यह भी करें कि ऐसे विज्ञापन न लगाये जायं जो नई पीढ़ी पर बुरा असर डालें।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि शासन को यह भी चाहिए कि ऐसी फिल्मों के निर्माताओं को प्रोत्साहन दें या ऐसे निर्माताओं को तैयार करें जो कि राष्ट्रीय समस्याओं पर जिनसे जनमत को हम शिक्षित कर सकें फिल्म बनायें। मुझे मालूम है कि विदेशों में स्कूल और कालिजों में ज्योग्राफी की, सामाजिक विषयों और दूसरे कई विषयों की पढ़ाई फिल्मों के माध्यम से होती है। फिल्में हमारे मन और मस्तिष्क पर अपना गहरा असर छोड़ देती हैं, हमारे मनोविज्ञान को बदल देती हैं। अगर अश्लील फिल्मों को चलने दिया गया, भले ही हमें आमदनी हुई, तो यह भी जनहित में अच्छा नहीं होगा। जहां हमें आमदनी की आवश्यकता है वहां हमें यह भी देखना चाहिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश गांधी]

कि जो फिल्में चलें वह बहुत अच्छी हों। वह ऐसी हों जिनमें अश्लीलता को नहीं उभारा गया हो, जिन में जनमत को स्वच्छ शिक्षा दी जाती हो--ऐसी फिल्मों के निर्माण करने वालों को हम प्रोत्साहन देना चाहिए, उन फिल्मों को सस्ते दामों पर दिखाया जाना चाहिए जिससे मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग भी उन्हें देख सकें। मैं शासन और मुख्य मन्त्री जी से यह अपील करूंगा कि वे इसके लिए कोई ऐसी कमेटी जरूर बना दें जिसमें एम० एल० एज० भी हों और कुछ शासन के पदाधिकारी हों। ऐसी फिल्में कोई बनाते हैं जो जनमत को शिक्षित कर सकें तो ज्यादा लोग उन्हें देख सकें, ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

यह कहा गया कि यह प्रदेश बड़ा गरीब है और यहां टैक्स की दर ज्यादा है। टैक्स की दर हो सके तो सवा सौ परसेंट कर दें, लेकिन जो पिक्चर ऐसी हैं जो कि शिक्षाप्रद हैं उन को गरीबों को सस्ते दामों पर दिखाने की व्यवस्था करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि शासन इस पर विचार करेगा और ऐसी समिति का निर्माण करेगा जो यह देखे कि अश्लील फिल्में तो नहीं चलाई जा रही हैं? अच्छी चलाई जा रही हैं और जो अच्छी फिल्में हैं उनको सस्ते दाम पर दिखाया जाय ताकि आज के जो स्कूल, कालिजों के बच्चे हैं और गरीब लोग हैं वह उनको देख सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष---

आज यह पूरा नहीं होगा और सोच-विचार करके आज इसको पास कर देना है, ऐसा नहीं लगता।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव का कि इंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में जो विधेयक उन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह जरूर समझता हूं कि इस इंटरटेनमेंट के द्वारा जिस प्रकार सिनेमा के द्वारा ही जनता को इंटरटेनमेंट मिलता है, इस सम्बन्ध में जो स्थिति है उस पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उसको सुधारने की कोशिश करें तो ज्यादा उचित होगा। यह टैक्स जो सिनेमाओं और दूसरे रिक्रिएशंस पर लगता है क्या आप इसे वाकई जनता के हर वर्ग से जोकि इंटरटेनमेंट और मनोरंजन करता है उससे ले लेते हैं? देखने में यह आया है कि जो गरीब रिक्शा चलाने वाला मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग जो मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं उन्हीं से टैक्स के रूप में यह लिया जाता है लेकिन जो बड़े-बड़े अफसर, अधिकारी हैं, जब वह सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा का मालिक तो अपनी मरजी के मुताबिक उन्हें फ़्री बैठा ही देता है, चलिये कोई बात नहीं, लेकिन वह इन्टरटेनमेंट टैक्स भी अदा नहीं करते और खासतौर से जो इन्टरटेनमेंट इंसपेक्टर्स हैं उनका हर सिनेमा से कोटा बंधा है कि दस आदमी हमारे रोज फ़्री सिनेमा देखेंगे और रोज वह देखते हैं। इस तरक मंत्री जी खासतौर से ध्यान दें कि ईमानदारी से क्या आप इस कर को समाज के हर व्यक्ति से ठीक से वसूल कर पाते हैं? यदि नहीं कर पाते तो इस चीज को सख्ती के साथ देखें कि मनोरंजन की परिभाषा में जो सारे इन्टरटेनमेंट आते हैं उन सबसे सरकारी कर की वसूलयाबी ठीक से और सख्ती से हो। इस बात की ओर वह खास तौर से ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरे, जो आज इन सिनेमा घरों की हालत है और जो आपका एक मनोरंजन कर का जरिया है, एक आय का साधन है तो आपका ध्यान इस तरक भी जाना चाहिये कि इन सिनेमाओं में फर्नीचर कैसा है, वहां पर सफाई का कैसा प्रबन्ध है। देखने में आता है कि जिस तरह से सिनेमा मालिक चाहते हैं वैसी ही वहां की हालत वह बनाये रखते हैं और कोई ध्यान जनता के आराम या स्वास्थ्य का नहीं रखा जाता, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। इस बात पर सख्ती होनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये कि लाइसेंस केवल उन्हीं सिनेमा मालिकों को दिया जायगा जो अपने यहां स्वास्थ्य का और फर्नीचर वगैरह का सही इंतजाम रखेंगे। इन सब चीजों को भी सख्ती के साथ अमल में लाया जाय।

तीसरी बात यह है कि आमतौर से हर इन्टरटेनमेंट और सिनेमा के टिकटों पर जो ब्लेक-मार्केटिंग की प्रथा चल रही है उसको रोकने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है यानी लोग टिकट सुबह लेकर बाद में ब्लेक में बेचते हैं और उसके अन्दर जो झगड़े फिसाद होते हैं उन सब चीजों की रोकथाम की तरफ भी सरकार को खासतौर से देखना चाहिये और यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि समाज में इससे एक बड़ी बुराई पनपती है। एक चीज की तरफ मैं खास तौर से और ध्यान दिलाऊंगा कि एक प्रथा यह भी चल गई है कि कुछ पिक्चर्स को इन्टरटेनमेंट टैक्स फ़्री कर दिया जाता है, जैसे अभी हाल में ही 'सत्यकाम', 'सफर', और 'कृष्ण लीला' पिक्चर्स टैक्स फ़्री दिखाई जा रही हैं, अखबारों में भी इनका इश्तहार निकलता है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर जानना चाहता हूं कि आखिर टैक्स फ़्री करने का स्टैंडर्ड क्या है? क्या कोई समिति है कि जो सिनेमा देखकर कैसे जज कर के निर्णय किया जाता है कि फलां पिक्चर फ़्री की जाय। हो यह रहा है कि जिस फिल्म प्रोड्यूसर ने सरकार में जहां कहीं अपनी अप्रोच अपने तौर तरीके इस्तेमाल कर के बना लिया वहीं इन्टरटेनमेंट टैक्स फ़्री का बोर्ड उसकी पिक्चर पर लग गया। देखना यह चाहिये कि कौन सी नेशनल इन्टरेस्ट की बात या समाजसुधार की बात वह पिक्चर जनता के सामने रख रही है जिस को देखने के लिये लाजमी तौर से जनता को देखने का प्रोत्साहन मिलना जरूरी है ताकि जनता उस को देखे और उससे कुछ सीखे। अच्छा हो कि इसके लिये कोई कमेटी बनाई जाय, यह चीज किसी एक व्यक्ति पर न छोड़ी जाय, वह एक प्रकार का फ़्री टैक्स करने का बोर्ड हो जो देख कर ही पिक्चर को फ़्री कर सके।

इसके अलावा लाइसेंस देने के जो नियम हैं कि आमतौर से किसी स्कूल, कालेज, मन्दिर मसजिद और गुरुद्वारे आदि के करीब सिनेमा भवन न हों लेकिन देखने में आता है कि इसका पालन नहीं होता और क्या यह कहा जा सकता है कि इस नियम का ईमानदारी से पालन होता है? जगह-जगह पर हर जगह बगैर कुछ देखे समझे लाइसेंस दिये जा रहे हैं और सिनेमा नियमों की अवहेलना कर के खुलते जा रहे हैं। इसको तो सख्ती के साथ देखा जाय कि कहां-कहां इस तरह के नियमों की अवहेलना होती है और क्यों इस अवहेलना पर मुलायमियत का व्यवहार होता है।

चौथी बात जो अभी श्री जगदीश गांधी ने कही कि आपका जो स्टैंडर्ड है फिल्म्स का वह ठीक होना चाहिये। एक सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर है, वह बोर्ड बैठता है और उसका कुछ खास तरीका होगा कि जिस को देख कर वह फिल्म्स को पास करता होगा कि वह दिखाई जाय। लेकिन मैं कहूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि एक तसवीर जो बम्बई में दिखाई जाय उस को अगर वहां सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो उसका असर उत्तर प्रदेश की जनता पर बुरा न पड़े। उस में अन्तर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात का प्रयास करे कि उत्तर प्रदेश का एक बोर्ड आफ सेन्सर हो जिससे आप स्वयं देखें कि इस-इस पिक्चर के चलाने से नौजवान लड़कियों और लड़कों के ऊपर, या आने वाली रोशनी पर कोई असर तो नहीं पड़ता है। इसके बीच में राज्य सरकार को जरूर आना चाहिये ताकि वह यह देखे कि हमारे प्रदेश में चलाने लायक वह पिक्चर है या नहीं।

मैंने यह भी देखा है कि किसी गाने वाले जैसे मन्ना डे या शकीला बानो भोपाली के प्रोग्राम रखे जाते हैं और उन को कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर चलाया जाता है। और इसलिये एप्रोच करके उनके प्रोग्रामों के टिकटों पर इन्टरटेनमेंट टैक्स फ़्री करा लिया जाता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि चाहे उसमें गाने वाले मन्ना डे हों, शकीला बानो भोपाली हों, या रफी साहब हों क्यों उसे कल्चरल प्रोग्राम की संज्ञा दी जाती है। दूसरे जो वहां पर आदमी

[श्री रियासत हुसैन]

जाते हैं, वे केवल इन्टरटेनमेंट की दृष्टि से ही जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम की वजह से नहीं। तो जब वे इन्टरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो उन पर एटरटेनमेंट टैक्स भी लागू होना चाहिए। उन पर टैक्स की माफी का सवाल नहीं उठता। हमारी सरकार को इन सब बातों पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। आज गरीब से लेकर बड़े-बड़े आदमियों तक के लिये सिनेमा मनोरंजन का साधन बन गया है और इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। यह जनता का पार्ट एंड पार्सल होने के कारण कुछ बंधे हुए नियमों को चाहे वह इन्टरटेनमेंट टैक्स की माफी का प्रश्न हो, चाहे वह कल्चरल प्रोग्राम का प्रश्न हो, लागू करना चाहिए। अन्त में मैं फिर एक बार इन्टरटेनमेंट टैक्स को डबल करने का जो आपने बिल पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री देवकी नन्दन विभव---

अब ४ बज चुके हैं, क्या कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

जब होगा तो आयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, मैं माननीय विभव जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था और उनके भाषण से मुझे ऐसा लगा कि वे आगरे के मैदान में अपना भाषण दे रहे हैं।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यहां पर गरीबों की बात कही गयी हैं। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार आयेगी, उसे टैक्स तो अवश्य लगाना ही पड़ेगा। अगर यहां पर मानवीय तिवारी जी की सरकार बैठेगी तो वे टैक्स तो लगायेगी ही। और आज जो हमारी संविद सरकार है उसको भी अवश्य ही टैक्स लगाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत अन्दर करना पड़ता है। जो जीवन की बेयर नेसेसिटिज आफ लाइफ हैं या जो कम्फर्ट्स हैं, जिनके बिना जीवन यापन होना कठिन है, उन पर कम से कम टैक्स हो और जो लग्जरी के साधन हैं, या जिनको हम विलासिता की सामग्री कह सकते हैं या साधन कह सकते हैं, उन पर अगर टैक्स लगता है तो विरोधी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर आप देखें तो पायेंगे कि १ रुपये के टिकट पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। १ रुपया का टिकट जो हमारे गरीब भाई हैं या मजदूर लोग हैं, वे ही लेते हैं। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ा है। फिर उसके ऊपर जो टैक्स पड़ेगा वह भी कुछ पैसे ही होंगे। अभी तक जो १ रुपया ७५ पैसे का टिकट था अब जो टैक्स बढ़ेगा वह २ रुपये का हो जायेगा तो उस पर भी कुछ पैसों का ही अन्तर आयेगा।

आमतौर से जब हम लोग यह कहते हैं कि जनता गरीब है, देश गरीब है तो कुछ लोग यह कहते हैं कि गरीबी की आप लोग बातें करते हैं लेकिन सिनेमाघरों में जाकर देखें तो वहां पर टिकट नहीं मिल पाते हैं और वहां पर आदमी के ऊपर आदमी चढ़कर टिकट लेते हैं। इतनी भीड़ वहां पर होती है, मैं इस बात को मानता हूं। यह जो टैक्स है इस टैक्स को बढ़ा देने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस टैक्स को दुगुना भी करेंगे तो सिनेमाघर के अन्दर भीड़ कम नहीं होगी। मैं अपने मित्र माननीय रियासत हुसैन साहब की कद्र करता हूं। वे एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं। उन्हें शिकायत हुई कि सत्यकाम और श्री कृष्णलीला का इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ किया गया है। मैं श्रीमन्, कभी कभी भूल कर लेता हूं सिनेमा देखने की लेकिन रियासत हुसैन साहब नहीं देखते। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इन सत्य काम और श्रीकृष्ण लीला पिक्चर्स के अन्दर, मैंने श्रीकृष्ण लीला पिक्चर नहीं देखी है, सत्यकाम के अन्दर जो बताने का प्रयत्न किया गया है वह पिक्चर इस लायक है कि उसमें इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ होना चाहिये। उसमें जीवन में चरित्र निर्माण की बात कही गयी है। मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं उनकी बात से सहमत हूं।

जहां तक टैक्सेज की चोरी की बात है मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात की जांच करा लीजिये कि अगर कोई अफसर किसी जिले के अन्दर है मैं सौ में एक अफसर निकालने की गुंजाइश रखना चाहता हूं, तो उनमें ९९ प्रतिशत अफसर वहां बिना इन्टरटेनमेंट टैक्स दिये सिनेमा देखते हैं। सिनेमा का जो मालिक है वह हाथ जोड़कर खड़ा होता है। इतना ही नहीं वह उनके बीबी और बच्चों को इन्टरवल में काफी और चाय भी पिलाता है। टैक्स की चोरी होती है। माना कि वह उनको ओब्लाइज करने में टिकट का पैसा न ले लेकिन जो सरकार के पैसे की चोरी है उसको रोकने का कोई तो रास्ता निकालना चाहिये। दूसरी बात यह कही गई कि शकीला बानो और मन्ना डे के प्रोग्राम में भी इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ होता है। देहरादून में शकीला बानो का प्रोग्राम हुआ। हजारों रुपया उसके अन्दर जमा हुआ। कोई लाभ की बात उसमें नहीं थी।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कोई बड़ा प्रोग्राम होता है कव्वालियों के अन्दर या मुशायरों में या कवि-सम्मेलनों के अन्दर, ऐसी जगह पर जहां कोई उपयोगिता नहीं है वहां पर अगर इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ होता है तो उससे सरकार के धन की हानि होती है। मैं समझता हूं इसमें सख्ती अपनानी चाहिये। इसमें यदि सख्ती अपनाई जायेगी तो सरकार के धन की हानि रुक सकती है।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। यह जो इन्टरटेन्मेनट टैक्स बढ़ाने की बात है मैं इसका समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टैक्स माफ करने की रीति है इसके लिये जिला स्तर पर कोई कमेटी बना दी जाय। अब तक यह केवल जिलाधीश को अधिकार रहता है कि चाहे प्रोग्राम खराब हो, या अच्छा हो, वह इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ कर सकता है। इसलिये एक ऐसी समिति का निर्माण कर दें जिसमें जनप्रतिनिधि हों जो बैठ कर इस बात का निर्णय करें कि इस प्रोग्राम का टैक्स माफ होना चाहिये या नहीं। इस बात का निर्णय हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो संशोधन किये गये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये विरोधी पक्ष से और उसको स्वीकार करना चाहिये।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ के जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उपस्थित किये हैं उनको ले लेता हूं। इसको एडजर्न करता हूं और इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं होगा। सिर्फ फैसला होगा। यह बहस जारी रहेगी।

एक सदस्य—

कल एक नियम ५१ नहीं लिखा गया था उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आज फैसला सुनाया जायेगा। नियम ५१ में एक प्रस्ताव त्रिवेणी राय जी का है, वह मैंने स्वीकार किया है। वह यह है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य घट रहे हैं तथा और सब चीजों के बढ़ रहे हैं। किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है।

इसके ऊपर वक्तव्य १४ तारीख के लिये रख दिया है। इसके बाद श्री गेंदा सिंह जी का गन्ना उत्पादकों के मिलों पर बकाये के धन के सम्बन्ध में है। वह १० करोड़ रुपया बकाया है। कौन से वे मिल हैं, यह उन्होंने नहीं दिया है। इस पर उनको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने का अधिकार होगा।

[श्री अध्यक्ष]

श्री बासुदेव सिंह देव का बहराइच जिले में भेड़ियों के आतंक के सम्बन्ध में है। यह अपने प्रश्न कर लें तो उनको जवाब मिल जायगा। इस पर बहस नहीं हो सकती। श्री विजय बहादुर सिंह जी का मिर्जापुर जेल के कैदियों तथा जेलर द्वारा श्री सीताराम बौरसिया के मकान पर हमले के सम्बन्ध में है। आपको अल्पसूचित प्रश्न करने पर जल्द जवाब मिल जयगा।

श्री बिश्वनाथ कपूर का श्री साबिर पुत्र मोन्हे, जिला फैजाबाद को जमानत के आदेश हो जाने पर भी जेल से रिहाई न होने के सम्बन्ध में है। यह महत्व का है। इनसे बात हो गई है और इन्होंने इस बात को मान लिया है कि अल्पसूचित प्रश्न कर लेंगे। उनको जवाब मिल जायगा। एक ही स्वीकार कर सकता हूं। तो वह पहले कर लिया है।

श्री चेतराम गंगवार और श्री भानु प्रताप सिंह का बरेली में एच० आर० शुगर फैक्टरी द्वारा गन्ने की खरीद की पर्चियों पर कीमत न डालने के सम्बन्ध में है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

यह लाखों किसानों से सम्बन्धित प्रश्न है। वह रेट नहीं डाल रहे हैं। इसको भी स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि १५ तारीख तक स्वीकार हो गये हैं।

श्री चेतराम गंगवार---

आप १६ को इसको कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

१६ को इसको कर देंगे। इसके बाद नित्यानन्द जी स्वामी का कर्मचारियों के सम्बन्ध में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

आप इसको १७ तारीख को ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

इसको १७ तारीख के लिये रख देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

आपने गेंदा सिंह जी का पढ़ा जो गन्ना की कीमत बकाया के सम्बन्ध में है। वह १० करोड़ रुपया किसानों का देना है। आपने इस पर यह व्यवस्था दी कि वह अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इधर ३ चीनी मिलों के मसले पर यह कहा कि विवाद हो जाय। मैं नहीं कहता कि ये महत्व के नहीं हैं। जब आपने एक ही प्रकार के प्रश्न पर तो यह कह दिया कि इन पर १६ को बहस हो जाय और उस दूसरे पर प्रश्न करन की बात कही तो इससे तो उनका नुकसान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है तब तक उनको देर हो जायगी। वह जवाब जल्द चाहते हैं। सरकार के पास फीगर्स रहते हैं तो उनको जल्द जवाब मिल जायगा। अगर वह १६ को चाहते हैं तो मैं १६ को रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा तो गेंदासिंह जी का और चेतराम जी दोनों का १६ तारीख को होगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

१,२०० रुपया प्रत्येक नागरिक पर सरकार की ओर से टैक्स लगाया गया है। वहां के कारपोरेशन ने इसका विरोध किया है। इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिये। आपने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया।

१२-१२ सौ रुपया एक-एक नागरिक से वसूल किया जा रहा है। नगरपालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास करके भेजा है।

(व्यवधान)

कल मैंने दिया था। उस पर वक्तव्य ही दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आप फिर दे दीजिये। कल वाले कल खत्म हो गये।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव स्थगन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

कई माननीय सदस्यों ने एक कामरोको प्रस्ताव जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव स्थगित करने के संबंध में दिया है जो इस प्रकार है ---"जिला सहकारी बैंक देवरिया का आम जलसा जो तारीख ६-१२-७० को १२ बजे दिन से होने वाला था उसे सरकार ने जिलाधीश देवरिया को आदेश दे कर एक घंटा पूर्व यानी ६-१२-७० को ११ बजे दिन में टलवा दिया जब कि १,४५० प्रतिनिधियों में से १,३०० से अधिक प्रतिनिधि आम जलसा के पंडाल में उपस्थित हो चुके थे और इस तरह बैंक की सहकारी समितियों का करीब पचीस-तीस हजार रुपये का अपव्यय किया गया। यह गलत तथा निन्दनीय कार्य सरकार ने पार्टीबन्दी के कारण अपने लोगों को चुनाव में हार से बचाने के लिये, उनके असर में आकर किया है। इससे सरकार की मर्यादा तो नष्ट हुई है, साथ ही जनतांत्रिक परम्परा को गहरा धक्का लगा है।" यह कामरोको प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकता क्योंकि यह ६ तारीख का वाकया है। मेरी सलाह इसमें यह है कि इस पर पहले आप वक्तव्य मांग लें। सरकार पर इसमें आक्षेप आता है। उसके लिये आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी।

*श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)---

हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। २ मिनट हमारी बात कृपया सुन लें। ६-१२-७० को यह चुनाव होने वाले थे। सब को नोटिसें भी जारी हो चुकी थीं। एडीशनल रजिस्ट्रार यहां लखनऊ से गये। उन्होंने और गोरखपुर रेंज के डिप्टी रजिस्ट्रार ने बैंक का मुआयना भी ६ घंटे तक किया और जितने डायरेक्टर्स थे उनसे पूछताछ भी की और हर तरह से आश्वस्त हो गये कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और उन्होंने यह कहा कि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होंगे। फिर एक दिन पहले ७ साढ़े बजे के करीब उन लोगों को कुछ हिदायतें मिलीं और उन्होंने कुछ लोगों से मिलकर कुछ लिखवाकर लिया। काफी लोगों ने यही कहा कि साहब चुनाव न टाले जायं। इनको सम्पन्न कराया जाय। जिलाधीश महोदय ने भी आखिर तक यही कहा कि चुनाव की तैयारी आप लोग करें और तदनुसार इलेक्शन आफिसर को भी सारी वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये गये। किन्तु फिर ६ तारीख को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

ठीक ग्यारह बजे अपने एलेक्शन अफसर से उन्होंने कहला दिया कि चूंकि नियमावली में कौन सभापतित्व ग्रहण करेगा यह नहीं दिया है और ४५ दिन का जो आब्जेक्शन है, इस बिना पर मैं इसे स्थगित, किए देता हूं। देखने की बात यह है कि इस सम्बन्ध में पहले डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी ने भी कोई आब्जेक्शन नहीं किया। जब कि उन्होंने एक दिन पहले ही मुआयना किया था। डी० एम० ने भी एक दिन पहले कहा था कि ६ तारीख को १२ बजे चुनाव होंगे। जिसके लिए साढ़े तेरह सौ डेलीगेट्स पंडाल में आ चुके थे, उस वक्त ऐसी स्थिति में यदि कोई चीज होती है तो इसके अलावा उसे क्या समझा जाए। जब कि डी० एम० जो स्वयं उस सहकारी संस्था के अध्यक्ष हैं कहा था कि चुनाव निश्चित समय पर होंगे।

श्री अध्यक्ष---

अब उसकी अर्जेन्सी तो रही नहीं। आप उनका वक्तव्य ले लें। आप सरकार को सुन लें।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

क्या परिस्थिति हुई, यह कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। कोआप्रेटिव ऐक्ट बना हुआ है और पांडेय जी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोआपरेटिव ऐक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार डी० एम० डिस्ट्रिक्ट में सभी चुनावों के लिए रिटर्निंग अफसर होता है। आप कहते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार गये, असिस्टेंट रजिस्ट्रार गये, लेकिन मैं कहता हूं उनके सामने आब्जेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आपके ऊपर चार्ज है।

श्री कृष्णानन्द राय---

इस विधान सभा में इस सरकार को इसमें नहीं लाना चाहिए। डी० एम० रिटर्निंग अफसर है यदि वह चुनाव टालता है तो कोआपरेटिव ऐक्ट में उसके खिलाफ आप लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन यह उसके लिए स्थान कैसे है?

श्री अध्यक्ष---

ऐक्ट में अपील का अधिकार है? यदि है, तो वह कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

डिप्टी रजिस्ट्रार के यहां हो सकती है।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

डिप्टी रजिस्ट्रार डी० एम० से साढ़े तीन घंटे बात करते हैं, तो कहां अपील हो सकती है और कौन सुनकर न्याय कर सकता है?

श्री अध्यक्ष---

यदि आक्षेप है मंत्री पर तो उनसे वक्तव्य इस बात के लिए आना चाहिए इसलिए मैं यह उनके पास भेजे देता हूं वक्तव्य के लिए। फिर उसमें यदि लीगल प्रासीजर है अपील करने का तो वह उसमें कह सकते हैं।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

वक्तव्य ही नहीं, आप इस पर एक-दो घंटे का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष---

आज ही नहीं बाद में देखकर दूंगा, यदि आप समझेंगे। अभी आप कह सकते हैं कि अमुक ने बदनामी की। वक्तव्य आपको मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ऐसी हालत में उसकी तो बदनामी होगी ही। इसका वक्तव्य आप कल दे सकेंगे?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, डी० एम० से पूछना पड़ेगा, इसलिए सोमवार तक रखिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्या वक्तव्य दें, क्योंकि यह दो पार्टियों का मामला है।

श्री अध्यक्ष---

इसका तो जवाब आप को देना ही पड़ेगा। आपने किसी को भेजकर चुनाव स्थगित कराया है, इसकी सफाई तो जरूरी है।

श्री कृष्णानन्द राय---

हमारा कोई आदेश नहीं गया है, यह पांडेय जी बता दें, तो मैं दूसरा इन्तजाम कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, यह सोमवार के लिए निश्चित कर दिया है। जब मंत्री पर प्रत्यक्ष आक्षेप है तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा है तो बहुत गलत चीज है। उनको इसका मौका मिलना चाहिए स्पष्ट करने का कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया।

नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)---

हमने उरई का लिखकर दिया है। उसका वक्तव्य इसमें शामिल कर लीजिये, बिलकुल इसी तरह का केस है। गवर्नमेंट ने बेईमानी करके रुकवा दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय सदस्य कह रहे हैं उरई का चुनाव हमने रुकवा दिया। हम को पता भी नहीं है कहां चुनाव हुआ?

श्री अध्यक्ष---

इसी मामले का है?

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा---

बिलकुल कोआपरेटिव एलेक्शन का है। उरई, जालौन के बारे में है। मैंने आपके पास लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मेरे कमरे में आकर उसको देख लीजिये। देखें आपका है या नहीं। मैंने देखा नहीं उसको।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं । मैंने दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी सहजनवा के थानेदार ने महाबीर कसेरा को मारते मारते मार डाला । उसके संबंध में दिया था । उस पर आप का कोई निर्णय नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

१४ को आप का भी किया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

दूसरा कामरोको प्रस्ताव है मंजूर अहमद साहब का । मैंने उनसे कह दिया कि मुझे दिखा दें । मैंने पेंडिंग रखा है । शाम को दिखाने वाले हैं डाक्टरी रिपोर्ट । उसके बाद फैसला दूंगा ।

तीसरा जो है, २६ अक्तूबर की घटना है । यह तो आ ही नहीं सकता इसमें किसी तरह से । बलिया जिले के सिकन्दरपुर थाने के पास छात्रों की भीड़ पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली वर्षा के कारण छात्र श्री शम्सुद्दीन और राम अवध मारे गये तथा अनेकों छात्र घायल हुये । यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता । आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें क्योंकि २६ तारीख का है । आपने जल्दी नहीं दिया है । यह तो हो गया ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

बाढ़ के संबंध में कई मेम्बरों का प्रस्ताव था । उसमें आपने कोई निर्णय नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

दो घंटे की जो बहस होने वाली है परसों के वाकये के बारे में कल को रख दूं, सदन उठने के बाद । कोई आप को आपत्ति तो नहीं है । नेता विरोधी दल से मैं कह रहा हूं । मैं कल रखना चाहता हूं दो घंटे बहस ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

कल सारे लोग जाने के मूड में होंगे । पांच बजे के बाद कोई नहीं रुकेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

सदन उठने के बाद नहीं । सदन उठ जायगा तो क्या....

श्री अध्यक्ष---

पांच बजे के बाद हमेशा होता है । मैं बैठता हूं सात आठ बजे तक ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

साढ़े चार बजे से ।

श्री अध्यक्ष---

साढ़े चार बजे शुरू करेंगे कल, दो घंटे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

एक कामरोको प्रस्ताव मैंने कल दिया था जो अलखनन्दा बाढ़ के संबंध में था । इसमें बहुत सी मोटर गाड़ियां बह गई थीं । दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में लिखा है ।

श्री अध्यक्ष---

इसको स्वीकार कर लिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तारीख बतला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

१५ तारीख है ।

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

अब बिल पर कौन बोलना चाहता है ?

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, यह जो इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया जा रहा है इस संबंध में मुझे अफसोस है कि मैं रियासत हुसेन साहब की आवाज के साथ अपनी आवाज नहीं मिला सकता और मैं इसका घोर विरोध करता हूं । जो कुछ हमारे भाई जगदीश गांधी ने कहा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मुनासिब है कि फिल्म्स अच्छी हों, मुनासिब हों, इसके लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जाय और सेंसर बोर्ड प्रदेश का बनाया जाय । यह सभी बातें ठीक हैं लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास को सुविधा मिली है कि महीने में वह एक या दो बार अपने बाल बच्चों को लेकर सिनेमा चला जाता है वह इससे खतम हो जावेगी । अगर आप चाहते हैं कि उनको मनोरंजन का अधिकार न दिया जाय तो ठीक है । उनकी तनख्वाह आप बढायेंगे नहीं कर्मचारी चिल्लायेंगे और जुलूस निकालेंगे । तो यह तो आपने रोक दिया, सिर्फ यह रह गया था कि थोड़ी तनख्वाह में अपने बाल बच्चों को लेकर मनोरंजन कर ले । मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं ।

मैं समझता हूं कि २०,२५ साल की मुल्क की आजादी के बाद हर आदमी को मनोरंजन का अधिकार होना चाहिये । सिनेमा की बुराई की गई । मैं समझता हूं कि उसकी हर तरह की उन्नति की जानी चाहिये । हमारे जो फिल्म आते हैं वह अच्छे भी हैं और खराब भी हैं । हमारे यहां के सेंसर बोर्ड का यह काम है कि उस पर नियंत्रण रक्खे । मैं यह भी समझता हूं कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि कलेक्टर को जो आपने अधिकार दिया कि वह जिसको चाहे माफी दे दे नहीं होना चाहिये बल्कि इसके लिये एक कमेटी होना चाहिये जो देखें कि किसकी माफी होना चाहिये और किसकी नहीं होना चाहिये । इसी के साथ मेरी दरख्वास्त है कि बड़े-बड़े अफसर फ्री देखते हैं और एक पैसा नहीं देते हैं और हम लोग जाते हैं तो टैक्स पड़ता है । तो हम टैक्स की माफी नहीं चाहते हैं लेकिन फर्स्ट और सैकिंड क्लास पर, एक रुपये पर नहीं बल्कि सारे पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये और हम इसका घोर विरोध करते हैं ।

वित्त मंत्री जी ने कहा कि उनका ध्यान इस ओर नहीं है कि ज्यादा आमदनी हो । शायद इससे १०,२० लाख रुपया मिल जायेगा । यह कोई बड़ी रकम नहीं होगी लेकिन उससे ज्यादा आप उस मिडिल क्लास को तकलीफ देंगे जिसके पास और कोई मनोरंजन नहीं है । वह भूखे पेट रहता है लेकिन एक या दो बार सिनेमा देखता है और वह बेंचेज पर बैठ नहीं सकता है । आप उसके ऊपर बोझ लादना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें । हमारी समझ में यह बात आती है कि वहां बहुत बड़े-बड़े क्रांतिकारी लोग बैठे हैं और शायद वे पसंद न करें क्योंकि उनके लिए सिनेमा खराब चीज होगी । लेकिन बाकी जो लोग आपके साथ हैं वह पसंद करते हैं और अगर अपने लिये वे पसन्द करते हैं तो छोटे कर्मचारियों के लिये भी पसन्द करना चाहिये । जो इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा रहे हैं वह गलत है, उसे आप वापिस कर लें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

सर्वप्रथम जो हमारे साथी उस ओर बैठे हुये हैं उनका ध्यान मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी का १९७०-७१ का बजट भाषण के पृष्ठ २५ पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है "अलाभकर जोतों का भू-राजस्व से मुक्त करने और उर्वरकों पर से बिक्री कर हटाये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को पूरा करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है । ये उपाय मनोरंजन कर की दर में वृद्धि, औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली बिजली पर शुल्क लगाये जाने और खाली पड़ी नगर भूमियों पर कर लगाये जाने से संबंधित हैं ।" जो लोग उधर बैठे हैं उन सभी ने इस बजट भाषण का समर्थन किया था और इसी सदन में पारित कराया था और आज नकाब दूसरा, बोल दूसरे, यह अनैतिकता । मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं जिस दल का सदस्य हूं वह दल चाहता है कि हिंदुस्तान का करोड़ों इंसान जो नीचे दबा हुआ है वह ऊपर उठे । हमारा दल चाहता है कि जो ऊंची क्लास है जिसकी पोषाक हमारे नेगी जी पहनते हैं, तिवारी जी पहनते हैं वह नीचे आये और जो क्लास आज तक पिसता आया है, दबा हुआ है वह ऊपर उठे । जो आवश्यक वस्तुयें हैं जिनका उपभोग आम जनता करती है उनकी कीमत गिरे लेकिन भोग बिलास की वस्तुओं की कीमत बढ़ाई जाय । जिस हिन्दुस्तान में गरीबी है, महामारी है, वहां कौन मनोरंजन करता है ? क्या देहात का गरीब आदमी करता है ? नहीं । आप सिनेमा में जायं तो कौन दिखाई देते हैं । वही अमीर आदमी । लगे हाथ श्रीमन् एक बात और कह दूं । सत्यकाम सिनेमा चल रहा था जिस पर मनोरंजन कर माफ । मैंने सोचा कि तेरह चौदह वर्ष बाद देखूं कि इसमें क्या खूबी है । श्रीमन् उसका अन्त दुखांत । जो आदमी घूंस नहीं लेता वह घुल घुल कर मर जाता है । इसलिये मैं कहता हूं अमीरों पर कर लगाया जाय और गरीबों को राहत दिलायी जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)---

मान्यवर मैंने पहले बचपन में एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का तात्पर्य यह था कि भगवान का नाम ले लेकर तरह तरह के जुल्म और ज्यादतियां भगवान के भक्तों ने कीं । मान्यवर, आज कुछ कुछ उसकी छाया सरकार में भी दिखलाई दे रही है । मान्यवर, गरीबी को मिटाने के लिये सवा ६ एकड़ का लगान माफ होना चाहिये यह तो समझ में आता है । मान्यवर, गरीबी को मिटाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी बढ़नी चाहिये । वृद्धि हो गई । अब यह तीसरा संशोधन विधेयक गरीबी को मिटाने के लिये मनोरंजन कर के रूप में आया कि मनोरंजन कर की भी वृद्धि होनी चाहिये । मान्यवर, मैं इस दिन को बड़ा इनआसपिशस (अपशगुन) से भरा दिन मानता हूं जहां पर गरीबों को राहत देने के नाम पर इस प्रकार से तीन तीन ऐसे विधेयक आये । धन को पीटर की जेब से निकाल कर पाल की जेब में डाल दिया जाय । मान्यवर, आज का दिन अगर सवा ६ एकड़ भूमि का लगान माफ करने तक ही सीमित रहता तो मैं तो उसके लिये सरकार को धन्यबाद दे ही चुका था लेकिन किन दुश्मनों ने मुख्य मंत्री जी को यह बता दिया कि एक ही सांस में ताबड़तोड़ टैक्सों में वृद्धि के भी फरमान आज ही रख दिये जायं । कुछ बधाइयों का तांता तो कम हो जाने दिया जाता, खुशियां कम पड़ जाने देते परन्तु ऐसा कुछ न करके एक ही सांस में इतने इतने विधेयकों को रख दिया गया । मेरे मित्र चौधरी साहब ने कहा कि सिनेमा को अमीर लोग ही देखते हैं ।

गृहमंत्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)---

ठीक ही तो है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

वर्मा जी आपतो बहुत सिनेमा देखते हैं । मैंने तो उनको रात में दो दो बजे सिनेमा घर में देखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब आपने उनको रात में दो बजे देखा है तो आप भी गये होंगे । फिर आप कहां पर थे ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

वह मेरे मित्र हैं और मैं उनको खोजने के लिये गया था । मेरे मित्र चौधरी शम्भू नाथ जी ने कहा कि इस सिनेमा को बड़े आदमी देखते हैं, धनिक वर्ग ही देखते हैं । ऐसा मालूम होता है कि वे कभी सिनेमा गये ही नहीं और वे इस मामले में पूर्ण ब्रह्मचारी हैं । इसलिये मेरी सलाह है कि वे सिनेमा को देखना शुरू कर दें । टिकट के पैसे मैं उनको दे दूंगा । हां जो शादीशुदा लोग नहीं हैं उनको सिनेमा देखने का कोई हक नहीं है । मान्यवर शम्भू नाथ जी को यह नहीं मालूम है जोकि उनको मालूम होना चाहिये कि सिनेमा देखने को जाये तो देखिये कि ९० प्रतिशत निर्धन व्यक्ति तथा निम्न मध्यम वर्ग सिनेमा देखता है। ऊंचे वर्ग का कोई नहीं देखता। ऊंचे वर्ग के लिये तो इस लखनऊ नगरी में, नवाबों की नगरी में दूसरे मनोरंजन के साधन हैं, सिनेमा वे क्यों जाने लगे। सिनेमा तो यह निम्न मध्यम वर्ग और गरीब-मजदूरों के लिये ही रह गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस धारणा में मुख्य मंत्री जी ने यह टैक्स वृद्धि की है कि अमीर देखते हैं तो उनका आधार समाप्त हो जाता है। इसलिये इस वृद्धि को वापिस लिया जाना चाहिये।

एक सदस्य—

यह वृद्धि ७५ नये पैसे और एक रुपये से ज्यादा की है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

१२ आने और एक रुपये का टिकट तो नीचे वालों को मिलता ही नहीं।

एक सदस्य—

आप लाइन लगाइये तो मिलेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

आप पहले चोर-बाजारी तो टिकटों की रोकिये। उनको तो टिकट मिलता ही नहीं है दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स की बढ़ोत्तरी तो आपने प्रारम्भ कर दी किन्तु इसको बहुत सोच-समझ कर पूर्ण केल्कुलेटेड कन्सीडरेशन के बाद जब आप इस नतीजे पर आयें कि कहां पर टैक्स लगना है, वहीं लगाइये। कोई जिद की चीज नहीं होनी चाहिये। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका था कि आप ने छः एकड़ तक लगान माफ किया है और अब आपको उस क्षति को बैलेन्स्ड करना है। हम इसके लिये तैयार हैं। हम आप को समर्थन देने के लिये तैयार हैं, आपको सहयोग करने के लिये तैयार हैं, लेकिन कहां टैक्स लगाना है और कहां पर वृद्धि करनी है इसको बहुत सोच-समझ कर कदम उठायें। आवश्यकता पड़े तो आप हाउस की एक कमेटी बना दें। आप अपने मन्त्रिगणों की एक कमेटी बना दें। और अगर आप इस तरफ के नाचीजों को कुछ समझते हों तो वह भी कमेटी में एसोसिएट हो सकते हैं। उन लोगों को भी इस कमेटी में रख दीजिये। लेकिन जो भी करें बहुत सोच-समझ कर डेलीबेशन के बाद आप यह कदम उठायें। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द बाजी में कदम उठाया गया है।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बहुत कड़ुआ तजुर्बा है, इस प्रदेश को बहुत कड़ुआ तजुर्बा है। हम लोगों से हाथ उठवा कर नये नये टैक्स लगवाये गये हैं और मान्यवर जो वृद्धि की गई, जो टैक्स लगाये गये हैं उससे एक विशेष प्रकार के लोगों को लाभान्वित किया गया विशेष क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया। मान्यवर, आज भी बुन्देलखण्ड जैसा क्षेत्र, पहाड़ी, क्षेत्र और पूर्वी अंचल के क्षेत्र ऐसे पड़े हुये हैं तो पिछले २० सालों से ही नहीं बल्कि सदियों से उपेक्षित रहे हैं और अपमानित दशा में हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप को केन्द्र से शिकायत हो सकती है, लेकिन हम को तो इस सरकार से ही शिकायत है। केन्द्र से रुपया प्रचुर मात्रा में आया, अपार धनराशि आई और उसका दुरुपयोग किया गया। उसको विशेष अंचलों पर खर्च किया गया और जो पिछड़े इलाके थे उनको रौंद दिया गया। इसलिये हमको तो शिकायत इस सरकार से है।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं एक सफाई चाहता हूं। पिछले वर्ष, मान्यवर, यह सब को मालूम है कि जब बाढ़ आई तो प्रदेश के बहुत से जिले बरबाद हो गये। जब हमने मांग की तो हम लोगों को २ करोड़ रुपया मिला, लेकिन जब तामिल नाडु ने मांग की तो उनको मिला २४ करोड़ रुपया। मौलिक प्रश्न तो यह है कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है। आप इस बात को छिपाना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मैं अपनी शिकायत छिपा नहीं रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि केन्द्र से सहायता नहीं दी गई। एक पिता के चार लड़के थे। उन चार लड़कों में दो लड़के जो सबसे बड़े थे उन पर केन्द्र से सारी सहायता व्यय की गयी और बाकी दो लड़कों को भूखों मरने दिया गया। अब केन्द्र समझता है उसकी सहायता का उपयोग इन्साफ से नहीं होगा, केन्द्र समझता है कि आप के पास इन्साफ का तराजू नहीं है। केन्द्र सहायता क्या इसलिये नहीं दे रहा है वह पिछड़े हुये इलाकों की सहायता नहीं करना चाहता है, वह पहाड़ी और पूर्वी अंचल के क्षेत्रों को नहीं उठाना चाहता है बल्कि यह इसलिये सहायता नहीं देना चाहता है कि उसे यह विश्वास नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिनके हाथ में शासन की बागडोर है उनके पास इन्साफ और न्याय की तराजू है। केन्द्र सभी को एक दृष्टि से देखता है। उसे विश्वास नहीं है कि आप उन पिछड़े हुये क्षेत्रों के भाइयों के साथ हाथ से हाथ मिला कर उन्हें अपने साथ बैठाने का मौका देंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुवात की है। उन्होंने यह नारा बुलन्द किया है कि पूर्वी और पहाड़ी इलाकों को उठाया जाय और देखा जाय कि उनकी क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं और उनकी सहायता की जानी चाहिये। उनकी जरूरतों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। इस पंच वर्षीय योजना में ही नहीं, उन्होंने इसे उस दृष्टि से रखा है कि अगले वर्ष हमारे क्या-क्या कार्य बन सकते हैं इन क्षेत्रों के उत्थान के सम्बन्ध में। तो यहां तक उनकी नजर गई है। इसलिये राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी और इसके बावजूद भी कि आज वे उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, मैं उनको इसलिये बधाई देता हूं। उन्होंने ठीक नब्ज पकड़ने की कोशिश की है और उस नब्ज पर अपना हाथ और ऊंगलियां रखी हैं किन्तु मुझे भय है कि दबाव से या किसी दूसरी प्रेरणा से उस नब्ज पर से अपना हाथ न हटा दें इतना मेरा उनसे और निवेदन है।

मान्यवर, पूर्वी अंचल के, बुन्देलखण्ड के और पहाड़ी इलाकों के विधायकों को बुलाया गया है और उन्हें समझाने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं

कि जो यह माननीय मुख्य मन्त्री जी का प्रयास है वह केवल राजनीतिक प्रयास नहीं है बल्कि एक आत्मा और हृदय की निकली हुई आवाज है, वह पूरी होंगी। अगर वे इस दृष्टि से कि इन पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास करना है करेंगे तो वे अमर हो जायेंगे।

(व्यवधान)

जिनका विकास होना है वह नक्शा पेश किया जाय मैं उसका समर्थन करूंगा।

(व्यवधान)

किन्तु मुझे भय है कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी उस योजना को मजफ्फरनगर या मेरठ ले जायेंगे.....।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ५ बजने वाले हैं अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह बहस चल रही है और यह विधेयक जब तक पास न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

कितना समय बढ़ा दें आप उसका प्रस्ताव करें।

सहकारिता मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

समय बढ़ाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। क्योंकि हर विधेयक पर जितना आप बोलें, उतना बोल सकते हैं। तब तक इसमें बहस जारी रखी जाय जब तक कि इस बिल की बहस समाप्त न हो जाय। आदरणीय सदस्य यदि जल्दी जाना चाहेंगे तो इसको जल्दी पास कर देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, आज ५ बजे से हमारी पार्टी की बठक है और कई लोग जा चुके हैं। इसलिये आज हमारे लिये और बैठना संभव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

आप अपने आदमियों को कंट्रोल कीजिये। अभी पहले मैं समझता हूं कि आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कल आपने सदन को एक दम से एडजर्न कर दिया था और आज आप इसकी इजाजत दे रहे हैं। इस पर दूसरे दिन बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

और काम भी करने हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

५ बजे से हमारी पार्टी की बैठक है और कई लोग जा चुके हैं। इसलिये आज हमारे लिये और बैठना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह तो ठीक है। लेकिन प्रस्ताव आया है तो मुझे सदन के सामने रखना पड़ेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह पांच मिनट में समाप्त हो जायेगा क्योंकि सारा बाद विवाद इस पर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---

तो आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। मैं कंट्रोल करूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, हम लोग कल सबेरे बिजनस एडवाइजरी कमेटी में शामिल नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष---

इससे उससे क्या संबंध है तिवारी जी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमारी पार्टी की बैठक ५ बजे से होने जा रही है और आवश्यक विषय पर बातचीत करनी है। सहयोग देने के लिये वे तैयार नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय---

कल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई लेकिन तिवारी जी उसमें शामिल नहीं हुये। विधान सभा का कितना मूल्यवान समय होता है। यह तो वह भी जानते ही हैं। कमेटी में वे शामिल नहीं होंगे और यहां पर वे प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो क्या किया जाय। सिवाय इसके और चारा क्या है ? बाध्य होकर हमें यह प्रस्ताव करना पड़ा है। आध घंटे में यह समाप्त हो जायेगा। फिर कार्य मंत्रणा समिति में वे जो चाहें करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, हम लोग शामिल क्यों नहीं हुये इसका कारण हमने स्पष्ट कर दिया था। आपकी कृपा रही। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। केवल मतभेद होने के कारण वह स्थगित नहीं हुई। हम माननीय संसदीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि हमारी पार्टी की बैठक पहले से निश्चित हो चुकी है। हमारे नेता वहां जा चुके हैं और वह बैठक शुरू हो रही होगी। इतना हमने उनसे सहयोग चाहा था वह भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---

मतलब यह है कि आप बाद को कार्य मंत्रणा समिति में सहयोग देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमने असहयोग कब किया है।

विद्युत मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

असल में सदन उसी समय चल सकता है, जब हम लोग मिल जुल कर चलायें। आपने हमसे कहा था कि तीन विधेयक पास कर देंगे। मैं समझता हूं कि बहुत छोटी सी बात है। दो विधेयक आप पास करा देते तो ठीक बात थी। इस हाउस का काम चल नहीं सकता जब तक हम दोनों आपस में कोआपरेट करके काम न करें। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात मान लें। लेकिन अगर आप मानते नहीं हैं, अपनी जिद्द पर हैं तो मैं यही करूंगा कि आज हम अपने प्रस्ताव को आपस ले लेंगे और कल जब आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आयेंगे तो आप यह देख लें कि यहां का काम उचित रूप से चले।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आभारी हूं । उन्होंने बड़ी शांतिप्रियता दिखाई और जिद्द नहीं की । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी जिद्दी नहीं हैं । विरोधी दल का नाम जिद्दी दल नहीं है, विरोधी दल है । सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि अपना बिजनेस जल्दी से पास कराये लेकिन विरोधी दल का कार्य यह है कि वह देखे कि सदन की सारी बातें हो रही हैं । और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब मुख्य मंत्री की तारीफ हो रही थी उस समय यह आया कि बहस बन्द कर दी जाय । यह सरकार अपने मुख्य मंत्री की तारीफ भी बरदाश्त नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष—

तो कल कार्य मंत्रणा समिति में आयेंगे न ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
९ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत ता०प्र० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर]

(क) वर्ष १९६९–७० में डिग्री शाखा में निम्नलिखित अध्यापकों की नियुक्ति हुई है

क्रम सं०	अध्यापक का नाम	योग्यता	अनुभव
१	श्री प्रकाश चन्द पंत, प्रवक्ता, रसायन शास्त्र	एम० एस-सी०, द्वितीय (गणित) एम०एस-सी०, प्रथम (केमिस्ट्री)	इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।
२	श्री केशव दत्त रूबाली, प्रवक्ता, हिन्दी	एम० ए०, प्रथम (हिन्दी)	इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।
३	श्री शरद चन्द्र जोशी, प्रवक्ता, भूगोल	एम० ए०, द्वितीय पी-एच० डी०	कार्टोग्राफी का अनुभव
४	श्री प्रकाश चन्द्र पांडेय, प्रवक्ता, रसायन शास्त्र	एम० एस-सी०, द्वितीय	डिग्री कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।
५	श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता, प्रवक्ता, रसायन शास्त्र	एम० एस-सी०, प्रथम श्रेणी	,,
६	श्री बी० डी० एस० चौहान, प्रवक्ता, बाटनी	एम० एस-सी०, द्वितीय श्रेणी	,,
७	डा० लक्ष्मण सिंह बिष्ट, प्रवक्ता, हिन्दी	एम०ए० (हिन्दी), द्वितीय डी० फिल०	शोध अनुभव डाक्टरेट डिग्री के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर चुके थे । डी० फिल० उपाधि प्राप्त कर चुके हैं ।
८	श्री गोमती शरण पांडे, प्रवक्ता, संस्कृत	एम०ए० (संस्कृत), प्रथम	डिग्री तथा इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।
९	श्री लच्छी लाल वर्मा, प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र	एम०ए० (राजनीतिशास्त्र), द्वितीय श्रेणी	इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।
१०	श्री हरीश चन्द्र उप्रेती, प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र	एम०ए० (राजनीतिशास्त्र), द्वितीय श्रेणी	,,
११	श्री जगदीश चन्द पंत, प्रवक्ता, रसायन शास्त्र	एम० एस-सी०, द्वितीय श्रेणी	,,
१२	श्री नवीन चन्द्र पंत, प्रवक्ता, संगीत	संगीत निपुण	,,
१३	श्री जीवानन्द पन्त, प्रवक्ता, रसायन शास्त्र	एम० एस-सी०, द्वितीय श्रेणी	इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव ।

(ख) वर्ष १९६९–७० में इण्टरमीडिएट शाखा में निम्नलिखित अध्यापकों की नियुक्ति की गई

क्रमसं०	अध्यापक का नाम	योग्यता	अनुभव
१	श्री महेश चन्द उपाध्याय, सहायक अध्यापक, केमिस्ट्री	एम०एस-सी० (केमिस्ट्री), द्वितीय श्रेणी।	इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव।
२	श्री लक्ष्मी दत्त अवस्थी, सहायक अध्यापक, संस्कृत	एम०ए० (संस्कृत)	,,
३	श्री प्रयाग दत्त जोशी, सहायक अध्यापक, हिन्दी	एम०ए० (हिन्दी)	,,

उत्तराखण्ड विधान सभा देहरादून

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

क्रम सं०	नाम बंधी		नाम कार्य	कार्य की प्रगति	
१	कैक्टम बंधी	..	(१) बालू की आपूर्ति	३,७५०	घनफुट
			(१) पीग्रेवल की आपूर्ति	३,६००	घनफुट
			(३) ब्लास्टिंग ,,	३,३००	घनफुट
			(४) बोल्डर सप्लाई	२,३००	घनफुट
२	कम्हरिया बंधी	..	मिट्टी का कार्य	१०,०००	घनफुट
३	चिरवी बंधी		,, ,,	३४,०००	घनफुट
४	डिबरिया बंधी	..	६ ,, मोटी पत्थर की पिचिंग	४,८७५	घनफुट
५	बीरपुर बंधी	..	(१) मिट्टी का कार्य	४०,०००	घनफुट
			(२) पत्थर कस्तल की पूर्ति	४००	घनफुट
६	कंजिया बंधी	..	(१) मिट्टी का कार्य	५०,०००	घनफुट
		..	(२) पत्थर की पिचिंग	५,०००	घनफुट

संसदीय प्रदेश गंगा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

सूची ग्राम जिनका सर्वे जनवरी, १९६९ से मार्च, १९७० तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया तथा उनमें से नलकूप लगाये गये ग्राम

क्रम संख्या	नलकूप नम्बर तथा ग्रुप	नाम ग्राम जिसमें नलकूप की बोरिंग हुई	नाम ग्राम जिनका सर्वे नलकूप लगाये गये ग्राम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया
१	२	३	४
१	१ कन्नौज ..	जसौली ..	१ जसौली २ बहादुर पुर ३ राजवीर हार ४ उदैतापुर
२	२ कन्नौज ..	मानीमऊ ..	५ उदैतापुर ६ मानीमऊ ७ ददौरा खुर्द
३	१६ कन्नौज ..	गोखरू ..	८ गोखरू ९ मोचीपुर
४	२० कन्नौज ..	मोचीपुर ..	१० मोचीपुर
५	२२ कन्नौज ..	मुहम्मदपुर बीजा ..	११ मुहम्मदपुर बीजा १२ मेहदीपुर १३ नहर घाटी १४ मियां गंज
६	२९ छिबरामऊ ..	समनौरा बहादुर पुर ..	१५ समौरा बहादुर पुर
७	१७ छिबरामऊ ..	इन्दुआगंज ..	१६ इन्दुआगंज १७ समधिन १८ काजीपुरवा १९ गन्धौली
८	३५ छिबरामऊ ..	रायपुर ..	२० रायपुर
९	३१ छिबरामऊ ..	नरौइया ..	२१ नरोइया २२ रूहे ला
१०	३६ छिबरामऊ ..	पनगवा ..	२३ पनगवा
११	२८ छिबरामऊ ..	वैसियापुर ..	२४ वैसियापुर
१२	३७ कन्नौज ..	फतेहपुर ..	२५ फतेहपुर
१३	३८ कन्नौज ..	जेवा ..	२६ जेवा
१४	३६ कन्नौज ..	तहसीपुर कन्नौज ..	२७ तहसीपुर कन्नौज २८ बरौली

क्रम संख्या	नम्बर नलकूप तथा ग्रुप	नाम ग्राम जिसमें नलकूप की बोरिंग हुई	नाम ग्राम जिनका सर्वे नलकूप लगाये गये ग्राम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया
१	२	३	४
१५	३९ कन्नौज	.. पदारथपुर	.. २९ पदारथपुर
			३० बलारपुर
			३१ जलालपुर शर्मन
			३२ आन्टी
			३३ मानपुर
१६	३२ कन्नौज	.. देवकली बागर	.. ३४ देवकली बागर
			३५ मडारपुर
			३६ रिजगिरहार
			३७ चूराचादपुर
			३८ नितुकाला
१७	२४ कन्नौज	.. आन्टी	.. ३९ आन्टी
			४० बन्सरामऊ
			४१ किल्यापुर
			४२ उदैतापुर
१८	५१ कन्नौज	.. तेरामल्लू	.. ४३ तेरा मल्लू
१९	४७ कन्नौज	.. सैयदपुर सकरी	.. ४४ सैयदपुर सकरी
२०	५२ कन्नौज	.. बन्सरामऊ	.. ४५ बन्सरामऊ
			४६ सुल्तानपुर
२१	२५ छिबरामऊ	.. उधरनपुर	.. ४७ उधरनपुर
			४८ असेह
			४९ जेसिहपुर
२२	१ कायमगन्ज	.. काधे मई	.. ५० काधेमई
			५१ हुसेनपुर बागर
			५२ बेग
२३	२ कायमगन्ज	.. हुसेनपुर बागर	.. ५३ हुसेनपुर बागर
			५४ हमीरपुर
			५५ बेग
			५६ सरमौरा
२४	३ कायमगन्ज	.. न्योली	.. ५७ न्योली
२५	४ कायमगन्ज	.. साहिबगन्ज	.. ५८ साहिबगन्ज
२६	११७ फर्रुखाबाद	.. आवाजपुर	.. ५९ आवाजपुर
			६० अरहा पहाड़पुर
२७	११९ फर्रुखाबाद	.. पवन खेरिया	.. ६१ पवन खेरिया
			६२ श्योगनपुर
२८	१२० फर्रुखाबाद	.. नवादा दोयम	.. ६३ नवादा दोयम
			६४ रैसेपुर

क्रम संख्या	नम्बर नलकूप तथा ग्रुप	नाम ग्राम जिसमें नलकूप की बोरिंग हुई	नाम ग्राम जिनका सर्वे नलकूप लगाये गये ग्राम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया
१	२	३	४
२९	१२१ फर्रुखाबाद ..	पखना हमीर खेड़ा ..	६५ पखना हमीर खेड़ा
			६६ सिठौली
			६७ पुनपाकपूर
			६८ पखना इजरायल
३०	१२६ फर्रुखाबाद ..	पिपरगांव ..	६९ पिपरगांव
			७० अलीदाद पुर
३१	१२७ फर्रुखाबाद ..	वरनाखुर्द ..	७१ वरना खुर्द
			७२ मोरपुर
			७३ सितौली
			७४ मैनेपुर
			७५ निवधा पुर
३२	१२८ फर्रुखाबाद ..	याकूतगन्ज नं० २ ..	७६ याकूतगन्ज
			७७ पियूपुर मेहदिया
			७८ चौंसपुर
३३	१२९ फर्रुखाबाद ..	लखमीपुर ..	७९ लखमीपुर
			८० याकूतगंज
			८१ पियूपुर मेहदिया
			८२ मैनपुर
			८३ कीरतपुर
३४	२६ फर्रुखाबाद ..	असेह ..	८४ असेह (कूप का बोरिंग नहीं हुआ।)

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

शैक्षिक संस्थाओं के लेखों की सम्परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी अवधि १९६२–६३ से १९६६–६७

विद्यालय का नाम :—श्री महावीर जैन, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, झांसी।

सम्प्रेक्षण की तिथि :—९ व १४ मार्च, १९६८।

१—प्रस्तावना—विद्यालय जुलाई, १९६५ से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर आ गया था तथा इस लेखे को वर्ष १९६२–६३ से १९६६–६७ की सम्प्रेक्षा इस विभाग द्वारा प्रथम बार की जा रही है।

२—प्रशासन—डाक्टर अभिनन्दन कुमार जैन वर्ष १९६२–६३ से १९६६–६७ तक विद्यालय के पद पर आसीन रहे।

३—वित्तीय स्थिति—वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६६–६७ की वर्गीकृत पंजिकायें तैयार नहीं की गई थीं जिन से इन वर्षों की वित्तीय स्थिति नहीं ली जा सकी इन पंजिकाओं को अब तैयार करके आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

३—(अ) आरक्षित निधि—विद्यालय के पास वर्ष १९६३–६४ के प्रबन्धक अभिलेख के अनुसार रुपया ३१२५ की आरक्षित निधि राष्ट्रीय बचत प्रपत्रों में विनियोजित थी, परन्तु जिन्हें सम्परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे प्रस्तुत किया जाय।

३—(ब) संदन निधि—विद्यालय के पास १५६५० रुपये के मूल्य की संदान निधि भूमि सम्पत्ति के रूप में थी, तथा जिससे वार्षिक आय ४५० इति वर्ष प्राप्त हुई दिखाई गई थी। भूमि सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग का प्रपत्र, भूमि सम्पत्ति का विवरण एवं इससे हुये आय सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

३—(स) देय सम्परीक्षा शुल्क—वित्तीय स्थिति अज्ञात होने के कारण विद्यालय द्वारा देय सम्परीक्षा शुल्क ज्ञात न की जा सकी।

४—राजकीय अनुदान के विषय में प्रमाण पत्र :—आलेख्य वर्ष में प्राप्त निम्नांकित राजकीय अनुदानों का उपभोग समुचित ढंग से स्वीकृत प्रयोजनों पर और उन में निहित प्रतिबन्धों एवं अनुबन्धों का उल्लंघन किये बिना किया गया था तथा जिसमें कोई अनियमितता हुई उनका उल्लेख यथा स्थान कर दिया है।

वर्ष	जे०बी०टी० सी० अनुदान	आवर्तक अनुदान	अतिरिक्त अनुदान	अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने में हुई क्षति की पूर्ति	मंहगाई भत्ता अनुदान	एडहाक महंगाई भत्ता
१	२	३	४	५	६	७
१९६२–६३	—	९५६–००	—	१,६४०–५५	—	—
१९६३–६४	६६–६८	२,५५६–००	—	१,९८३–५०	२३६–००	—
१९६४–६५	—	२,५५८–००	—	३,३७७–००	५७०–००	—
१९६५–६६	—	१,९१२–५०	—	२,४६५–४४	४५७–५०	१२२७–६९
१९६६–६७	—	१,१४३–००	—	२,९२४–३०	—	१५७६–०९

वर्ष	कक्षा ७ के लिये अनुदान	सुनार जाति के छात्रों के लिये अनुदान
१९६२–६३	३७९३–००	—
१९६३–६४	१६२–८०	—
१९६४–६५	—	४९–३०
१९६५–६६		—
१९६६–६७		—

(अ) छात्रवृत्ति पत्र लेखा—छात्रवृत्ति प्राप्ति एवं वितरण का रजिस्टर वर्ष १९६५–६६ के पूर्व वर्षों के लिये सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मौखिक रूप से यह बताया गया कि वर्ष १९६५–६६ से पूर्व के वर्षों में उक्त रजिस्टर विद्यालय में उपलब्ध नहीं था। अतएव छात्रवृत्ति की प्राप्ति एवं वितरण के लेखों की जांच न की जा सकी। यह बताया जाये कि वर्ष १९६२–६३ से १९६३–६४ तक विद्यालय को और छात्रवृत्ति विद्यालय को प्राप्त हुई थी यदि कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी तो उसकी प्राप्ति एवं वितरण का लेखा सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

५—वर्ष १९६५–६६ एवं १९६६–६७ में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं उसके वितरण के लेखों की जांच करने से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित छात्रों को उनके सम्मुख उल्लिखित मदों को छात्रवृत्तियों की धनराशियां सरकारी कोषागार से निकाली गई थी, परन्तु सम्बन्धित छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ कर चले जाने से इनका वितरण नहीं किया जा सका। इस प्रकार से समस्त रुपया १२८ जो धनराशि शीघ्रताशीघ्र सरकारी कोषागार में जमा करके चालान सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विद्यार्थियों के लिये जो छात्रवृत्ति प्राप्त की गई	छात्रवृत्ति की धनराशि	छात्रवृत्ति पंजिका पृष्ठ संख्या
१	२	३	४	५
जगमोहन मुन्नू मेहतर	६	मार्च, ६७ से जून, ६७ तक	२४–००	५२ पर
धर्मदास कोरी	७	,,	३२–००	४६ पर
रामकुमार बढ़ई	७	,,	३२–००	३३ पर
गया प्रसाद कोरी	६	,,	२४–००	४५ पर
काशी राम कोरी	७	मार्च, १९६६	८–००	१२ पर
स्वामी प्रसाद	७	,,	८–००	१२ पर
			१२८–००	

५—लेखे की उल्लेखनीय विशेषतायें—

(क) वेतन का अधिक भुगतान—श्री अमर सिंह बी०ए०, बी० टी०, स०अ० की नियुक्ति दिनांक १ अगस्त, १९६१ से १२०–३०० रु० के वेतनक्रम में की गई थी एवं १२०–०० रु० प्रति मास की दर से उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा था, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन ७५–२०० रु० तक शासन से निर्धारित है अतः उनको १२० रु० प्रतिमास

का भुगतान अनियमित था। उनका वेतन ७५–२०० रु० वेतनमान में पुनः उनकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित किया जाय और उन्हें जो अधिक भुगतान किया गया है उसकी वापसी उनसे कराई जाय, क्योंकि अध्यापक की सेवायें ३० जून, १९६४ से समाप्त कर दी गई थी अतः उनको वेतन के अधिक भुगतान से हुई क्षति का उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल किया जाय।

२—श्री हुकुमचन्द्र जैन बी०ए० की नियुक्ति ८०–रु० प्रति माह के वेतन पर २० जुलाई, १९६२ से की गई थी। श्री जैन एक अप्रशिक्षित अध्यापक होने के कारण उनको ७५–२०० वेतनमान का २/३ भाग ही वेतन देय था अर्थात् (७५ रु० का २/३) ५०–०० की दर से उनको भुगतान किया जाना चाहिये था, इस तरह उनको ३० रुपया प्रतिमाह की दर से अधिक भुगतान किया गया जिसका योग उनसे वापस कराया जाय।

३—सर्व श्री शंकर लाल सर्राफ बी० ए० बी० टी० एवं राम प्रसाद पहाड़िया बी० ए०, बी० टी० की नियुक्ति ९ जुलाई, १९६२ को १२०–३०० रु० वेतन क्रम में १२० रु० प्रति माह वेतन पर की गई थी जो अनियमित था। इन अध्यापिकों की नियुक्त ७५–२०० रु० के वेतनक्रम में जो जू०हा० स्कूल के अध्यापकों के लिये शासन द्वारा स्वीकृत की जानी थी। इन अध्यापकों को इस प्रकार ४५ रु० प्रति माह अधिक भुगतान किया जाता रहा जो उनकी नियुक्ति तिथि से जोड़ कर उनसे वापस कराया जाय तथा ७५–२०० रु० वेतन क्रम में उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जाय।

(ब) अध्यापकों की सेवा पुस्तिकायें, नियुक्ति प्रपत्र आदि सम्परीक्षा में न प्रस्तुत करना—

वाउचर संख्या १०८, दिनांक १५–५–६२/१२३, दिनांक १५–१०–६२/१५७, दिनांक ११–५–६३/१६८, दिनांक ७–१०–६३ एवं, २०७, दिनांक १५–५–६४ द्वारा ३०२-४५, ५९०–६३०–५९, ६१२–१०, एवं ६८४–०० का भुगतान क्रमशः माह अप्रैल, १९६४ माह अगस्त, १९६३ एवं माह अप्रैल, १९६४ के वेतन बिलों के लिये किया गया था परन्तु जिन कर्मचारियों में वेतन का भुगतान किया गया था उनमें से कुछ की सेवा की पुस्तिकायें सम्परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गयीं जिनसे उनको भुगतान किये गये वेतन के औचित्य की जांच न की जा सकी जिन्हें प्रस्तुत किया जाय।

श्री विजय कुमार एम० ए०, बी० एड० को उपरोक्त ३०२–४५ का भुगतान माह अप्रैल, १९६२ के वेतन के लिये १२० –३०० के वेतन मान में १३६–०० की दर से किया गया था परन्तु उनकी नियुक्ति-पत्र एवं सेवापंजिका सम्परीक्षा में नहीं प्रस्तुत की गई जिसे प्रस्तुत किया जाय।

श्री दीन दयाल इण्टर एवं श्री मुकुन्दी लाल यादव इण्टर विशारद की नियुक्ति ११ जुलाई १९६१ को एवं २ जनवरी, १९६३ को ५० रु० मासिक वेतन पर सहायक अध्यापक के रूप में की गई थी उन्हें रु० ५० का भुगतान किस आधार पर किया गया उसे बताया जाय तथा सम्बन्धित सेवा पुस्तिकायें एवं नियुक्ति प्रपत्र प्रस्तुत किया जाय। वेतन बिल जो पेंसिल से बनाया और जिस पर प्रबन्धक द्वारा धन हरण की स्वीकृत नहीं थी इस अनियमितता का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाय।

(ग) यात्रा भत्ता का अनियमित भुगतान—श्री शंकर लाल सर्राफ सहायक अध्यापक दिनांक ७ से १० अक्तूबर, १९६४ तक रानीपुर से झांसी एवं झांसी से रानीपुर की यात्राओं के लिये व्यय प्रमाणक सं० ३१, दिनांक १८–१०–६४ द्वारा ३० रु० ६४ पै० का भुगतान यात्रा भत्ता के रूप में किया गया था यात्रा भत्ते के उक्त भुगतान उनके राजकीय अनुदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिये किया गया था जिसमें तांगा, चाय, पानी, भोजन चारपाई व होटल के किराये आदि सम्मिलित थे नियमानुसार उन्हें केवल बस किराया दैनिक भत्ता एवं रोमाइलेज ही देय था। अतः तांगा, चाय पानी, भोजन, चारपाई होटल किराये आदि के लिये जो भगतान

उन्हें किया गया वह अनियमित था, जिसको योग करके उनसे वापस कराया जाय। धन प्राप्ति की रसीद भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत करें।

२—इसी प्रकार श्री शंकर लाल सर्राफ को दिनांक १८ व १९ मार्च, १९६५ को रानीपुर से झांसी एवं वापसी की यात्राओं के लिये ७·३७ का भुगतान वाऊचर संख्या २६० दिनांक २४ मई, १९६५ द्वारा किया गया था उक्त धनराशि में निम्नलिखित मदें शामिल थी। जिनके लिये किसी प्रकार का भुगतान नियमित था और जिसे श्री सर्राफ से वापस कराया जाय।

तिथि		व्यय विवरण			व्यय की धनराशि
					रु०
१८–५–६५	..	तांगा किराया	..	..	०–२५
,,	..	खाना प्रातःकाल	..	..	१–३७
,,	..	भोजन सायंकाल		..	१–४०
,,	..	तांगा स्टेशन	..	..	०–३७
१९–५–६५	..	नाश्ता ..	..	..	०–७०
,,	..	तांगा स्टेशन से शहर		..	०–२५
					४.३४

श्री सर्राफ की धन प्राप्ति की रसीद सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

श्री सर्राफ को इस प्रकार २६२, दिनांक २४–५–६५ द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था। जिन में निम्नलिखित मदों पर व्यय किये गये धनराशियों का भुगतान अनियमित था जिसे उन से वसूल किया जाय एवं उनका धनराशि की प्राप्ति की रसीद भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

तिथि		व्यय विवरण			व्यय की धनराशि
					रु०
५–५–६५	..	तांगा शहर से स्टेशन	..	..	०–२५
,,	..	नाश्ता ..	..	..	०–५०
,,	..	खाना होटल	..	..	१–२५
,,	..	नाश्ता ..	..	..	०–२५
					२–२५

३—श्री कमला पत छोपा लायक अध्यापक को वाउचर संख्या २६४, दिनांक २४–५–६५ द्वारा रु० ८–०५ का भुगतान यात्रा नाश्ते के रूप में किया गया था जिसमें से २–६० केवल सम्परीक्षा में मान्य समझा गया तथा शेष ५–४३ अनियमित मदों पर व्यय किये जाने के कारण इसका भुगतान सम्परीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा सका जिसको उनसे वापस कराया जाये तथा उनकी धन प्राप्ति की रसीद भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाये।

४—श्री विनय कुमार शास्त्री, प्रधानाध्यापक को वाउचर सं० २९१, दिनांक ३१–१०–६३ द्वारा रुपया ८–३३ यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था। जिससे भोजन, तांगा, किराया आदि पर व्यय किये गये ५–३३ की धनराशि भी सम्मिलित थी। जिसका भुगतान अनियमित होने के कारण श्री शास्त्री से वापस कराकर अनुरक्षण निधि में जमा किया जाय

इसी प्रकार वाउचर सं० ३०१, दिनांक १३-१०-६६ एवं वाउचर सं० ३४७, १४८, ३५०, ३५२ दिनांक २३-५-६६ द्वारा क्रमशः ७.८८, ८.२८, ८.४०, ८.२४ एवं ८.४८ रु० का भुगतान श्री शास्त्री को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था। जिसमें से मदों पर व्यय की गई धनराशियां भी सम्मिलित थी जो अनियमित थी। उन मदों पर व्यय किये गये धनराशियों को जोड़ कर उनको वापस किया जाय।

(घ) महंगाई शुल्क की आय को धनराशि को अनुरक्षण निधि से बाहर एक पृथक में रखना :---सम्परीक्षा में ऐसा देखा गया कि वर्ष १९६२-६३ में महंगाई शुल्क का जो वसूली छात्रों से की गई थी उसे अनुरक्षण निधि में जमा करने से बजाये एक पृथक पन्जी में जमा किया जाता था, जो अनियमित था। सम्बन्धित महंगाई भत्ते की रोकड़ बही का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ। इस में महंगाई शुल्क की समस्त आय तथा उसका भुगतान अंकित किया गया था परन्तु महंगाई शुल्क की रोकड़ बही में जाच करने की तिथि कई महीनों में नहीं अंकित की गई थी जिससे इसको जांच नहीं की जा सकी कि प्रतिदिन की वसूली की धनराशि उसी तिथि को उक्त रोकड़ बही में जमा कर ली जाती थी जिसे स्पष्ट किया जाय। कक्षा ६ ए, ६ बी, ७ एवं ८ के छात्रों से माह अक्तूबर, १९६२ की महंगाई भत्ते की शुल्क दिनांक १५ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक विभिन्न तिथियों में वसूल की गई थी। जैसा कि सम्बन्धित उपस्थिति तथा शुल्क पंजिकाओं की जांच से ज्ञात हुआ परन्तु यह आश्चर्यजनक बात था कि सम्बन्धित कक्षाध्यापकों द्वारावसूली की धन-राशि महंगाई भत्ते की रोकड़ बही में दिनांक ३-११-६२ को गई थी। यह अनियमित था। भविष्य में जिस दिन शुल्क की वसूली की जाये उसी दिन जमा कर दिया जाय अन्यथा ऐसी रकम का आल्पिक अपहरण किया समझा जायगा।

(च) स्टोर व नकदी रखने वाले से जमानत न लिया जाना---लिपिक जो नकदी व स्टोर रखता था उससे कोई जमानत नहीं ली गई थी। जो अनियमित था। सम्बन्धित लिपिक से उचित जमानत ली जाये।

(छ) अनुसूचित जाति के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा देने से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त धन से छात्र निधि की रकम हस्तान्तरित नहीं की गई :---अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये हुई प्रतिपूर्ति हेतु जो विवरण बनाया गया उसे सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तथा छात्र निधि एवं अनुरक्षण निधि को रोकड़ बहियां सम्परीक्षण में प्रस्तुत की जायें तथा जो धन छात्र निधि से सम्बद्ध हो उसे अनुरक्षण निधि में स्थानान्तरित किया जाय।

६---निष्कर्ष---उपरोक्त अनुक्षेदों में दी गई अभियुक्तियों से स्पष्ट है कि विद्यालय का लेखा सन्तोषप्रद ढंग से नहीं किया गया था तथा उस में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

सम्परीक्षा के समय दी गई आपत्ति पत्रावली वरिष्ट सम्परीक्षक को वापस नहीं की गई थी जिसे अधोहस्ताक्षर कर्ता को वापस किया जाय। आपत्ति विवरण पत्र में अब पृथक से कोई आपत्ति नहीं है।

ह० शान्तिस्वरूप सक्सेना,
सहायक परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र०,
चतुर्थ मण्डल

कानपुर
दिनांक १८-७-६९
उमराव सिंह
वरिष्ठ सम्परीक्षक,

मान्यवर—जिला विद्यालय, निरीक्षक,
झांसी ।

विषय :—आडिट आपत्तियों के निवारण हेतु प्रयत्न ।

सेवा में,

श्री महावीर जैन उ०मा० विद्यालय, रानीपुर, जिला झांसी हिसाब किताब, सन् ६२–६३ ६३-६४, ६४–६५, ६५-६६ तथा ६६-६७ पांच वर्ष का एक साथ मार्च, १९६८ में आडिट किया गया था। उक्त पांचों वर्ष के आडिट की रिपोर्ट विद्यालय कार्यालय को फरवरी/मार्च, १९७० में प्राप्त हुई ।

लिखी समस्त आपत्तियों में नीचे लिखे अनुसार दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है, जो अगले आडिट के समय प्रस्तुत की जानी है—

सन् १९६८–६९ का आडिट गत वर्ष किया गया था किन्तु उसको अन्तिम आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है ।

आडिट आपत्तियों के निवारण हेतु हम पूर्ण प्रयत्नशील हैं ।

आडिट आपत्ति (३)—वर्गीकृत पत्रिकायें अब तैयार की जाने लगी हैं तथा १९६८–६९ के आडिट के समय प्रस्तुत की थीं। अगले आडिट के समय के हेतु १९६९–७० को वर्गीकृत पत्रिका भी तैयार है ।

आडिट आपत्ति (३–अ)—आरक्षित निधि के बांड श्री गुजलारी लाल औलिया अध्यक्ष के पास हैं। बार बार मांगे जाने पर भी वह कार्यालय में जमा नहीं करते। अतः हम उन्हें सम्परीक्षा के समय प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे ।

आडिट आपत्ति (३–ब)—संधान निधि (प्राभूत) के मूल्यांकन के कागजात प्राप्त कर लिये गये हैं जो अगली सम्परीक्षा (आडिट) में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

आपत्ति ४ (ब)—पिछली छात्रवृत्ति के लेखे एवं वितरण के रजिस्टर एकत्रित किये जा चुके हैं। अगली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर इस आपत्ति को दूर कराया जावेगा ।

आपत्ति ४ (र)—सम्बन्धित छात्रों का कार्यालय की पासबुक में पड़ा छात्रवृत्ति का १२८ रुपये वापिस खजाने में २४–६–१९७० को जमा कर दिया गया है ।

आपत्ति ५ (क)—जिन अध्यापकों को अधिक वेतन दिया गया उनका हिसाब निकाला जा रहा है तत्पश्चात् सम्बन्धित अध्यापकों से उक्त राशि वसूल करने का पूर्ण प्रयत्न किया जावेगा तथा इस आपत्ति को दूर कराने हेतु पूर्ण प्रयत्न किया जावेगा ।

आपत्ति ५ (ख)—वर्तमान समस्त अध्यापकों की सेवा पुस्तिकायें तैयार हैं तथा इस आपत्ति को अगली सम्परीक्षा में दूर कराने का प्रयत्न किया जावेगा ।

आपत्ति ५ (ग)—यात्रा भत्ता में दिये गये अधिक भुगतान को सम्बन्धित अध्यापकों से ऐडजस्ट कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि यात्रा भत्ता नियमानुकूल नहीं थे। अब नियमानुकूल यात्रा भत्ता के बिल ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

आपत्ति ५ (घ)—महंगाई भत्ता गत दो वर्षों से नियमित रोकड़ बही 'कैशबुक' में प्रतिदिन जमा किया जा रहा है ।

५(ङ)—लिपिक को रुपये १०० जमानत स्वरूप जुलाई, १९७० से आसान किस्त में पासबुक लेकर जमा कराने हेतु सूचित कर दिया है।

विशेषः—यह आडिट रिपोर्ट मिलने के पश्चात् विद्यालय का कोई आडिट नहीं हुआ जिसमें आपत्तियों को दूर कराया जाता। आडिट होते ही यह समस्त आपत्तियों को दूर कराने का प्रयत्न किया जायेगा।

भवदीय,
ह० हुकुम चन्द जैन,
कृते प्रबन्धक
श्री महावीर जैन उ० मा० वि०,
रानीपुर।
[२५-६-७०]

(रामेश्वर दयाल भटनागर)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड०'

(देखिये ता० प्र० सं० ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

दिसम्बर, १९६८ तथा जनवरी, १९६९ में जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली द्वारा कार या जीप से किये गये दौरे का विवरण

दिसम्बर, १९६८	
१—दिनांक ६-१२-१९६८	उ० मा० वि०, शोरा, सरकारी पिकअप द्वारा।
२—दिनांक १२-१२-१९६८	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऊंचाहार, सरकारी पिकअप द्वारा।
३—दिनांक १४-१२-१९६८	इन्टर कालेज, बछरावां, सरकारी पिकअप द्वारा।
४—दिनांक ३०-१२-१९६८	जूनियर हाई स्कूल, महाराजगंज, किराये की टैक्सी द्वारा।
५—दिनांक ३०-१२-१९६८	जूनियर हाई स्कूल, चन्दापुर, किराये की टैक्सी द्वारा।
६—दिनांक ३१-१२-१९६८	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोकुला, किराये की टैक्सी द्वारा।
जनवरी, १९६९	
१—दिनांक ७-१-१९६९	इन्टर कालेज, बछरावां, प्राइवेट जीप द्वारा।
२—दिनांक ८-१-१९६९	जूनियर हाई स्कूल, रोतापुर, किराये की टैक्सी द्वारा।
३—दिनांक १०-१-१९६९	बछरावां, बस द्वारा।
४—दिनांक १६-१-१९६९	ऊंचाहार अरण, किराये की टैक्सी द्वारा।
५—दिनांक २१-१-१९६९	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुरारमऊ, किराये की टैक्सी द्वारा।
६—दिनांक २३-१-१९६९	इन्टर कालेज, लालगंज, बस द्वारा।
७—दिनांक २८-१-१९६९	इन्टर कालेज, पूरेपान्डे तथा मार्ग के प्राइमरी विद्यालय, किराये की टैक्सी से।
८—दिनांक ३१-१-१९६९	जूनियर हाई स्कूल, देदौर तथा उ० मा० वि०, सतांव, किराये की टैक्सी द्वारा।

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, झांसी के अनुदान के निलम्बित होने के कारण

मार्च, १९६९ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, जिला झांसी का अनुदान निम्न लिखित कारणों से निलम्बित किया गया था—

(१) विद्यालय के नवनिर्मित भवन की भूमि विद्यालय के नाम दर्ज न होकर विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री गुलजारी लाल औलिया के पुत्र के नाम दर्ज है।

(२) श्री औलिया, अध्यक्ष से बार-बार भूमि संबंधी स्पष्टीकरण एवं विवरण मांगा गया किन्तु न तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और न कोई विवरण।

(३) अध्यक्ष एवं प्रबन्धक में मतभेद चल रहा है। अध्यक्ष ने प्रबन्धक के विरुद्ध स्टे आर्डर प्राप्त करने हेतु मुंसिफी में प्रार्थना की थी पर वह खारिज हो गयी। अध्यक्ष एवं प्रबन्धक के इस विवाद के कारण संस्था के अध्यापकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल सका। व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुदान का निलम्बन आवश्यक था।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० सं० ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

तालिका

गन्ना मूल्य, गन्ना कमीशन व क्रय कर के बकाया का विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	मिल का नाम	रिसीवर की नियुक्ति के पूर्व का बकाया (२८-२-१९७० तक)							३१-५-१९७० को बकाया की स्थिति						
		पुराना बकाया			१९६९-७० सीजन का बकाया			कुल योग	पुराना बकाया			१९६९-७० सीजन का बकाया			कुल योग
		गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	२८-२-१९७० को	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	३१-५-७० को
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
	१-जसवंत	१.५२	२.५५	१३.२५	१४.५२	१.६८	—	३३.५२	१.५२	०.६१	१०.४०	३९.९५	२.९८	३.७१	५९.१७
	२-मसूरपुर	०.५८	०.०१	७.९७	१४.७८	१.७४	३.७३	२८.८१	०.५८	०.०१	—	२४.३२	०.३९	४.७३	३०.०३
	३-सहारनपुर	०.८९	०.२०	६.२४	११.२८	०.९९	२.३८	२१.९८	—	—	—	१७.७५	०.२६	१.९९	२०.००
	४-इकबालपुर	०.४०	०.४०	५.६३	१२.५५	१.१६	१.२५	२१.०३	—	—	—	९.७०	०.४१	—	१०.११
	५-देवबंद	०.०९	—	११.०५	७.६७	०.३९	—	१९.२०	—	—	—	३२.५७	०.८६	—	३३.४३
	६-बुलन्दशहर	—	०.४८	१६.८५	९.२८	०.३७	—	२६.९८	—	९.४८	२०.७८	१२.६१	१.१५	३.३९	३८.३२
	७-बरेली	२.५६	०.४३	१४.१५	२१.३४	१.७८	२.४०	४२.६६	२.५६	०.४३	१८.०३	१९.८९	२.९३	६.१२	४९.९६

क्र० सं०	मिल का नाम	रिसीवर की नियुक्ति के पूर्व का बकाया (२८-२-१९७० तक)							३१-५-१९७० को बकाया की स्थिति						
		पुराना बकाया			१९६९-७० सीजन बकाया			कुल योग	पुराना बकाया			१९६९-७० सीजन का बकाया			कुल योग
		गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	२८-२-१९७०को	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	गन्ना मूल्य	गन्ना कमीशन	क्रय कर	३१-५-७० को
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
८	धामपुर	१.६२	०.८१	—	११.९२	०.५५	—	१४.९०	—	—	—	९.८४	०.२९	१.७३	११.८६
९	अमरोहा*	२३.३१	६.२८	४३.२०	१६.८०	२.१०	—	९१.६९	२१.०२	६.३१	४४.९९	१६.९०	४.१०	३.१५	९६.४७
१०	रामपुर	१५.२२	७.९८	२०.२०	१९.७०	३.१३	४.३५	७०.५८	१४.१२	७.९८	२१.०४	५१.५०	५.६०	११.८३	४२.०७
११	बारा-बंकी**	२२.७३	१.६२	३२.३३	६.६३	०.१०	०.६३	६४.०६	२१.४१	१.५८	३७.९२	७.५९	०.८०	२.७४	७२.०४
१२	बुढ़वल	२९.०२	१.४३	४.३७	१.५१	०.१९	—	३६.५२	२९.५१	१.४४	५.८३	१४.०७	०.३९	१.६९	५२.९३
१३	मसौधा	४.५३	१.१४	९.०२	५२.३१	०.४६	—	६७.४६	२.५९	१.००	१२.५९	५८.६२	१.६६	३.४४	७९.९०
१४	देवरिया	०.१६	१.१६	२.००	३.०९	०.६२	—	७.०३	०.१७	१.१४	३.२१	४.००	०.०१	१.६६	१०.१९
१५	भटनी	८.७६	३.१८	१२.४१	१५.७४	०.८२	१.०५	४१.९६	७.२७	३.१७	१२.४१	०.४७	०.८५	१.८०	२५.९७
१६	सिसवा-बाजार	१.४५	०.१६	३.९०	८.६८	१.०६	१.४५	१६.७०	१.४४	०.१०	३.७२	१४.२६	०.२३	३.९५	२३.७०
१७	बैताल-पुर	०.८६	०.१३	३.२७	१२.५३	१.०१	०.६१	१८.४१	०.८६	०.१३	४.६०	१०.६६	१.३९	२.९२	२०.५६
१८	खड्डा	१०.८२	०.४८	२०.८२	९.१९	०.६६	०.७३	४२.७०	९.५०	०.४७	२०.३२	२७.०२	१.३५	२.५१	६१.६७
१९	रामकोला (खेतान)	११.८३	०.५४	३९.३३	९.६८	०.११	०.७५	६२.२४	११.१०	०.३६	४५.०९	१५.९३	०.३३	२.६५	७५.४६

२०-रामकोला (पी)	०.५६	०.५०	६.०५	१६.०१	२.१३	—	२५.२५	—	—	—	०.०३	०.०६	—	०.११

*अमरोहा मिल में रिसीवर ८-१०-६९ से है—उस समय (३०-९-६९ को) कुल बकाया थी—

गन्ना मूल्य व कमीशन	२८.९५
क्रय कर ..	४३.२०
योग ..	७२.१५

*बाराबंकी मिल में रिसीवर ६-८-६९ से है—उस समय (३१-७-६९ को) कुल बकाया थी—

गन्ना मूल्य व कमीशन	२८.५४
क्रय कर	३१.६९
योग ..	६०.२३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये ता० प्र० सं० ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७० के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री रामपाल सिंह यादव के तारांकित प्रश्न सख्या ८० कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में राम गंगा योजना के अन्तर्गत बन रही व बन गई माइनरों का विवरण

तालिका

क्र० सं०	नाम प्रणाली	प्रणाली का वह भाग जो कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में पड़ता है						कानपुर जिले की डेरापुर तहसील का प्रथम ग्राम जो इस प्रणाली पर पड़ता है	कानपुर जिले की डेरापुर तहसील का अंतिम ग्राम जो इस प्रणाली पर पड़ता है	प्रणाली में सिंचाई के लिये पानी दिया जाने लगा है या नहीं	क्या प्रणाली अधूरी पड़ी है या नहीं	यदि प्रणाली अधूरी पड़ी है तो कब तक उसके मुकम्मिल हो जाने की आशा है	टिप्पणी
		किस मील से			किस मील तक								
		मी०	फ०	फुट	मी०	फ०	फुट						
१	पश्चिमी इलाहाबाद शाखा।	२२	०	०	३२	०	०	डभरपुर	शहवाजपुर	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	
२	सहार राजबहा	१५	७	०	३३	१	०	रामपुर नारामऊ	सलेमपुर	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	
३	ताजपुर तरसौली माइनर।	०	०	०	२	१	०	,,	नारखुर्द	नहीं	हां	मार्च, १९७१	कार्य चल रहा है। खरीफ १३७८ में कुछ हिस्से में पानी दिया जा सकेगा।
४	रतनपर राजबहा	१	६	६००	१४	४	२३०	भौजमपुर	समाऊं	हां	हां	मार्च, १९७१	टेल का हिस्सा खुदना शेष है।

५—[illegible] माइनर	•	•	•	३	१	•	कारेरामपुर	जोत	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	
६—मनौरा माइनर	•	•	•	२	६	•	भौजमपुर	पुरनपुरवा	हां	हां	मार्च, १९७१	टेल का कुछ हिस्सा खुदाना शेष है।
७—उसरी माइनर	•	•	•	५	५	०	उसरी	मलखानपुर	हां	हां	मार्च, १९७१	" "
८—रसूलाबाद माइनर	•	•	०	३	६	•	मलखानपुर	रसूलाबाद	नहीं	हां	मार्च, १९७२	भूमि अध्याप्त न होने के कारण कार्य नहीं हो सका है। धारा ६ (१) की विज्ञप्ति, दिनांक १०–७–७० को प्रकाशित हो चुकी है।
९—पहाड़ीपुर माइनर	•	०	०	२	४	•	रसूलाबाद	पहाड़ीपुर	नहीं	हां	मार्च, १९७२	धारा ४ (१) की विज्ञिप्ति दिनांक २९–१२–६९ को प्रकाशित हो चुकी है। धारा ६ (१) की विज्ञप्ति होना अभी शेष है।
१०—पुरना पुरवा माइनर	०	•	•	२	६	०	पुरनपुरवा	गहलबक्सा	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	
११—भौजमपुर माइनर	०	०	०	४	१	०	कारेरामपुर	जोत	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	
१२—आंट राजबहा	३	०	०	६	६	०	मालकापुरा	मकरन्दपुर कजहरी	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	
१३—जोनासी माइनर	३	४	•	४	•	०	मित्रसेनपुर	मित्रसेनपुर	हां	हां	अगस्त, १९७०	कार्य नवम्बर, १९७० तक पूर्ण होने वाला था, अभी पूर्ति रिपोर्ट अपेक्षित है।
१४—बालका पुरवा माइनर	•	३	•	२	४	३३०	बालकापुरवा	बहेली	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५—कैन्झरी माइनर	०	०	०	४	५	३३०	मित्रसेनपुर कैन्झारी	अटिया राजपुर	नहीं	हां	मार्च, १९७२	एल० सेक्शन १/७० में अनुमोदित हुआ है तथा भूमि अभी अध्याप्त नहीं हुई । भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।
१६—धन्नापुर माइनर	०	०	०	०	१	०	मकरन्दपुर कैनझरी	मकरन्दपुर कैनझरी	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।	
१७—जौहर राजबहा	५	४	०	८	४	०	इतहाबपुर	बन्सरा	हां	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

[देखिये ता० प्र० सं० ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर]

सुखरा बन्धी पर रखरखाव हेतु व्यय

वर्ष	रुपया
१९६४–६५	३,३५३.१२
१९६५–६६	३,६११.३२
१९६६–६७	६,६७९.२३
१९६७–६८	२८.००
१९६८–६९	२२४.६७
१९६९–७०	३,०६२.७३

सुखरा बन्धी का प्रस्तावित क्षेत्र—५४१ एकड़

सुखरा बन्धी के सिंचाई के आंकड़े

वर्ष	सिंचाई
१९६२–६३	१९ एकड़
१९६३–६४	१२ एकड़
१९६४–६५	१ एकड़
१९६५–६६	३ एकड़
१९६६–६७	१२ एकड़
१९६७–६८	३ एकड़
१९६८–६९	६ एकड़
१९६९–७०	७ एकड़

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ञ'

[देखिये ता० प्र० सं० ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर]

सन् १९६९ की बाढ़ बस्तीमें जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों तथा उनकी मरम्मत में हुई प्रगति का विवरण

मार्ग का नाम	प्रगति
१—मेंहदावल-करमैनी घाट मार्ग	इस मार्ग के तट बन्धन की मरम्मत के लिये मिट्टी का कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया था । धनाभाव के कारण मिट्टी का कार्य भी पूर्ण रूप से सम्पादित नहीं किया जा सका यह कार्य ८५ प्रतिशत ही पूरा किया जा सकता है । इस मार्ग पर अब तक २७,३४२ रु० व्यय हुआ है ।
२—बस्ती-डुमरियागंज-बढ़नी मार्ग ..	आवश्यक मरम्मत इत्यादि का कार्य अक्टूबर, १९६९ में प्रारम्भ किया गया था। अधिकांश मिट्टी का काम हो चुका है। ५ ३/४ मीलों में ईंटों की गिट्टी एवं ४ ३/८ मीलों में पत्थर की गिट्टी का कार्य हो चुका है। इस मार्ग पर अब तक ३,६०,५८३ रु० व्यय हुआ है ।
३—बांसी-नौगढ़ मार्ग ..	इस मार्ग पर मानसून से हुई क्षति की विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ६३,९९५ रु० व्यय हुआ। इस मार्ग का पुनः निर्माण १५ लाख रु० की लागत पर स्वीकृत हुआ था तथा अगस्त, १९७० तक २,८४,४५८ रु० व्यय हुये हैं । पुनः निर्माण के अन्तर्गत ६ मील की लम्बाई में थिकनिग कोट की भराई व कुटाई हो चुकी है तथा ५ मील की लम्बाई में टाप कोट के लिये पत्थर की रोड़ी का संग्रहण हो चुका है । अतिरिक्त जल निस्तारण हेतु लघु सेतुओं का निर्माण हो चुका है ।
४—तलपुरवा-इटावा-बिस्कोहर मार्ग ..	क्षति ग्रस्त भाग में धनाभाव के कारण यातायात संचालन हेतु अति आवश्यक मरम्मत ही कराई जा सकी । कार्य अक्टूबर, १९६९ में आरम्भ किया गया था । इस मार्ग पर अब तक ७६,५७२ रु० व्यय हुआ है ।
५—बांसी-तलपुरवा मार्ग ..	इस मार्ग पर कार्य अक्टूबर, १९६९ में प्रारम्भ किया गया था और अब तक ५,६५४ रु० व्यय हुआ है। धनाभाव के कारण तथा सम्भव

मार्ग का नाम		प्रगति
		यातायात संचालन हेतु आवश्यक मरम्मत का कार्य ही कराया जा सका ।
६—झांसी-मेहवाचल मार्ग	..	इस मार्ग पर कार्य अक्टूबर, १९६९ में प्रारम्भ किया गया था और अब तक इस पर ८५,६३२ रु० व्यय हुआ है । धन के अभाव में आवश्यक मरम्मत ही कराई जा सकी ।
७—उरका-बानी मार्ग	..	इस मार्ग पर मरम्मत का कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया था और ११,३६१ रु० व्यय हुआ है । तटबन्धन पर आवश्यक मरम्मत का कार्य किया गया ।
८—देवरूआ-शोहरतगढ़ मार्ग	..	इस मार्ग पर कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया था और अब तक इस पर १२,१२४ रु० व्यय हुआ है । ७ मीलों ने तटबन्धन की मरम्मत का आवश्यक कार्य किया गया ।
९—रघौली-बखिरा मार्ग	..	इस मार्ग पर मरम्मत का कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया था और अब तक २४,४९५ रु० व्यय हुआ है । मिट्टी का कार्य अधिकांशतः पूर्ण हो चुका है ।
१०—छावनी-कलवारी मार्ग	..	इस मार्ग पर कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया था तथा अब तक १० हजार रुपया व्यय हुआ है । धनाभाव के कारण केवल आंशिक मरम्मत का कार्य ही कराया जा सका है ।
११—बस्ती-बांसी मार्ग	..	धनाभाव के कारण इस मार्ग पर कोई कार्य न किया जा सका और यातायात अस्थाई प्रबन्ध द्वारा किसी प्रकार चलाया जा रहा है ।
१२—बस्ती-कलवारी-टांडा मार्ग	..	क्षति ग्रस्त भाग में यातायात संचालन हेतु मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से कराया जा सका । कार्य जनवरी, १९७० में प्रारम्भ किया गया । अब तक १६,६३९ रु० व्यय हुआ है ।

नत्थी 'ट'

[देखिये अता० प्र० सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

मार्ग का नाम	गिट्टी जिसका भुगतान हुआ	गिट्टी जो मौके पर मौजूद है
१—बांसी—नौगढ़ मार्ग	.. २१,४४८ घ० फु०	२३,४४४ घ० फु०
२—बस्ती—हुमरियागंज—बड़नी मार्ग	.. ४८,३०४ घ० फु०	४८,३०४ घ० फु०
३—देवरुआ—शोहरतगढ़ मार्ग	.. १३,६११ घ० फु०	१४,९९१ घ० फु०

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये अता० प्र० सं० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

सिंचाई प्रखण्ड बलिया

क्रमांक	नाम नहर	तादात फुलावा जाता	लम्बाई गूल जो बनाई गई	कुल व्यय
१	मेन नहर दोहरी घाट	१४६	११७–६–१७६	१,२३,४१५–३६
२	पहाड़पुर माइनर	६	२–०–७३	१,३२०–४२
३	नथना माइनर	३	१–४–३६	६६०–१८
४	चांदपुर माइनर	२	२–१–१५६	१,१६४–२५
५	शाहपुर माइनर	१२	५–७–२७८	३,४५८–०१
६	कोशाडीह राजवाहा	३३	२५–५–४८६	२१,१११–६५
७	बेलौझा माइनर	१२	५–६–०	४,८२१–६५
८	ताड़ी बड़ा गांव माइनर	४	२–१,६३५	१,५७७–७०
९	निकासी माइनर	७	३–१–४१	४,६५०–१८
१०	अहरौली माइनर	१०	५–३–२२६	५,२५८–२१
११	अखोप माइनर	६	३–३–६१६	७,२६६–७०
१२	पिपरौल राजबाहा	२०	१२–३१७	१६,६८७–७६
१३	रामपुर माइनर	२७	२०–२–१४८	१९,६५४–८
१४	फरसाटार माइनर	१०	५–५–६४	६,७११–६१
१५	सियर माइनर	७	६–३–१४	६,२३१–७४
१६	सिकन्दरपुर राजबाहा	५२	४४–४–३२	२६,४६७–३१
१७	करनी माइनर	११	१०–०–३८८	५,१११–८८
१८	हुसेनपुर माइनर	१५	९–५–१२१	२,६७२–८२
१९	सिकिया माइनर	८	६–६–५३६	५,६३६–५६६
२०	रूढ़वार माइनर	८	७–४–५१०	४,६५७–१२
२१	पन्दह राजवाहा	४६	६१–१–७५	३८,३४२–८१
२२	चान्डो माइनर	१४	१६–७–१७७	१४,८६८–१८
२३	डिहवा माइनर	८	६–२–५८२	३,८७६–०१
२४	पूर राजबाहा	६८	६०–६–३४८	५६,६५८–२४
२५	फुलवरिया माइनर	९	७–४–४१३	८,२७०–१६
२६	हथौच माइनर	१५	१०–७–३२७	९,०९५–३१
२७	बरसरी माइनर	११	५–५–१८२	३,०६३–७६
२८	बड़ा गांव माइनर	३	१–७–४५६	१,४६८–९६
२९	महली माइनर	४	२–३–३०१	२,०५७–६६
३०	रतसड़ राजवाहा	५५	५५–१–२३८	४२,०८६–१६
३१	पकड़ी माइनर	१३	८–०–२७	८,०४६–४४
३२	बहरदुर पुर माइनर	१२	८–०–५५	४,८३३–५२
३३	सुखपुरा माइनर	२३	२०–२–४७	१०,८४६–२७
३४	करम्मर माइनर	८	४–४–३७१	२,९८५–५१

क्रमांक	नाम नहर		तादात कुलाबा जाता	लम्बाई गूल जो बनाई गई	कुल व्यय
३५	बसवरिया माइनर	..	१५	१०–४–४१८	६,०२०–१५
३६	हजौली माइनर	..	२२	२९–७–१०४	२१,९०१–५२
३७	विशुनपुर माइनर	..	२५	२२–६–२६५	१६,७०९–६१
३८	गढ़वार माइनर	..	३२	२८–७–४२८	२८,७४९–६१
३९	मिठवार माइनर	..	१५	७–६–४३८	१३,६०६–९४
४०	बन्दरही माइनर	..	३	१–१–७०	५६६–०५
४१	सुरहाताल मेन नहर	..	३२	२२–२–३३	६,२७२–१०
४२	कंथवाली माइनर	..	१९	१६–६–३०१	६,६०७–४१
४३	डेवढ़ी माइनर	..	२०	६–६–३८०	३,५१६–४६
४४	खरौनी माइनर	..	२०	११–३–१२१	४,११५–७३
४५	केवरा माइनर	..	२३	१२–६–५१८	७,७९२–४७
४६	सहतवार माइनर	..	२६	२३–१–१८५	१०,२०४–४०
	कुल योग	..	९४६	७६५–६–३६३	६,०७,०२७–६१

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

तालिका

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद	वर्ष जिसमें स्थानान्तरण हुआ	कहां स्थानान्तरण हुआ	आधार जिस पर स्थानान्तरण किया गया
१	२	३	४	५	६
१	श्री शाकीक अहमद किदवई	सहायक अध्यापक	१९६७–६८	राजकीय दीक्षा विद्यालय बरुवा सागर (झांसी)	प्रशासकीय ।
२	श्री श्री निवास ..	सहायक अध्यापक	,,	राज० दीक्षा विद्यालय, बिसवां (सीतापुर)	स्वयं की प्रार्थना पर ।
३	श्री हरि हर सिंह ..	,,	,,	राजकीय दीक्षा विद्यालय, खीरी ..	प्रशासकीय ।
४	श्री मंजूहल हसन ..	,,	,,	राज० इन्टर कालेज, रायबरेली ..	स्वयं की प्रार्थना पर ।
५	श्री संतोष कुमार आदिम (आदर्श विद्यालय) ।	,,	,,	राजकीय आदर्श विद्यालय, बिसवां (सीतापुर)	स्वयं की प्रार्थना पर ।
६	श्री बालक राम रस्तोगी ..	लिपिक	,,	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर	स्वयं की प्रार्थना पर ।
७	श्री मुसर्रत हुसैन ..	चपरासी	,,	राज० रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	स्वयं की प्रार्थना पर ।
८	श्री अवसान ..	,,	,,	तदेव ..	स्वयं की प्रार्थना पर ।
९	श्री एम० यू० अलवी ..	सहायक अध्यापक	१९६८–६९	राजकीय इन्टर कालेज, बाराबंकी ..	स्वयं की प्रार्थना पर ।
१०	श्री रमेश चन्द्र शर्मा ..	,,	१९६८–६९	राजकीय दीक्षा विद्यालय, गोवर्धन (मथुरा) ..	स्वयं की प्रार्थना पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद	वर्ष जिसमें स्थानान्तरण हुआ	कहां स्थानान्तरण हुआ	आधार जिस पर स्थानान्तरण किया गया
१	२	३	४	५	६
११	श्री मोहम्मद यासीन	लिपिक	१९६८–६९	राजकीय इन्टर कालेज, खीरी	प्रशासकीय।
१२	श्री त्रिलोकी नाथ उपाध्याय	सहायक अध्यापक	१९६९–७० मई, ७० तक	राज० दीक्षा विद्यालय, जहांगीराबाद (बाराबंकी)	प्रशासकीय।
१३	श्री महेश नारायण तिवारी	,,	,,	राज० दीक्षा विश्वालय, मकरही (फैजाबाद)	प्रशासकीय।
१४	श्री जगदीश नारायण मिश्रा	,,	,,	राज० दीक्षा विश्वालय, टिहरी (गढ़वाल)	प्रशासकीय।
१५	श्री ओम प्रकाश शर्मा (आदर्श विद्यालय)।	,,	,,	राज० आदर्श विद्यालय, बौंडी (बहराइच)	प्रशासकीय।
१६	श्री इसरार अली	चपरासी	,,	राज० दीक्षा विद्यालय, मकरही (फैजाबाद)	प्रशासकीय।
१७	श्री सीताराम	चपरासी	,,	जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी	स्वयं की प्रार्थना पर।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२१ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा